SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023–24 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 6

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023–24 के लिये राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार

2025 की प्रतिवेदन संख्या 6

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय I **विहंगावलोकन**		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5
वित्त का आशुचित्र	1.4	8
राजकोषीय अवशेष : घाटे और सकल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि	1.5	11
लेखापरीक्षा जाँचोपरांत घाटा और सकल ऋण	1.6	15
लेखापरीक्षा उपरान्त–सकल लोक ऋण	1.7	17
अध्याय II **राज्य के वित्त**		
राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	20
राज्य के संसाधन	2.3	21
राज्य की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	22
पूँजीगत प्राप्तियां	2.3.3	33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	35
राजस्व व्यय	2.4.1	38
पूँजीगत व्यय	2.4.2	46
लोक लेखा	2.5	54
लोक दायित्व प्रबन्धन	2.6	62
ऋण संवहनीयता विश्लेषण	2.7	68
उधार ली गयी निधि का उपयोग	2.7.1	72
प्रत्याभूतियों की स्थिति–आकस्मिक देयताएं	2.7.2	73
नकद अवशेष का प्रबन्धन	2.7.3	74
नकद अवशेष में भिन्नता	2.7.4	77
निष्कर्ष	2.8	77

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
संस्तुतियाँ	2.9	78
अध्याय III बजटीय प्रबन्धन		
बजट प्रक्रिया	3.1	79
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ	3.2	84
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.3	87
निष्कर्ष	3.4	96
संस्तुतियाँ	3.5	96
अध्याय IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें		
राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त–बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.1	99
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियाँ	4.2	101
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि	4.3	102
हरित कर के लेखांकरण के लिये उप–शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का सृजन न किया जाना	4.4	103
राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण	4.5	104
उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब	4.6	104
संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.7	107
वैयक्तिक जमा खाता	4.8	108
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग	4.9	109
बहुप्रयोजनीय मानक मद: '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	4.10	112
प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष	4.11	114
लेखा मानकों का अनुपालन	4.12	115
ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष	4.13	115
विभागीय आँकड़ों का मिलान न किया जाना	4.14	116
स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना	4.15	118
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे	4.16	119

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि के लम्बित मामले	4.17	119
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	121
निष्कर्ष	4.19	121
संस्तुतियाँ	4.20	122

परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य आँकड़े	1.1	125
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	2.1	126
2019–24 की अवधि के दौरान स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह	2.2	128
वर्ष 2023–24 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण	2.3	129
वर्ष 2023–24 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.1	130
वर्ष 2023–24 के बजट अभिलेख में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति विवरण में (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थाओं) का उल्लेख नहीं किया जाना	3.2	134
उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानग्राही के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है	3.3	136
अनुदान–वार बचत दर्शाने वाला विवरण	3.4	137
वर्ष 2023–24 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें	3.5	140
अनुदान जिनमें विगत पाँच वर्षों (2019–24) के दौरान लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.6	144
जिन योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका	3.7	146
अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.8	152
मुख्य शीर्षों को दर्शाने वाले विवरण जहाँ मार्च 2024 में 50 प्रतिशत या अधिक व्यय किया गया था	3.9	156
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका	3.10	157
योजनाओं का विवरण जिनके मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया	3.11	159

परिशिष्टियाँ		
विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ
उन अनुदानों का सारांश जिनमें समर्पण बचत से अधिक है	**3.12**	**164**
विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण	**4.1**	**165**
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति	**4.2**	**167**
पदों की व्याख्या	**-**	**169**
प्रथमाक्षरी	**-**	**171**

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन का अध्याय I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आँकड़ों का वर्णन करता है एवं शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3. इस प्रतिवेदन का अध्याय II राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की रूपरेखा एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।

4. इस प्रतिवेदन का अध्याय III राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।

5. इस प्रतिवेदन का अध्याय IV राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता एवं निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन किए जाने की स्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

6. विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं संव्यवहारों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों पर प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षा आपत्तियों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित की गयी है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के सी0ए0जी0 का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 हेतु राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजट प्रबन्धन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं तथा राज्य के वित्त से सम्बन्धित अन्य प्रकरणों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है ।

यह कार्यकारी सार इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आँकड़ों और पहलुओं के आशुचित्रों के माध्यम से, राजकोषीय संवहनीयता, बजट के आशय के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नता के कारणों और इसके प्रभाव में अंर्तदृष्टि प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2019–20 में ₹ 17,00,062 करोड़ से 10.31 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 25,47,861 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय वर्ष 2019–20 में ₹ 5,26,809 करोड़ से 11.18 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 7,62,484 करोड़ हो गया।

जीएसडीपी में वर्ष 2022–23 के सापेक्ष 11.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 11.64 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई तथा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2022–23 में 18.27 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में 18.28 प्रतिशत थीं। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में विगत वर्ष से 10.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश राज्य का सकल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय, ऋण तथा अग्रिम एवं आकस्मिकता निधि में विनियोग) वर्ष 2022–23 में ₹ 4,83,215 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 5,48,358 करोड़ हो गया, जिसमें 13.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से राजस्व व्यय में 2022–23 के सापेक्ष 13.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 के सापेक्ष राजस्व अधिशेष 3.35 प्रतिशत की कमी दर्शाते हुए ₹ 37,263 करोड़ से घटकर ₹ 36,013 करोड़ हो गया, तथापि राजकोषीय घाटा 24.89 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2022–23 में ₹ 64,636 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 80,723 करोड़ हो गया।

प्राप्ति–व्यय भिन्नता

प्राप्ति एवं व्यय में निरन्तर भिन्नता बढ़ते हुए राजकोषीय दबाव को इंगित करता है। राज्य की प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्य का हस्तांतरण, सहायता अनुदान तथा केन्द्र सरकार से अंतरण एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय के साथ–साथ पूँजीगत लेखे (सम्पत्ति निर्माण, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 में राजस्व प्राप्तियाँ 8.25 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 3,66,393 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,65,801 करोड़ हो गयी। पूँजीगत प्राप्तियाँ भी इस अवधि में ₹ 79,450 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,22,488 करोड़ हो गयीं।

राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान वर्ष 2019–20 में 12.02 प्रतिशत से वर्ष 2023–24 में 11.98 प्रतिशत हो गया, जो भारत सरकार से सहायता पर निर्भरता को इंगित करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार को सहायता अनुदान के रूप में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिये ₹ 38,828 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष 2023–24 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसडीपी के सापेक्ष उछाल 0.95 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय वर्तमान स्तर की सेवाओं को बनाये रखने तथा विगत दायित्वों का भुगतान करने के लिये किया जाता है। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के मध्य राजस्व व्यय ₹ 2,98,833 करोड़ (जीएसडीपी का 17.58 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 4,29,788 करोड़ (जीएसडीपी का 16.87 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि में यह 7.54 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर की वृद्धि के साथ सकल व्यय का एक महत्वपूर्ण अंश (78 प्रतिशत से 85 प्रतिशत) बना रहा।

साधन से परे व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में अन्तर का परिणाम राजस्व घाटा है। राज्य ने अवधि 2019–24 में राजस्व अधिशेष प्राप्त किया सिवाय वर्ष 2020–21 के, जिसमें राजस्व घाटा ₹ 2,367 करोड़ का था। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2019–20 में ₹ 67,560 करोड़ (जीएसडीपी का 3.97 प्रतिशत) के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में ₹ 36,013 करोड़ (जीएसडीपी का 1.41 प्रतिशत) था।

सकल व्यय का सकल गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अन्तर राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019–20 में ₹ 11,083 करोड़ (जीएसडीपी का 0.65 प्रतिशत) से बढ़कर 2023–24 में ₹ 80,723 करोड़ (जीएसडीपी का 3.17 प्रतिशत) हो गया। राज्य सरकार ने 2023–24 में ₹ 1,10,555 करोड़ पूँजीगत व्यय के रूप में व्यय किया, जो वर्ष 2023–24 के सकल व्यय का 20.16 प्रतिशत था।

राजस्व व्यय के अन्तर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा अंश बनाती है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर प्रथम भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय सम्मिलित हैं। वर्ष 2019–20 (62 प्रतिशत) तथा वर्ष 2023–24 (56 प्रतिशत) के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी एवं पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 56 से 62 प्रतिशत रहा। प्रतिबद्ध व्यय में 7.50 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई, अर्थात वर्ष 2019–20 में ₹ 1,84,604 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 2,39,487 करोड़ हो गया। {वर्ष 2022–23 (₹ 2,22,893 करोड़) के सापेक्ष 7.44 प्रतिशत की वृद्धि}। यद्यपि, 2019–20 से 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के अंश में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 12.85 प्रतिशत (2019–20) से बढ़कर 15.31 प्रतिशत (2023–24) हो गया । अनम्य व्यय 2022–23 में ₹ 56,770 करोड़ से 15.90 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2023–24 में ₹ 65,798 करोड़ हो गया। अनम्य व्यय 2019–20 (₹ 38,391 करोड़) से 2023–24 में बढ़कर (₹ 65,798 करोड़) हो गया।

कुल मिलाकर, वर्ष 2023–24 में प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय ₹ 3,05,285 करोड़, राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय में उर्ध्वगामी वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा पूँजी सृजन के लिये लचीलेपन में कमी प्रदान करती है।

सब्सिडी पर व्यय

गैर प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत सब्सिडी में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, जो वर्ष 2019–20 में ₹ 14,092 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 24,736 करोड़ हो गयी अर्थात वर्ष 2019–20 मे कुल राजस्व व्यय का 3.85 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 मे 5.31 प्रतिशत हो गयी। उर्जा क्षेत्र में सब्सिडी एक महत्वपूर्ण अंश था, जो इस अवधि में कुल सब्सिडी का 52 से 68 प्रतिशत था।

अतिरिक्त बजट ऋण

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 910 करोड़ के गैर बजट ऋण को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से ₹ 38,464.14 करोड़ अतिरिक्त बजट ऋण जुटाये थे; जो राज्य के संचित निधि में नहीं आ रहे थे, जबकि इसका पुनर्भुगतान एवं सर्विस बजट के माध्यम से किया जाना है।

प्रत्याभूति के आधार पर आकस्मिक दायित्व

वर्ष 2023–24 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,63,399.82 करोड़ थी। वर्ष 2023–24 के अन्त में कुल बकाया प्रत्याभूति जीएसडीपी का 6.41 प्रतिशत थी। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से ₹ 4.43 करोड़ का प्रत्याभूति कमीशन प्राप्त हुआ।

राजकोषीय संवहनीयता

राजकोषीय संवहनीयता को समग्र राजकोषीय मापदण्ड के सन्दर्भ में जाँचा जाता है जैसे कि घाटा, ऋण और दायित्वों का स्तर, अतिरिक्त बजट ऋण की प्रतिबद्धता, प्रतिभूतियाँ, सब्सिडी इत्यादि। जहाँ तक राजस्व तथा व्यय में भिन्नता का सम्बन्ध है, प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय महत्वपूर्ण बाधा में से एक है जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, आरक्षित निधि को अन्तरण तथा स्थानीय निकाय को अन्तरण के लिये प्रतिबद्धता से उत्पन्न हो रहे अन्य अनम्य व्यय भी हैं।

एफआरबीएम अपेक्षाएं तथा राजकोषीय मापदण्डों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत में ऋण के लिये कुछ सीमाओं का निर्धारण करते हैं। 2023–24 में राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम में राजस्व घाटे के लिये निर्धारित लक्ष्य शून्य के सापेक्ष ₹ 36,013.28 करोड़ राजस्व अधिशेष दर्ज किया। अग्रेतर, राजकोषीय घाटा वर्ष 2023–24 में ₹ 80,722.64 करोड़ था, जो एफआरबीएम में 3.39 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 3.17 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 में सकल अवशेष देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 29.58 प्रतिशत था, जो मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2023 में निर्धारित लक्ष्य (32.10 प्रतिशत) के अन्दर था।

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदण्डों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/प्राधिकरणों के माध्यम से अतिरिक्त बजट ऋण का सहारा लिया। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को अवशेष गैर बजट ऋण ₹ 38,464.14 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2023–24 में ₹ 910 करोड़ का लिया गया ऋण सम्मिलित है। अग्रेतर, यदि गैर बजट ऋण परिमाण को ऋण के अंश के रूप में सम्मिलित किया जाये तो राज्य का सकल दायित्व (लोक ऋण तथा लोक लेखा देयताओं को सम्मिलित करते हुए) जीएसडीपी का 31.09 प्रतिशत था।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार का लोक ऋण 2019–20 से 2023–24 के मध्य 12.86 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर के आधार पर बढ़ा। उत्तर प्रदेश का लोक ऋण–जीएसडीपी अनुपात 2019–20 में 24.50 से बढ़कर 2023–24 में 26.18 प्रतिशत हो गया। तथापि, डोमर माडल विश्लेषण के अनुसार 2019–20, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में ब्याज की वृद्धि दर जीएसडीपी वृद्धि दर (जी–आर>0) से कम थी। तथापि, डोमर गैप (जी–आर) के विश्लेषण के अनुसार ब्याज की वास्तविक वृद्धि दर 2020–21 में वास्तविक आर्थिक वृद्धि को पार कर गयी थी। धनात्मक डोमर गैप प्राथमिक आधिक्य के साथ 2021–22 में ऋण/जीएसडीपी अनुपात में कमी लाता है। अग्रेतर, 2023–24 में प्राथमिक घाटे के बावजूद, 2023–24 में धनात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त था और प्राथमिक रूप से ऋण जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को घटाने में योगदान करता है। अग्रेतर, विगत पाँच वर्षों में ऋण जीएसडीपी अनुपात में उतार चढ़ाव रहा और इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि ऋण स्थिरीकरण के मार्ग पर है।

बजट प्रदर्शन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय उद्देश्य और बजट कार्यान्वयन के सन्दर्भ में बजट प्रदर्शन की जाँच यह आंकलन करने के लिये की जाती है कि मूल रूप से अनुमोदित राशि के सन्दर्भ में कुल व्यय परिणाम के बचत और आधिक्य दोनों की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खण्ड में, बजट अनुमान (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 16.46 प्रतिशत था। यह 53 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 29 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य एवं नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य में विचलन के कारण था। पूँजी खण्ड में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 29.99 प्रतिशत था। यह 42 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, नौ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 34 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक छः अनुदानों मे विचलन के कारण था।

व्यय संरचना परिणाम

बजट प्रदर्शन यह भी दर्शाता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणी के मध्य पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में परिवर्तनशीलता में किस सीमा तक योगदान दिया है। यह उपाय अन्तिम बजट और वास्तविक व्यय में भिन्नता की सीमा को इंगित

करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व खण्ड के परिणाम में संशोधित अनुमान (आरई) से विचलन (-)8.10 प्रतिशत था। यह 72 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, सात अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य विचलन के कारण था। पूँजी खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (-) 26.43 प्रतिशत था। यह 44 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 27 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक चार अनुदानों में विचलन के कारण था।

वर्ष 2023–24 के दौरान 72 प्रकरणों में (जहाँ प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या ₹ एक करोड़ से अधिक) ₹ 3,312.20 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान राजस्व मतदेय खण्ड के अन्तर्गत 39 प्रकरण एवं पूँजी मतदेय खण्ड के अर्न्तगत 33 प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये अनावश्यक सिद्व हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि वास्तविक व्यय और कुल बजट के साथ–साथ वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच विचलन क्रमशः 23 प्रतिशत और 14 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई प्रकरणों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। ऐसे विचलनों को रोकने के लिए एक विश्वसनीय बजट तैयार करने की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता उन मदों, लेनदेन और घटनाओं को सम्मिलित करती हैं जो अनुपालन में अन्तराल, नियमितता की कमियाँ और उन लेखा–अभिलेखों या समायोजन अभिलेख की प्राप्ति में विलम्ब के प्रकरणों से सम्बन्धित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखाकंन और वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित प्रकरणों जैसे सरकारी लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ, देनदारियों के ना या कम निर्वहन एवं लेनदेन के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालती हैं।

अनुदानों/विनियोजनों से अधिक का नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित कराना था। यह पाया गया कि 2005–06 से 2023–24 से सम्बन्धित ₹ 32,533.56 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

मिलान

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 124 के अनुसार मुख्य नियन्त्रण अधिकारियों (सीसीओ)/ नियन्त्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा उनकी प्राप्तियों एवं व्ययों का महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखों में दर्ज किये गये आँकड़ों से मिलान अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा 2023–24 में मिलान हेतु नियत कुल व्यय का 97.33 प्रतिशत एवं कुल प्राप्तियों का 99.60 प्रतिशत मिलान किया गया।

आईजीएएस का अनुपालन

भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं के सापेक्ष राज्य सरकार ने आईजीएएस-I : सरकार द्वारा दी गयी गारण्टियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताओं, आईजीएएस-II : सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण, आईजीएएस-III : सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का आंशिक अनुपालन किया गया।

वैयक्तिक जमा खाते का संचालन

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि वैयक्तिक जमा लेखे के प्रशासकों को कोषागार के आँकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन करना आवश्यक था एवं महालेखाकार को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। तथापि, वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य के पीडी लेखाओं के 12 प्रशासकों में से केवल छः प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़ों से अपनी शेष राशि का मिलान एवं सत्यापन किया था।

एकल नोडल एजेंसी को निधियाँ

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन एवं निधियों के प्रवाह हेतु एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) प्रणाली लागू की गयी है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंश को राज्य सरकार के लेखे के बाहर सम्बन्धित एसएनए के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, राज्य सरकार को अपने कोषागार खातों में वर्ष 2023–24 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 61,528.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त ₹ 34,895.37 करोड़ का केन्द्रीय अंश और ₹ 41,267.26 करोड़ का राज्यांश एसएनए को हस्तांतरित कर दिया। सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 19,478.31 करोड़ बिना व्यय के पड़े हैं।

सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समयावधि के अन्दर सशर्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2024 तक वर्ष 2001–02 से वर्ष 2022–23 (सितम्बर 2022 तक) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 11,872.95 करोड़ के सहायता अनुदान के 17,963 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वितरित अनुदान सहायता उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इन्हें विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता प्रमाणपत्रो की अधिक संख्या में लंबित रहने से धन के गबन, विपथन और दुरुपयोग का जोखिम भी बढ़ गया था।

सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसी) बिल

सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से लिये गये अग्रिम धन के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद

31 मार्च 2024 तक ₹ 3.11 करोड़ के 524 एसी बिल के सापेक्ष डीसी बिल प्रस्तुत किये जाने हेतु लम्बित थे जिसमें से ₹ 2.95 करोड़ के 510 एसी बिल वर्ष 2022–23 की अवधि से सम्बन्धित थे।

सरकारी लेखाओं के बाहर निधियाँ

राज्य सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) निर्गत किया। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। उत्तर प्रदेश बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को बोर्ड के पास ₹ 5,832.52 करोड़ उपलब्ध थे।

प्रचलित नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन में नियन्त्रण तथा दायित्व को प्रतिस्थापित करने के लिये होते हैं। सशर्त अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र का समय पर प्रस्तुत न किया जाना, एसी देयकों के सापेक्ष डीसी देयकों को प्रस्तुत न किया जाना, आईजीएएस का पूर्ण अनुपालन न किया जाना, सरकारी लेखाओं के बाहर निधियों का रहना लेखे की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।

अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश, भारत की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल (2,40,928 वर्ग कि0मी0) की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 75 जनपदों में विभाजित है। राज्य का जनसंख्या घनत्व[1] अखिल भारतीय औसत 426 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष 988 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है। वर्ष 2023–24 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को **तालिका 1.1 में** दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी एवं राज्य की जीएसडीपी (2011-12 सीरीज)[2]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
जीडीपी (2011–12 श्रेणी)	20103593	19854096	23597399	26949646	29535667
सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)	18381117	18210997	21635584	24659041	26762147
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.37	(-)1.24	18.85	14.21	9.60
विगत वर्ष के सापेक्ष जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.02	(-)0.93	18.81	13.97	8.53

---

1 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत भारत एवं राज्यों के लिये जनसंख्या अनुमान 2011–2036।

2 वर्ष 2020–21 से 2022–23 के लिये वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी तथा जीएसडीपी के अनुमानों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया है, इसलिये वर्ष 2020–21 से 2022–23 के प्रतिशत अनुपात/ जीडीपी/जीएसडीपी के विभिन्न मानदण्डों के सापेक्ष उछाल जो राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा के विगत प्रतिवेदनों में वर्णित था, को भी संशोधित किया गया है।

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ में)	149915	146480	172422	194879	211725
उत्तर प्रदेश राज्य					
जीएसडीपी	1700062	1640097	1981367	2284104	2547861
सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए)	1555213	1508574	1830101	2112060	2323869
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.45	(-)3.53	20.81	15.28	11.55
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.79	(-)3.00	21.31	15.41	10.03
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	74679	71410	85293	97323	107468

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि **तालिका 1.1** में वर्णित है, वर्ष 2023–24 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में 11.55 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ₹ 25,47,861 करोड़ थी। जीएसडीपी में कोविड–19 महामारी से प्रभावित वर्ष 2020–21 में तुलनात्मक रूप से 3.53 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर देखी गयी। यद्यपि, राज्य की जीएसडीपी विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में 20.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 की अवधि में जीएसडीपी वृद्धि दर (11.55 प्रतिशत) जीडीपी वृद्धि दर (9.6 प्रतिशत) से अधिक थी। अग्रेतर, राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ 1,07,468) मे यद्यपि विगत वर्ष 2022–23 की तुलना मे 10.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तथापि, यह वर्ष 2023–24 में प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ 2,11,725) से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। जीवीए को जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़ देता है। जबकि जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, शासकीय उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूँजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्यय के योग के रूप में की जा सकती है तथा की भी जाती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में माँग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए आँकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी और जीएसवीए की प्रवृत्ति को नीचे दिए गए **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: जीएसडीपी के सापेक्ष जीएसवीए की वृद्धि दर (2019–20 से 2023–24)

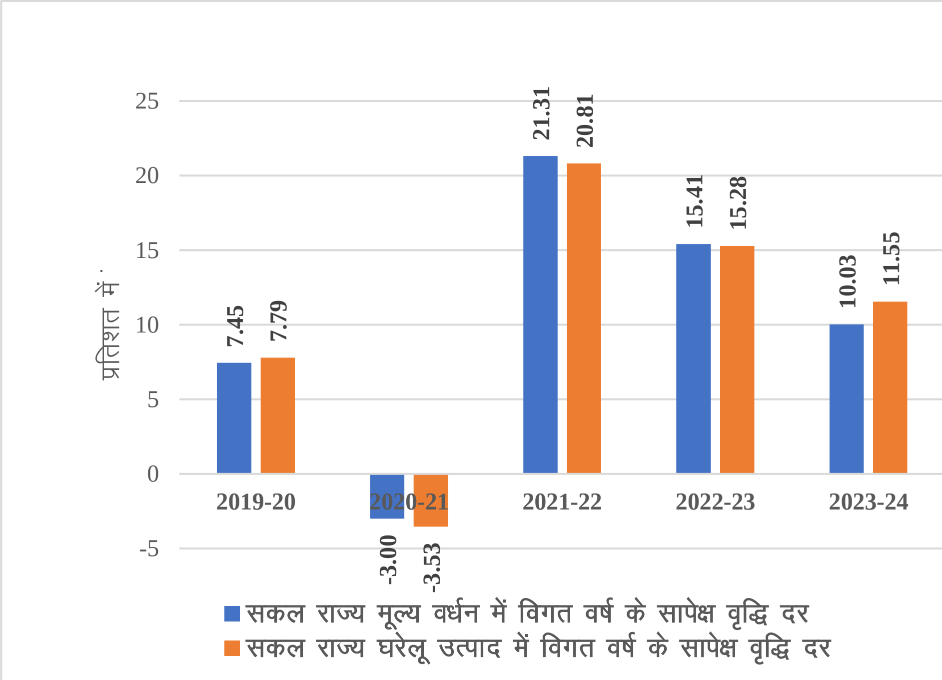

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में होने वाला परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः तीन मुख्य गतिविधियों में विभाजित किया जाता हैः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान की तुलनात्मक स्थिति और इस अवधि के दौरान क्षेत्रवार विकास दर को क्रमशः **चार्ट 1.2** और **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन

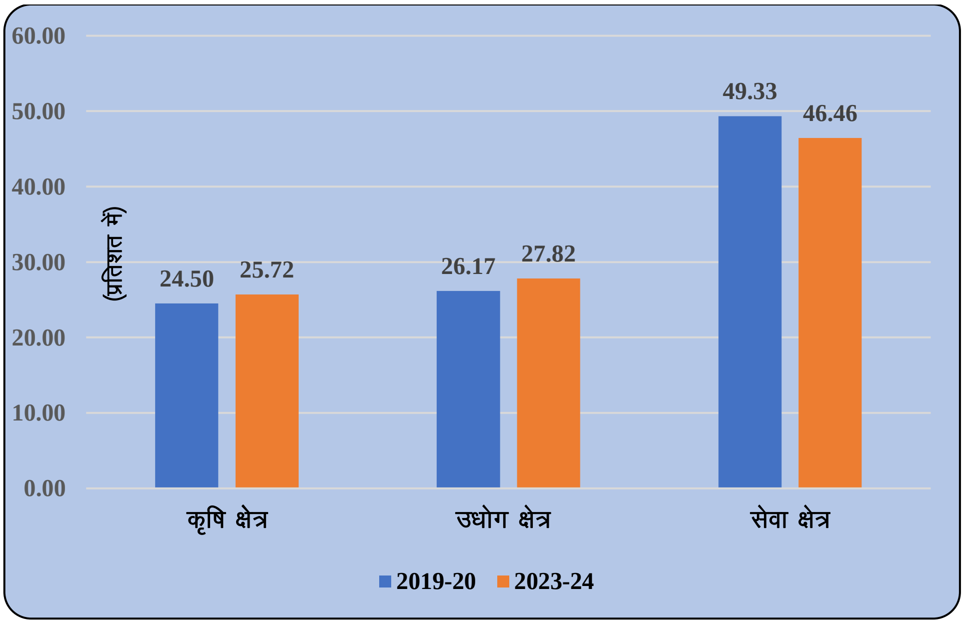

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

नोटः **कृषि क्षेत्र** में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मिलित हैं। **उद्योग क्षेत्र** में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं और निर्माण तथा **सेवा क्षेत्र** में व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, सम्पत्ति, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.3: 2019–24 की अवधि के दौरान जीएसवीए की क्षेत्रीय विकास दर

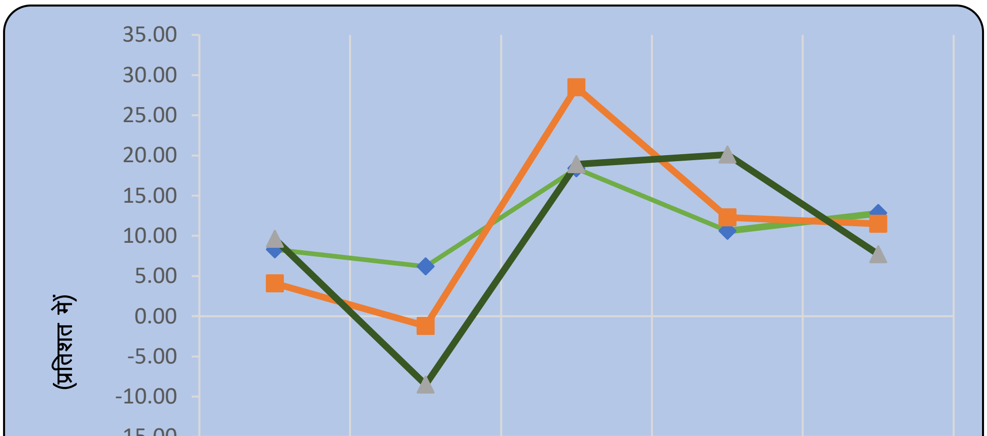

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कृषि क्षेत्र	8.32	6.18	18.37	10.60	12.81
उद्योग क्षेत्र	4.07	-1.22	28.47	12.27	11.49
सेवा क्षेत्र	9.60	-8.50	18.91	20.10	7.71

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.2 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 की अवधि में राज्य के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था, जिसके बाद उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का स्थान था। चार्ट 1.3 दर्शाता है कि वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र की विकास दर में कमी हुई थी, जबकि कृषि क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2022–23 की तुलना में वृद्धि हुई थी।

1.2 राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारम्भिक और सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखों की स्वतन्त्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है तथा उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के लिये मुख्य आँकड़े राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे के साथ–साथ राज्य के बजट अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आँकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस); तथा
- जीएसडीपी आँकड़े और राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकी।

वित्त आयोगों की संस्तुतियों, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम–2004, बजट अनुमानों के साथ–साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी), भारत सरकार की उत्कृष्ट प्रथाओं और दिशानिर्देशों के सन्दर्भ से भी विश्लेषण किया गया। एसएफएआर का मसौदा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजा गया (जनवरी 2025) । राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है ।

1.3 शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

i. राज्य की संचित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बाण्ड, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों के लिये भारत के संविधान में दी गयी प्रक्रिया के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा व्यय का प्राधिकार लम्बित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित करके की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2)}

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनका अन्तिम

लेखांकन लम्बित है) सम्मिलित हैं। संवितरण उपरान्त शेष निधि सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध है। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

बजट अभिलेख

यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमण्डल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर–राजस्व (स्वयं का कर–राजस्व, केन्द्रीय करों/शुल्कों का अंश), करेतर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय सम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्तियों के सृजन के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से सम्बन्धित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बाण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम, केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर–ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आदि।

पूँजीगत व्यय को मुख्य तौर पर एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस सम्पत्तियों में वृद्धि के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, पीएसई में निवेश पर व्यय सम्मिलित है।

वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियन्त्रक (सीजीए) द्वारा जारी संघ और राज्यों के खातों के प्रमुख और लघु शीर्षों (एलएमएमएच) की सूची में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/ विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4–अंकीय)
	उप–कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2–अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3–अंकीय)
राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2–अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2–अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक मद–वेतन, लघु कार्य, आदि (2–अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान में सहायता मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण, इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण, 4–अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक आधार द्वारा प्राप्त होता है। मानक मद बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.4 : शासकीय लेखे की संरचना

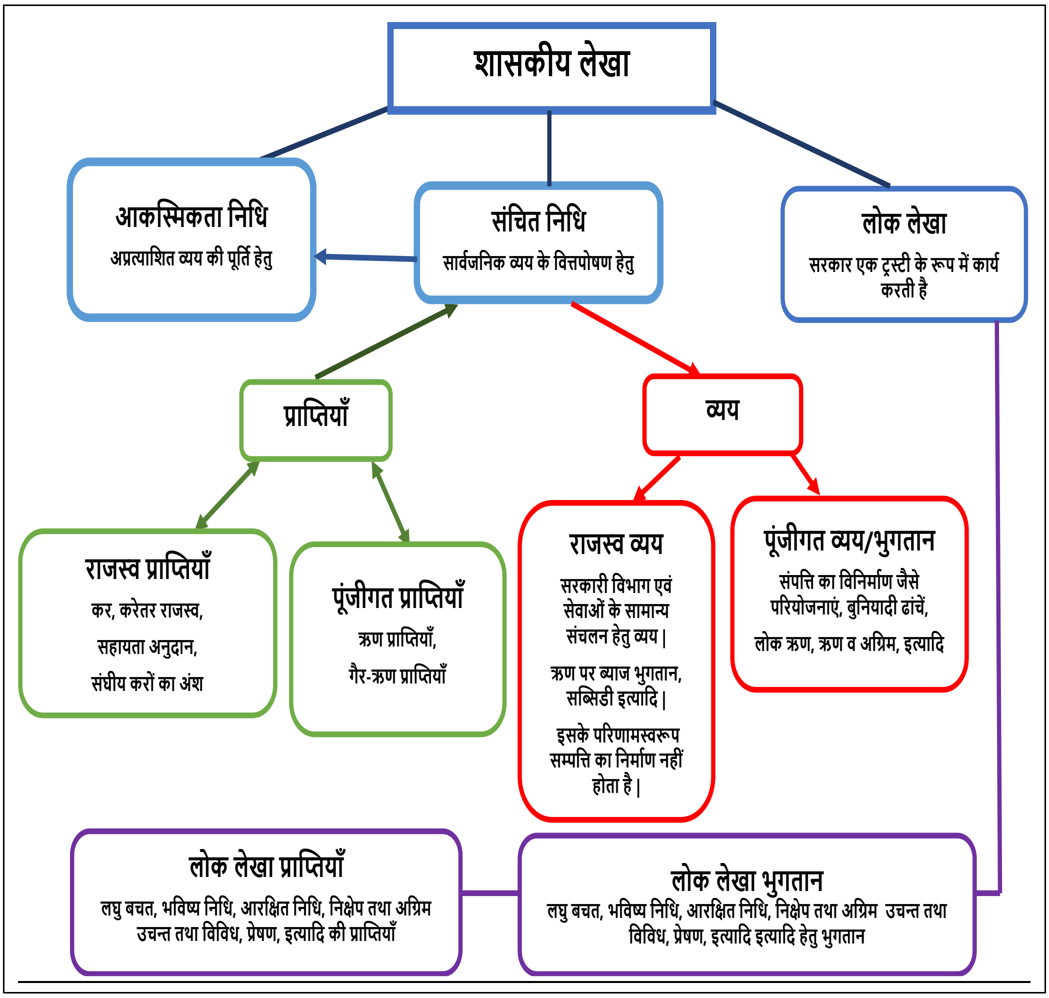

लोक ऋण एवं लोक दायित्वः इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' को बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये ऋण आदि को सम्मिलित करने के लिये लिया गया है। इस उद्देश्य हेतु मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004–लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

अग्रेतर, लोक लेखे के अन्तर्गत 'लघु बचत', 'भविष्य निधि' आदि, 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से सम्बन्धित लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें सरकार प्राप्त धन के पुनर्भगतान के लिये उत्तरदायी होती है तथा भुगतान धनराशि को वसूल करने का दावा रखती है। लोक लेखे के अन्तर्गत 'प्रेषण' और 'उचन्त' से सम्बन्धित लेन देन में कोषागारों और मुद्रा चेस्ट के मध्य नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखांकन सर्किलों के मध्य हस्तांतरण व समायोजन जैसे लेनदेन प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में, 'लोक दायित्व' के अन्तर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से सम्बन्धित लेनदेन के साथ–साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अन्तर्गत लेनदेन को भी सम्मिलित किया गया है।

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तांकित किया जाता है, जिसको कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों के साथ साथ, राजस्व और पूँजीगत लेखों द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम तथा लेखों में अंकित शेष राशि से आगणित किये गये राज्य सरकार के लोक ऋण एवं दायित्व तथा परिसम्पत्तियों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आँकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय से घटा कर लेखांकन के पश्चात् दर्शाए जाते हैं ।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय अनुदानों और भारित विनियोगों की राशियों के सापेक्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझने में सहायक होते हैं, अतः वित्त लेखों के पूरक हैं ।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमण्डल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण रखना होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार राज्य विधानमण्डल के समक्ष अनुदानों/विनियोजनों की माँगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक विधानमण्डल द्वारा पारित किया जाता है ताकि आवश्यक धनराशि का संचित निधि से विनियोग किया जा सके।

उत्तर प्रदेश का बजट मैनुअल बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और अपनी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय प्रयासों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में दिया गया है।

1.4 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 में वर्ष 2022–23 के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: 2022—23 के वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष 2023—24 के बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट अनुमान)	2023-24 (वास्तविक)	2023-24 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2023-24 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	कर राजस्व, जिसमें	343832.45	445871.59	395749.04	88.76	15.53
(i)	*स्वकर राजस्व*	174087.15	262634.00	193129.35	73.54	7.58
(ii)	*केन्द्रीय करों/शुल्कों का अंश*	**169745.30**	**183237.59**	**202619.69**	**110.58**	**7.95**
2.	करेतर राजस्व	13489.46	23790.77	14249.49	59.90	0.56
3.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	59919.59	101203.30	55802.62	55.14	2.19
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	417241.50	570865.66	465801.15	81.60	18.28
5.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर—ऋण पूँजीगत प्राप्ति)	1337.32	3312.18	1834.43	55.38	0.07
6.	विविध ऋण प्राप्तियां	0	0	0	--	--
7.	उधार एवं अन्य दायित्व*	**64636.26**	**84883.16**	**80722.64**	**95.10**	**3.17**
8.	**कुल प्राप्तियाँ (4+5+6+7)**	**483215.08**	**659061.00**	**548358.22**	**83.20**	**21.52**
9.	राजस्व व्यय, जिसमें	379978.06	502354.01	429787.87	85.55	16.87
10.	*ब्याज भुगतान*	43007.98	50255.56	47277.31	94.07	1.86
11.	पूँजीगत व्यय	93028.39	147492.29	110555.39	74.96	4.34
12.	ऋण और अग्रिम का संवितरण	10208.63	9214.70	8014.96	86.98	0.31
13.	**कुल व्यय (9+11+12)**	**483215.08**	**659061.00**	**548358.22**	**83.20**	**21.52**
14.	**राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-9)**	**37263.44**	**68511.65**	**36013.28**	**52.57**	**1.41**
15.	**राजकोषीय घाटा{13-(4+5+6)}**	**64636.26**	**84883.16**	**80722.64**	**95.10**	**3.17**
16.	**प्राथमिक घाटा(15-10)**	**21628.28**	**34627.60**	**33445.33**	**96.59**	**1.31**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

****** *उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्ति—संवितरण) +निवल आकस्मिकता निधि +निवल लोक लेखा (प्राप्ति—संवितरण) +प्रारम्भिक एवं अन्तिम नकद कोष की निवल राषि ।*

वर्ष 2023—24 के दौरान राज्य का कर राजस्व बजट अनुमानों में किए गए अनुमानों से 11.24 प्रतिशत कम था। राज्य ने वर्ष 2023—24 की अवधि में ₹ 36,013.28 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष दर्ज किया था, जो कि बजट 2023—24 में किए गए अनुमानों की तुलना में 47.43 प्रतिशत कम था। अग्रेतर, वर्ष 2023—24 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 80,722.64 करोड़ था, जो राज्य सरकार के बजट अनुमान से 4.90 प्रतिशत कम था और यह जीएसडीपी का 3.17 प्रतिशत था।

1.4.1 सरकार की सम्पत्तियों और दायित्वों का आशुचित्र

शासकीय लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्व और किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियां तथा आरक्षित निधियाँ सम्मिलित हैं और सम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम और नकद शेष सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2023 की तुलना में 31 मार्च 2024 को दायित्वों और परिसम्पत्तियों का सार जैसा कि राज्य के 2023–24 के वित्त लेखे के विवरण–1 में दर्शाया गया है, **तालिका 1.3** में दिया गया है ।

तालिका 1.3: परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व					परिसम्पत्तियां				
विवरण		31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत	विवरण		31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
संचित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	533476.54	614778.94	15.24	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	798573.16	909128.55	13.84
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	34364.15*	52327.08	52.27	ब	ऋण और अग्रिम	36752.10	42932.63	16.82
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि (कार्पस)		1200.00	1200.00	0.0	आकस्मिकता निधि (गैर–प्रतिपूर्ति)		0.06	125.58	209200
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	59727.44	60675.35	1.59	अ	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	58.58	58.58	-
ब	निक्षेप	27636.11	29900.16	8.19	ब	प्रेषण	0	0	-
स	आरक्षित निधि	12611.99	17190.69	36.30	स	उचन्त एवं विविध अवशेष	1716.13	1690.96	(-)1.47
द	प्रेषण	952.62	245.49	(-)74.23	नकद कोष (निर्धारित निधि द्वारा निवेश सहित)		32848.19	58373.96	77.71
य	व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	199979.37	235992.55	18.01	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य		0	0	-
योग		**869948.22**	**1012310.26**	**16.36**	योग		**869948.22**	**1012310.26**	**16.36**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

** इसमें जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष अवधि 2020–21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021–22 में (₹ 8,139.40 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण की प्राप्ति सम्मिलित है, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।*

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अनुसार, सकल दायित्वों का अर्थ राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत दायित्व हैं। वित्त लेखे का विवरण–6 राज्य के सकल दायित्वों को दर्शाता है। 31 मार्च 2024 को राज्य का सकल दायित्व ₹ 7,67,872.25 करोड़ हो गया, जिसमें राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (₹ 6,14,778.94 करोड़), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 52,237.09 करोड़) और अन्य लोक लेखा दायित्व (₹ 1,00,766.22 करोड़) सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2023 तक सकल दायित्व ₹ 6,62,316.26 करोड़ के सापेक्ष वृद्धि (₹ 1,05,555.99 करोड़) में विगत वर्ष से आन्तरिक ऋण में 15.24 प्रतिशत (₹ 81,302.40 करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 52.27 प्रतिशत (₹ 17,962.93 करोड़) की निवल वृद्धि मुख्य कारण थी। राज्य सरकार के ऋण प्रबन्धन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय II** में दिया गया है।

1.5 राजकोषीय अवशेष : घाटे और सकल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 को राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, बेहतर ऋण प्रबन्धन की स्थापना, राज्य सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु तथा एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढाँचे का प्रयोग करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया। इस सन्दर्भ में यह अधिनियम, घाटे के उपायों और ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

समय–समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में प्रावधानित प्रमुख वित्तीय संकेतकों के सापेक्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राज्य का प्रदर्शन **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4 : यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक शून्य राजस्व घाटा	67560	(-) 2367	33430	37263	36013
		✓	✗	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	2019–20 में अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत, 2020–21 के लिए पाँच प्रतिशत और 2021–22 के लिए चार प्रतिशत और 2022–23 के लिये 3.5 प्रतिशत एवं 2023–24 के लिए 3.39 प्रतिशत से अधिक नहीं	11083	(-) 54622	(-) 39286	(-) 64636	(-) 80723
		0.65	(-) 3.33	(-) 1.98	(-) 2.83	(-) 3.17
		✓	✓	✓	✓	✓

मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल बकाया दायित्व* का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2019–20 के दौरान 30.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	29.55	34.08	30.22	28.38	29.58
		✓	वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टाक का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।			

स्रोतः राज्य सरकार के बजट अभिलेख, समय–समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित दायित्वों के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है ।*

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है, वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे और जीएसडीपी का अनुपात यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर था। अग्रेतर, औसतन, जीएसडीपी के अनुपात में सकल दायित्व द्वारा मापा गया राज्य का ऋण स्टाक अवधि 2019–24 के दौरान उतार–चढ़ाव भरा रहा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि राज्यों के राजकोषीय रोडमैप के सम्बन्ध में पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होने के बाद जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टाक के लक्ष्य तय करने की कार्यवाही की जाएगी। यद्यपि, जीएसडीपी के लिए कुल बकाया ऋण का अनुपात (29.58 प्रतिशत) वर्ष 2023–24 के लिए सांकेतिक ऋण सूचक के रूप में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (जीएसडीपी का 40.50 प्रतिशत) के अन्दर था।

1.5.1 मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी)

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमण्डल के दोनों सदनों के पटल पर वार्षिक बजट के साथ–साथ एक मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी, निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय प्रवाहित लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थितिः एमटीएफआरपी में अनुमानित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक

वर्ष 2023–24 के वास्तविक आँकड़ों के साथ राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2023 में अनुमानित राजकोषीय मापदण्डों के लक्ष्यों की तुलना **तालिका 1.5** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.5: वर्ष 2023–24 में एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजकोषीय घटक	एमटीएफआर पी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2023–24)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्वकर राजस्व	262634	193129	(-)26.46
2	करेतर राजस्व	23791	14249	(-)40.11
3	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	183238	202620	10.58
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	101203	55803	(-)44.86
5	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)**	**570866**	**465801**	**(-)18.40**
6	राजस्व व्यय	**502354**	**429788**	(-)**14.45**
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	68512	36013	(-)47.44
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)84883	(-)80723	(-)4.90
9	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)34627	(-)33445	3.41
10	*ऋण स्टाक–जीएसडीपी अनुपात* (प्रतिशत)*	*32.10*	*29.58*	(-)*7.85*
11	*वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत)*[3]	*19.08*	*11.55*	*32.70*

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

****जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित दायित्वों के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।***

जैसा कि **तालिका 1.5** में वर्णित है, 2023–24 के लिए एमटीएफआरपी में ₹ 68,512 करोड़ के राजस्व अधिशेष के अनुमान के सापेक्ष राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 36,013 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जो मुख्य रूप से एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,05,065 करोड़ (18.40 प्रतिशत) की कमी के कारण था, जो एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में स्वकर राजस्व (₹ 69,505 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 9,542 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदानों (₹ 45,400 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण था। यद्यपि, एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय करों/शुल्कों में ₹ 19,382 करोड़ की वृद्धि हुई थी। आगे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बजट अनुमानों की तुलना में स्वकर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 33,065 करोड़) के मद में थी, इसके बाद राज्य आबकारी शुल्क (₹ 12,429 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 10,662 करोड़), स्टाम्प और निबन्धन शुल्क (₹ 7,599 करोड़) तथा वाहनों पर कर (₹ 1,467 करोड़) कमी के कारण थे ।

राजस्व व्यय में एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष (₹ 72,566 करोड़) कमी, सामान्य सेवाओं (₹ 38,646 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 30,593 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 3,327 करोड़) क्षेत्रों के अन्तर्गत कम व्यय के कारण थी। प्रतिवेदन के **अध्याय II** में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

---

[3] एमटीएफआरपी 2023 में, राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 तथा 2023–24 के लिए क्रमशः ₹ 20,48,324 करोड़ तथा ₹ 24,39,171 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का अनुमान लगाया था।

1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2019–24 की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का रुझान विश्लेषण यथा–घाटे के मानक (राजकोषीय घाटा/अधिशेष, राजस्व घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष), जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे का अनुपात तथा जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय दायित्वों को निम्नांकित **चार्ट 1.5, 1.6 एवं 1.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: अधिशेष/घाटे के मानकों की प्रवृत्ति

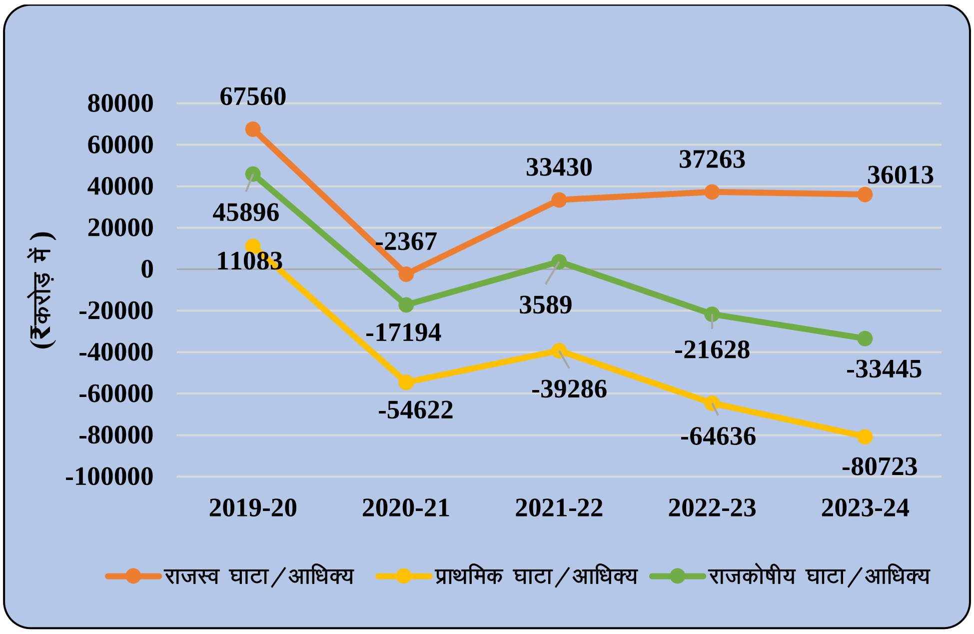

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व अधिशेष, प्राथमिक अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के करेतर राजस्व में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अन्तरण के कारण था।

चार्ट 1.6: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

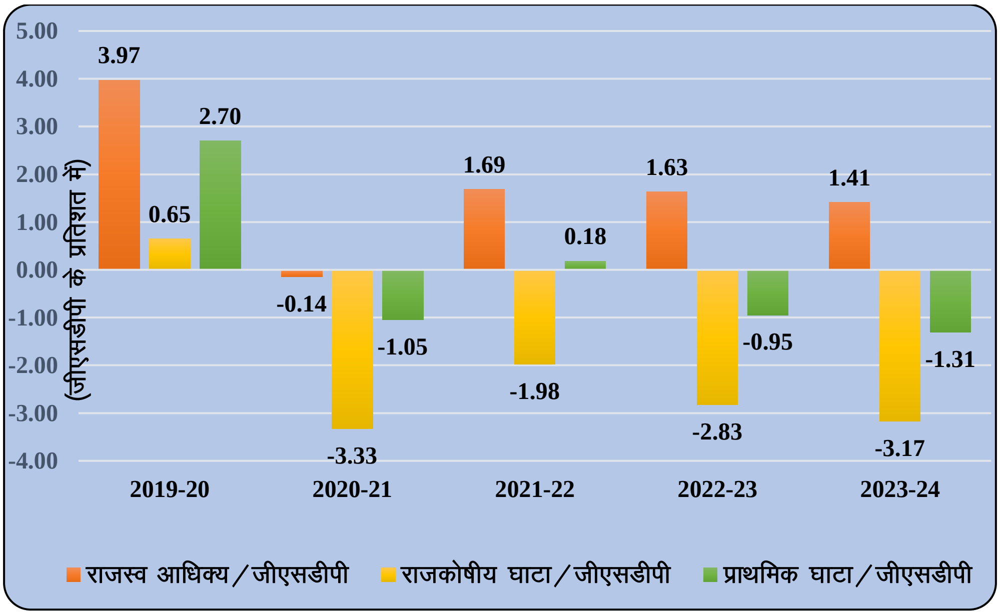

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.7: जीएसडीपी तथा राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्ति

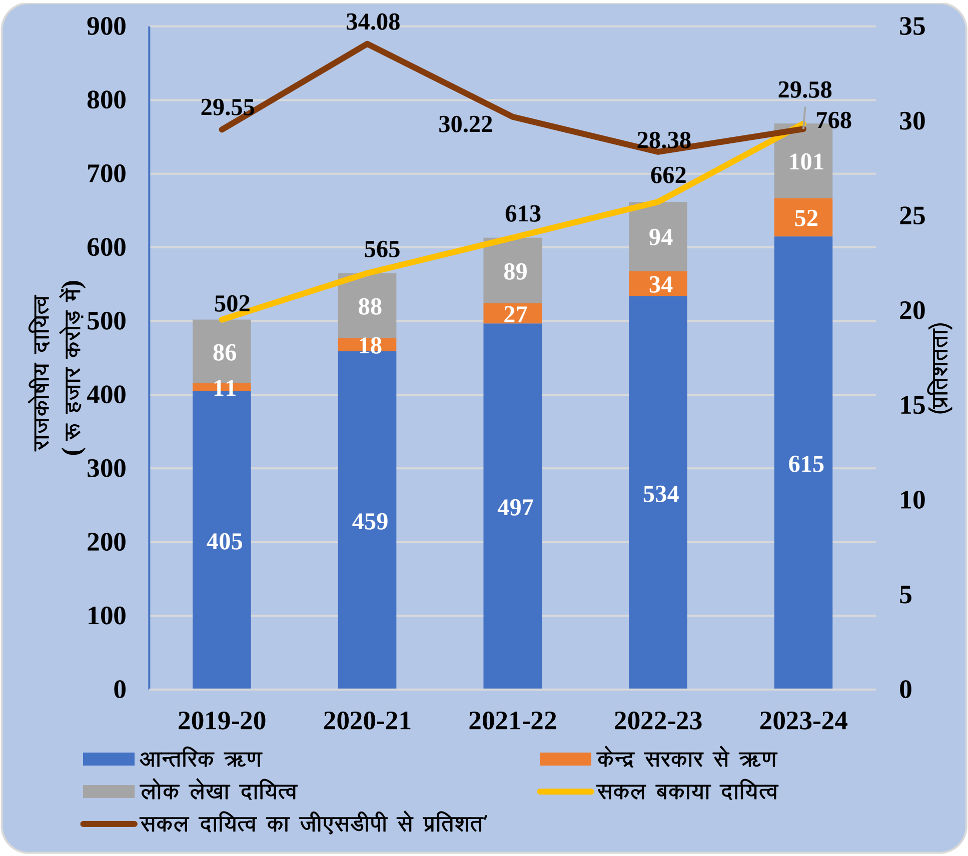

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

** जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित दायित्वों के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021–22, 2022–23, तथा 2023–24 (₹ 14,146 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।*

राज्य का सकल लम्बित दायित्व 2019–20 से 2023–24 की अवधि में लगातार बढ़ा हैं। आन्तरिक ऋण वर्ष 2019–20 में ₹ 4,05,049 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 6,14,779 करोड़ हो गया। वर्ष 2023–24 में राज्य का लम्बित राजकोषीय दायित्व विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,05,555 करोड़ (15.94 प्रतिशत) बढ़ गया। जीएसडीपी के सापेक्ष सकल ऋण के प्रतिशत में 2020–21 (34.08 प्रतिशत) से वर्ष 2023–24 (29.58 प्रतिशत) की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी ।

1.6 लेखापरीक्षा में जाँचोपरान्त घाटा और सकल ऋण

राज्य की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने में घाटा तथा ऋण की स्थिति दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के माध्यम से अग्रेतर किसी भी वित्तीय सहायता की पेशकश करते समय भी गम्भीर रूप से देखा जाता है। राज्य के वित्त की सही स्थिति को दर्शाने के लिए, राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय में वर्गीकरण एवं अतिरिक्त बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा कि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया, का विवरण निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है ।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त–घाटा/अधिशेष

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा राज्य के लिए गणना के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित होता है, जैसे कि राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण और इसके विपरीत, ब्याज को ब्याज युक्त आरक्षित निधि में जमा नहीं किया जाना आदि, जिन पर प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्यायों में चर्चा की गई है । वास्तविक घाटे/अधिशेष के आँकड़ों पर पहुँचने के लिए राजस्व व्यय/पूँजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को सम्मिलित करने की आवश्यकता है और उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव का समाधान करने और उचित रूप से सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 की अवधि में राज्य के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे को क्रमशः ₹ 3,926.56 करोड़ अधिक और ₹ 3,643.17 करोड़ कम प्रदर्शित किया गया है, जिसे **तालिका 1.6** में आगणित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव के परिणाम को **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान *(प्रस्तर 2.5.2.1 में सन्दर्भित)*	1639.76	-	-	1639.76
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में ब्याज जमा नही किया जाना *(प्रस्तर 2.5.2.3 में सन्दर्भित)*	14.18			14.18
राज्य आपदा शमन निधि में ब्याज जमा नही किया जाना *(प्रस्तर 2.5.2.4 में सन्दर्भित)*	32.48			32.48
प्रत्याभूति विमोचन निधि मे कम अंशदान किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.5 में सन्दर्भित)	1707.81			1707.81
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज जमा नही किया जाना *(प्रस्तर 2.5.2.6 में सन्दर्भित)*	34.01			34.01
राजस्व से पूँजीगत और इसके विपरीत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण *(प्रस्तर 3.2.2. में सन्दर्भित)*	283.39	-	-	0
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की शेष राशि पर ब्याज जमा नहीं किया जाना *(प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)*	33.29	-	-	33.29
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि में निधि का अन्तरण न किया जाना *(प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)*	181.64			181.64
निवल प्रभाव	**₹ 3926.56** करोड़ (राजस्व अधिशेष का अतिरेक)		**₹ 3643.17** करोड़ (राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति)	

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24 और लेखा परीक्षा विश्लेषण

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	न्यूनोक्ति/ अतिरेक	वास्तविक/लेखा परीक्षा जाँच के उपरान्त
1	2	3	4	5 = 3-4
1	**राजस्व अधिशेष**	36013.28	(-)3926.56	32086.72
2	**राजकोषीय घाटा**	80722.64	3643.17	84365.81

स्रोतः लेखापरीक्षा विश्लेषण

1.7 लेखापरीक्षा उपरान्त–सकल लोक ऋण

ऋण के सामान्य घटकों के अतिरिक्त, यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से उधार आदि, 'सकल बकाया लोक ऋण' की व्यापक परिभाषा में गैर बजट उधार भी सम्मिलित है। गैर–बजट उधार या गैर–बजट वित्तपोषण आमतौर पर किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को परिलक्षित करता है, जो अनुदान/विनियोग की माँग के लिए उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में परिलक्षित नहीं होते हैं और इसलिए विधायिका के नियन्त्रण से बाहर रहते हैं। इन्हें सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार उधार के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। यद्यपि, सरकार को अपने बजट से कर्ज चुकाना/प्रतिपूर्ति करना होता है।

राज्य सरकार, इस तरह के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से बजट के इतर ऋण लेकर निर्धारित शुद्ध उधार सीमा की उपेक्षा कर सकती है। बजट में दर्शाये बिना इस तरह के दायित्वों का निर्माण, पारदर्शिता और अन्तर–पीढ़ीगत सहभागिता, दोनों पर प्रश्न उठाता है। इस तरह के अतिरिक्त–बजट उधार बजट प्रपत्रों या लेखों में प्रकटीकरण कथनों में नहीं लिए जाते हैं और न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है।

लेखापरीक्षा की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने गैर बजट ऋण की सहायता ली, जिस पर प्रतिवेदन के **प्रस्तर 4.1** में विस्तार से चर्चा की गई है। 31 मार्च 2024 तक, ₹ 38,464.14 करोड़ का गैर–बजट ऋण बकाया था, जिसका राज्य के समग्र ऋण स्टाक पर प्रभाव है, जैसा कि **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : 31 मार्च 2024 को अवशेष ऋण/दायित्व के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे 2023–24 के अनुसार ऋण तथा अन्य देयताएं	धनराशि
आंतरिक ऋण (अ)	**614778.94**
बाजार ऋण	537117.50
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	47412.95
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	30126.31
अन्य ऋण	122.18

वित्त लेखे 2023–24 के अनुसार ऋण तथा अन्य देयताएं	धनराशि
भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम (ब)	**52327.09**
अर्थोपाय अग्रिम	1.43
वर्ष 1984–85 से पूर्व के ऋण	9.94
संसाधनों में अन्तर की प्रतिपूर्ति हेतु ऋण	14146.94
ब्लाक ऋण	600.91
विशेष सहायता	70.72
अन्य ऋण	37497.15
लोक लेखा दायित्व (स)	**100766.22**
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आदि	60675.37
आरक्षित निधियाँ	10190.69
जमा	21131.31
जमा, जिनका प्रभाजन उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य होना है	8768.85
योग (अ+ब+स)	**767872.25**
गैर बजटीय ऋण	
वर्ष 2023–24 में गैर बजटीय ऋण	910.00
दिनाँक 31.03.2024 को गैर बजटीय ऋण	**38464.14**
महायोग	**806336.39**

***स्रोतः** वित्त लेखे 2023–24 एवं वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त सूचनाएं*

इस प्रकार, गैर–बजटीय ऋण को सम्मिलित करते हुए 31 मार्च 2024 को राज्य का सकल ऋण/दायित्व ₹ 8,06,336.39 करोड़ था। तथापि, 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान प्राप्त बैक–टू–बैक ऋण को छोड़कर, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में राज्य को कोई पुनर्भुगतान देनदारी नहीं होने के कारण, सकल ऋण और अन्य दायित्व ₹ 7,92,189.45 करोड था, जो वर्ष 2023–24 के दौरान जीएसडीपी का 31.09 प्रतिशत था।

अध्याय - II

राज्य के वित्त

अध्याय-II

राज्य के वित्त

2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

तालिका 2.1: वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि ✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 10.94 प्रतिशत की वृद्धि ✓ गैर–कर प्राप्तियों में 5.63 प्रतिशत की वृद्धि ✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 19.37 प्रतिशत की वृद्धि ✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 6.87 प्रतिशत की कमी
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 13.11 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.00 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.68 प्रतिशत की वृद्धि ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 27.96 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सहायता अनुदान तथा अंशदान पर व्यय (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं योगदान) में 31.74 प्रतिशत की वृद्धि
पूँजीगत प्राप्तियां	✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 80.49 प्रतिशत की वृद्धि ✓ गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 37.17 प्रतिशत की वृद्धि
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 18.84 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 53.57 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 12.55 प्रतिशत की वृद्धि ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 20.07 प्रतिशत की वृद्धि
ऋण और अग्रिम	✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 21.49 प्रतिशत की कमी ✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 37.17 प्रतिशत की वृद्धि
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 80.49 प्रतिशत की वृद्धि ✓ लोक ऋण के पुनर्भुगतान में 5.74 प्रतिशत की कमी
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 15.34 प्रतिशत की वृद्धि ✓ लोक लेखा से संवितरण में 15.95 प्रतिशत की वृद्धि
रोकड़ अवशेष और निवेश	✓ 31 मार्च 2023 की तुलना में 31 मार्च 2024 को नकद शेष और निवेश में ₹ 25,525.77 करोड़ (77.71 प्रतिशत) की वृद्धि।

स्रोत : सम्बन्धित वर्ष के वित्त लेखे

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2019–24 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े ***परिशिष्ट 2.1*** में दिये गये हैं। **तालिका 2.2** वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों व उप–घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.2: वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

	विवरण	2022–23 (₹करोड़ में)	2023–24 (₹ करोड़ में)	वृद्धि / कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	44533	32848	(-)26.24
	राजस्व प्राप्तियां	417241	465801	11.64
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1337	1834	37.17
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	44156	99265	124.81
	विविध पूँजी प्राप्तियां	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)*	8795	7109	(-)19.17
	आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0	397	-
	योग	**516062**	**607254**	**17.67**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	379978	429788	13.11
	पूँजीगत व्यय	93028	110555	18.84
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	10208	8015	(-)21.49
	आकस्मिकता निधि से संवितरण	0.06	522	-
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	32848	58374	77.71
	योग	**516062**	**607254**	**17.67**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* *मुख्यशीर्ष 8671–विभागीय अवशेष, 8672–स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673–रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरम्भिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन–देन को छोड़कर।*

2.2.1 वर्ष 2023–24 के दौरान निधियों के घटक–वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2023–24 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग

संसाधनों के संघटन (प्रतिशत में)

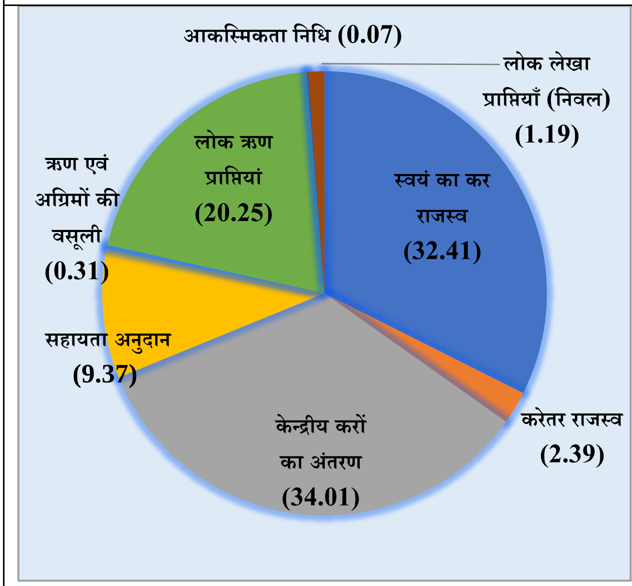

संसाधनों के अनुप्रयोग (प्रतिशत में)

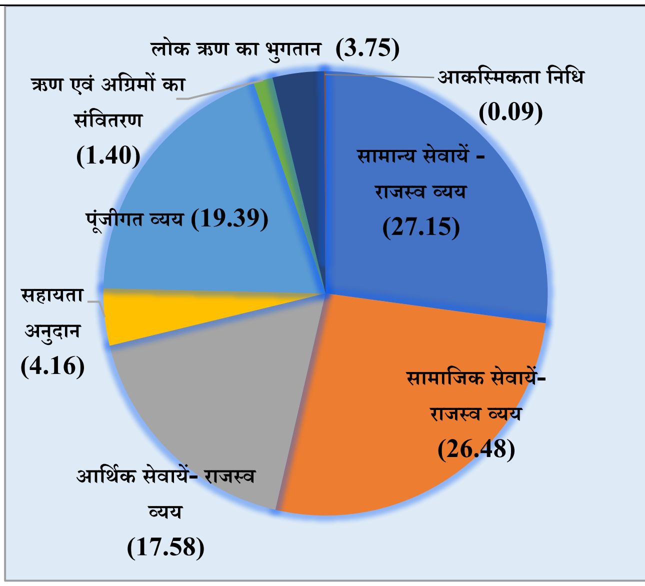

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

वर्ष 2023–24 की अवधि मे राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण

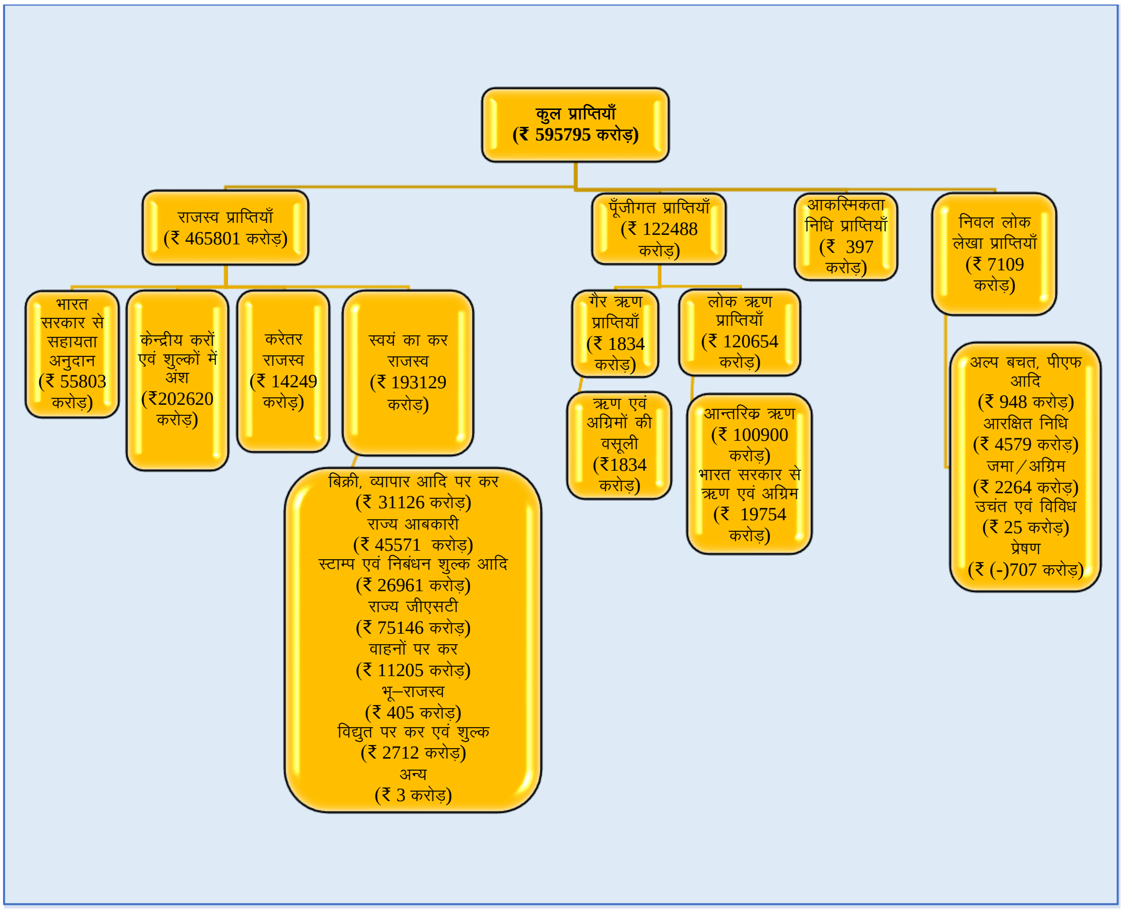

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 5,95,795 करोड़ थी। इसमें ₹ 4,65,801 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 1,22,488 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियां और ₹ 7,109 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां[4] सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,93,129 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 14,249 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 2,02,620 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 55,803 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,834 करोड़ की गैर–ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 1,20,654 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण है, जिन्हें राज्य की स्वयं की प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

---

[4] निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अन्त में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचन्त एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सापेक्ष कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और वृद्धि को **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	366393	296176	371011	417241	465801
आरआर *की वृद्धि दर (प्रतिशत)*	*11.04*	*(-)19.16*	*25.27*	*12.46*	*11.64*
राजस्व प्राप्तियां					
स्वयं का कर राजस्व	122826	119897	147368	174087	193129
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	2.25	(-)2.38	22.91	18.13	10.94
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	117818	106687	160358	169745	202620
करेतर राजस्व	81705	11846	11436	13489	14249
भारत सरकार से सहायता अनुदान	44044	57746	51849	59920	55803
भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर	*2.45*	*31.11*	*(-)10.21*	*15.57*	*(-)6.87*
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व)	204531	131743	158804	187576	207378
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*36.15*	*(-)35.59*	*20.54*	*18.12*	10.56
जीएसडीपी (₹ करोड़ में) (2011–12 श्रेणी)	1700062	1640097	1981367	2284104	2547861
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.45	(-)3.53	20.81	15.28	11.55
आरआर / जीएसडीपी (प्रतिशत)	21.55	18.06	18.73	18.27	18.28
उछाल अनुपात[5]					
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व उछाल	*0.30*	*	*1.10*	*1.19*	0.95

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

****** चूँकि जीएसडीपी की वृद्धि नकारात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी ।***

तालिका 2.3 में वर्णित आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण से स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2023–24 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,65,801 करोड़ थी। 2019–24 की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 6.19 प्रतिशत थी। विगत वर्ष (2022–23) की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2023–24 में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2022–23 की तुलना में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के अन्तर्गत केन्द्रीय

---

[5] उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाप को इंगित करता है।

वस्तु एवं सेवा कर (27.75 प्रतिशत) और निगम कर के अलावा आय पर कर (25.97 प्रतिशत) तथा स्वयं के कर राजस्व (10.94 प्रतिशत) की उच्च प्राप्तियों के कारण हुई।

- राज्य सरकार ने बजट अनुमान वर्ष 2023–24 में ₹ 5,70,866 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया था जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 5,25,218 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान वर्ष 2023–24 की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में, स्वयं के कर राजस्व में 26 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 40 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 45 प्रतिशत की कमी आई थी। राज्य, स्वयं के कर राजस्व में 9 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 46 प्रतिशत कमी के कारण संशोधित अनुमानों को भी प्राप्त नहीं कर सका।
- वर्ष 2019–24 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व में उछाल का अनुपात उतार–चढ़ाव भरा रहा, यह वर्ष 2022–23 मे सबसे अधिक 1.19 तथा वर्ष 2019–20 मे सबसे कम 0.30 था।
- भारत सरकार से सहायता अनुदान 2022–23 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के 14.36 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 11.98 प्रतिशत था।

वित्त लेखे के अनुसार अवधि 2019–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को **चार्ट 2.3 एवं चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3 वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

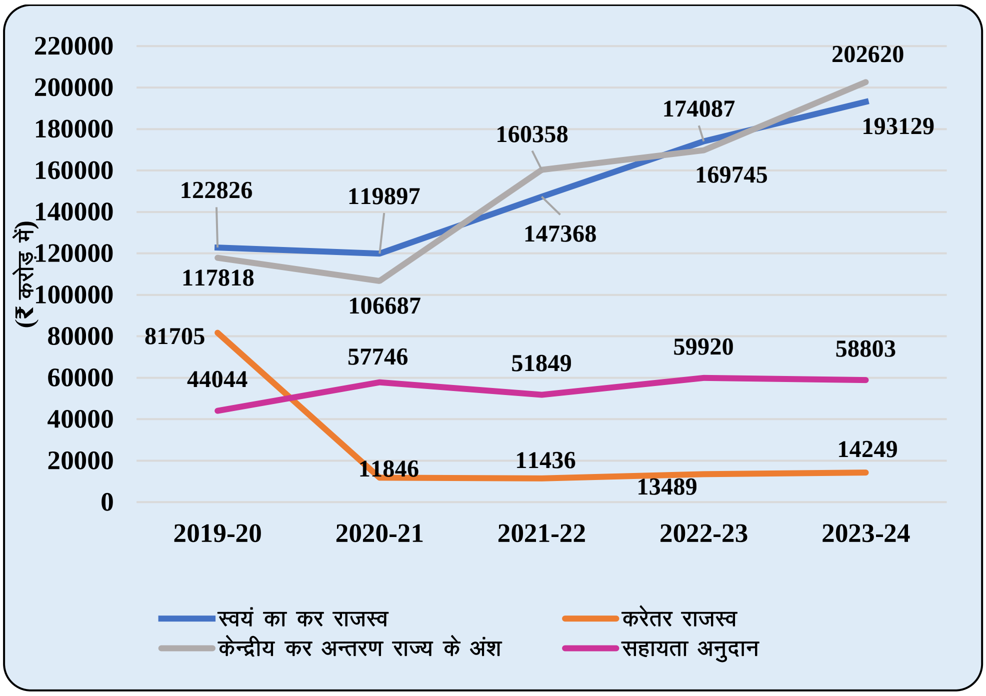

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां

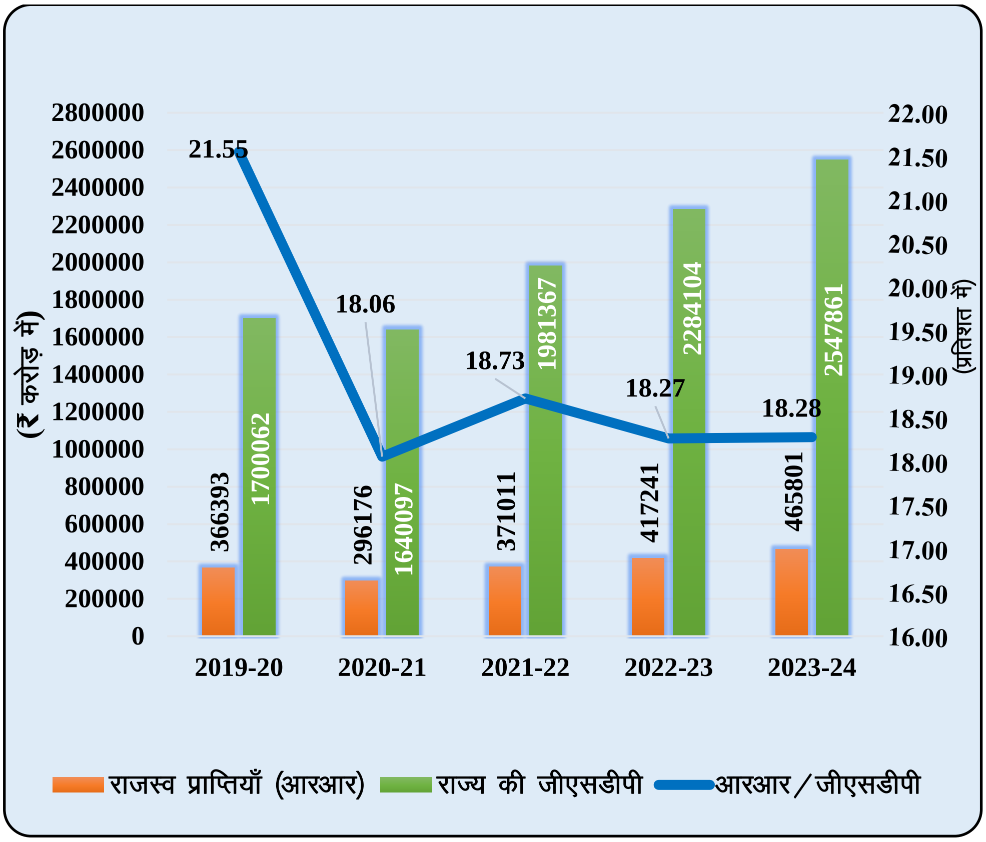

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू–राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियां यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियां एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई सम्पत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रायल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तन्त्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2019–24 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

(i) स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू–राजस्व आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,93,129 करोड़ था। वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान, यह 2019–20 के ₹ 1,22,826 करोड़ से

57.23 प्रतिशत (₹ 70,303 करोड़) बढ़कर 2023–24 में ₹ 1,93,129 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2019–24 के दौरान स्वयं का कर राजस्व

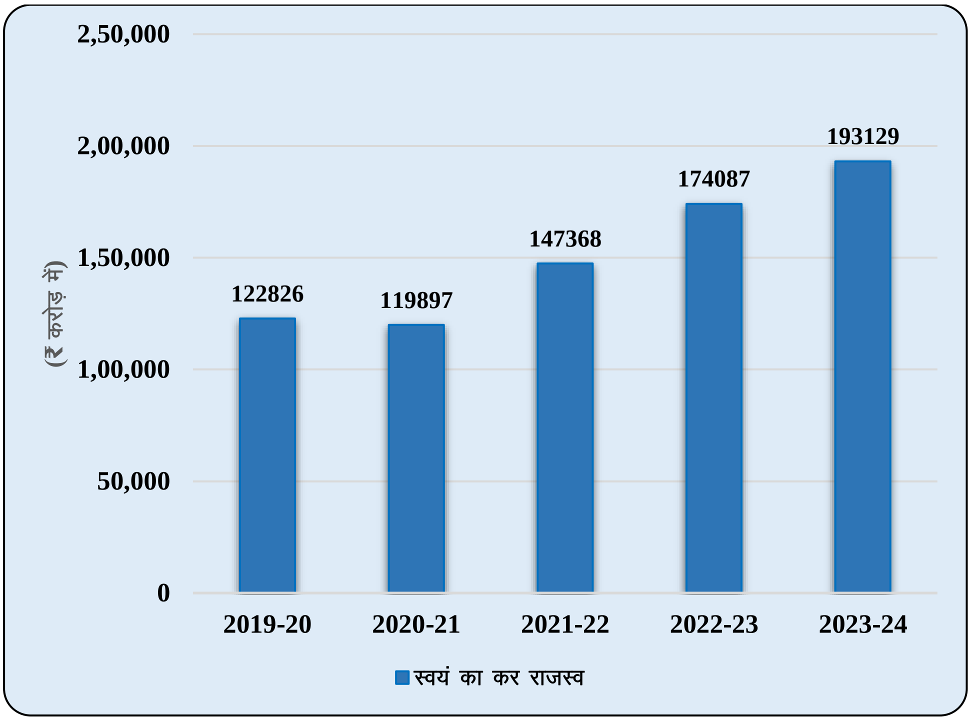

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य की स्वयं का कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	राजस्व मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाईन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	20517	22127	27058	31979	31126	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	47232	42860	54594	64141	75146	
3	राज्य आबकारी	27325	30061	36320	41253	45571	
4	वाहनों पर कर	7715	6483	7776	9059	11205	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	16070	16475	20048	24844	26961	
6	भू–राजस्व	504	297	193	285	405	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	3453	1587	1366	2519	2712	
8	अन्य कर	10	7	13	7	3	
	योग	**122826**	**119897**	**147368**	**174087**	**193129**	

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.4 से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 11 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर में ₹ 11,005 करोड़, राज्य आबकारी में ₹ 4,318 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क में ₹ 2,117 करोड़ तथा वाहनों पर कर में ₹ 2,146 करोड़ वृद्धि के कारण हुई थी।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) जो राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, वर्ष 2023–24 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की कुल प्राप्तियों का 38.91 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 के दौरान, एसजीएसटी संग्रह का बजट अनुमान ₹ 1,08,212 करोड़ था, जिसके सापेक्ष वास्तविक संग्रह ₹ 75,146 करोड़ था जो अनुमान से 30.56 प्रतिशत कम था। तथापि विगत वर्ष की तुलना मे एसजीएसटी 17.16 प्रतिशत अधिक था।
- राज्य आबकारी में वृद्धि (11 प्रतिशत) मुख्य रूप से देशी स्प्रिट में ₹ 2,984.70 करोड़, विदेशी मदिरा एवं स्प्रिट में ₹ 1,183.29 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी।

वस्तु एव सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2022–23 में ₹ 64,140.91 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह ₹ 75,146.62 करोड़ था, इस प्रकार इसमें ₹ 11,005.71(17.16 प्रतिशत) करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। इसके साथ–साथ राज्य को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत निवल आय में राज्य के अंश के रूप में ₹ 61,492.64 करोड़ प्राप्त हुए। जीएसटी के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 1,36,639.26 करोड़ रुपये थी। राज्य को 2023–24 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 4,070.32 करोड़ की गैर–ऋण क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

वर्ष 2023–24 के दौरान, विगत वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 से संबंधित राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के ₹ 343.38 करोड़ की समायोजन प्रविष्टियाँ आरबीआई के आंकड़ों एवं वित्त लेखे में अंकित आंकडों के बीच अंतर के कारण राज्य सरकार द्वारा की गईं। इसलिए, 2023–24 में एसजीएसटी में ₹ 343.38 करोड़ की वृद्धि समायोजन के कारण है।

स्वयं के कर राजस्व बकाया का विश्लेषण

बकाया राजस्व से तात्पर्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की विलम्बित वसूली से है। 31 मार्च 2024 को बकाया राजस्व ₹ 53,006.27 करोड़ था, जिसमें से ₹ 15,604.83 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5 : बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

	राजस्व की मद	31 मार्च 2024 को लम्बित धनराशि	31 मार्च 2024 को पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित धनराशि
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	32556.24	15324.46
2.	राज्य वस्तु और सेवा कर	16307.13	0.00
3.	वाहनों पर कर	3560.25	0.00
4.	राज्य आबकारी	46.89	42.45
5.	स्टाम्प और निबन्धन	532.99	237.92
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	2.77	0.00
	योग	**53,006.27**	**15,604.83**

स्रोत : राज्य कर विभाग, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ ।

(ii) करेतर राजस्व

वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्तियॉं

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाईन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1469	1115	1250	1259	1229	
(ii) लाभांश एवं लाभ	39	105	212	141	50	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ:						
(क) विभिन्न सामान्य सेवायें	72044	572	295	486	(-)800	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2181	3113	2655	3351	3987	
(ग) ऊर्जा	1044	1309	1769	965	1882	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	1024	1174	1120	1280	1340	
(ड.) सड़क एवं पुल	707	997	640	855	578	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	480	505	452	672	1438	
(छ) अन्य एवं विविध	2717	2956	3043	4480	4545	
योग	**80197**	**10626**	**9974**	**12089**	**12970**	
महायोग **[(i), (ii) एवं (iii)]**	**81705**	**11846**	**11436**	**13489**	**14249**	

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की करेतर प्राप्तियां सर्वाधिक रहीं। तथापि, वर्ष 2019–20 में उच्च करेतर प्राप्तियां मुख्य रूप से निक्षेप निधि से अवशेषों ₹ 71,180 करोड़ को "विविध सामान्य सेवा शीर्ष" के अन्तर्गत बिना नगद प्राप्ति के स्थानांतरण के कारण थी। वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल करेतर राजस्व प्राप्तियां

₹ 14,249 करोड़ थी, जो विगत वर्ष की तुलना में 5.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वृद्धि मुख्य रुप से उर्जा के अन्तर्गत ₹ 917 करोड़ (95 प्रतिशत), गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों की प्राप्तियों में ₹ 636 करोड़ (19 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में ₹ 766 करोड़ (114 प्रतिशत) की थी। विगत वर्ष (2022–23) की तुलना में वृद्धि विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,287 करोड़ (265 प्रतिशत) की कम प्राप्ति से प्रति–संतुलित थी।

2.3.2.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। 2014–15 से 2023–24 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण और अनुदान नीचे **चार्ट 2.6** में दिए गए हैं:

चार्ट 2.6: केन्द्र सरकार से हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

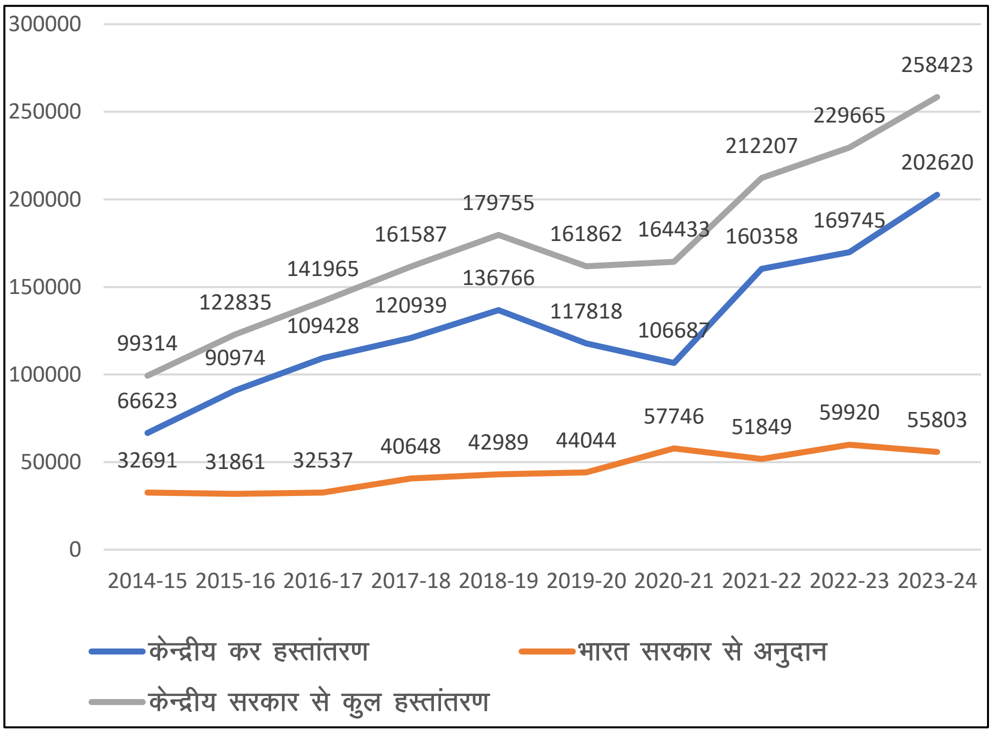

वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार से स्थानांतरण, (₹ 2,58,423 करोड़) जिसमें केन्द्रीय करों और शुल्कों मे राज्य का अंश (₹ 2,02,620 करोड़) और सहायता अनुदान (₹ 55,803 करोड़) सम्मिलित था, जो कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,65,801 करोड़) का 55.00 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 की तुलना में भारत सरकार से कुल हस्तांतरण 13 प्रतिशत (₹ 28,758 करोड़) अधिक था।

(i) केन्द्रीय कर अन्तरण

चौदहवें वित्त आयोग (2015–20) एवं 2020–24 की अवधि के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों की तुलना में राज्य सरकार को केन्द्रीय करों और शुल्कों में अंश के सापेक्ष वास्तविक अवमुक्त धनराशि **तालिका 2.7** में दी गई है।

तालिका 2.7: अनुमान के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय अंश का वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमान	वास्तविक हस्तांतरण	अन्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (4)-(3)
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.959 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 18.205 प्रतिशत। (14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	104297	90973.69	(-)13323.31
2016-17		120355	109428.29	(-)10926.71
2017-18		139070	120939.14	(-)18130.86
2018-19		160892	136766.46	(-)24125.54
2019-20		186352	117818.30	(-)68533.70
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.931 प्रतिशत। (15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	153342	106687.01	(-)46654.99
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.939 प्रतिशत। (15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	118145	160358.05	42213.05
2022-23		131426	169745.30	38319.30
2023-24		147886	202619.69	54733.69

पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: 2019–24 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	33434	31611	45919	48136	61493
निगम कर	40171	32258	45807	56507	60817
आय पर कर से भिन्न निगम कर	31477	33080	47482	55758	70236
कस्टम शुल्क	7468	5606	11922	6697	7101
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5192	3577	6693	2101	2687
सेवा कर	0	475	2360	266	38
अन्य कर[6]	76	80	175	280	248
योग	117818	106687	160358	169745	202620
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि प्रतिषत	(-)13.85	(-)9.45	50.31	5.85	19.37
राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का प्रतिशत	32.16	36.02	43.22	40.68	43.50

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में राज्यांश के अन्तर्गत केन्द्रीय करों और शुल्कों से सम्बन्धित प्राप्तियों में वर्ष 2022–23 के सापेक्ष ₹ 32,875 करोड़

[6] इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, माल एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं ।

(19.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश, राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 43.50 प्रतिशत था।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति **तालिका 2.9** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.9: 2019–24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना–गत योजनाओं हेतु अनुदान					
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	25824	32342	31227	35575	38828
वित्त आयोग अनुदान	12965	16023	12306	12384	12891
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	5255	9381	8316	11961	4084
योग	**44044**	**57746**	**51849**	**59920**	**55803**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	2.45	31.11	(-)10.21	15.57	(-)6.87
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	12.02	19.50	13.98	14.36	11.98

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.9 से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2019–24 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 26.70 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2019–20 मे ₹ 44,044 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 58,803 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2023–24 में, विगत वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 6.87 प्रतिशत (₹ 4,117 करोड़) की कमी हुई थी। राज्य सरकार को वर्ष 2023–24 मे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 38,828 करोड़ प्राप्त हुए, जो वर्ष 2022–23 की तुलना में 9.14 प्रतिशत अधिक था, जो मुख्यतः कृषि विभाग के अन्तर्गत ₹ 2,712 करोड़ (533 प्रतिशत), नगरीय विकास विभाग के अन्तर्गत ₹ 2,705 करोड़ (70 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,870 करोड़ (58 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण के अन्तर्गत ₹ 625 करोड़ (51 प्रतिशत) बढ़े हुए सहायता अनुदान प्राप्ति के कारण थी। तथापि, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ₹ 3,419 करोड़ (28 प्रतिशत), चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ₹ 1,343 करोड़ (100 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ₹ 644 करोड़ (17 प्रतिशत) तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत ₹ 324 करोड़ (13 प्रतिशत) इत्यादि विभागों के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्तियों मे कमी आयी थी।

एकल नोडल एजेंसी– वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अन्तर्गत राशि अवमुक्त करने तथा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से अवमुक्त राशि के उपयोग की निगरानी करने के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित (मार्च 2021) किया था। राज्य सरकार से अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक सीएसएस के क्रियान्वयन के लिए एक एसएनए नामित करे। एसएनए राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता, ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोलेगा, जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्य करने के लिये प्राधिकृत हो। प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार को आरबीआई के अपने लेखे में प्राप्त केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश को सम्बन्धित एसएनए के लेखे में हस्तांतरित करना है।

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, राज्य सरकार को अपने कोषागार खातों में वर्ष 2023–24 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 61,528.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुए (जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिये एस्क्रो एकाउन्ट में हस्तांतरित ₹ 16,950.03 करोड़ को सम्मिलित करते हुए)। राज्य सरकार द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश ₹ 76,162.63 करोड़ की राशि के हस्तांतरण की प्रणाली उपलब्ध नहीं करायी गयी । एसएनए प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च 2024 31 को एसएनए के बैंक खातों में ₹ 19,478.31 करोड़ बिना व्यय किए पड़े थे। वित्त लेखे एवं एसएनए प्रतिवेदन के अनुसार व्यय के आंकड़े राज्य सरकार एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश के मध्य समायोजन के अधीन थे ।

(iii) स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि के लिए 15वाँ वित्त आयोग अनुदान

15वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2020–24 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान की धनराशि का विवरण **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2020–24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त वित्त आयोग अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुशंसायें			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	XV-वित्त आयोग 2020-21 से 2022-23	XV-वित्त आयोग 2023-24	योग	2020-21से 2022-23	2023-24	योग	2020-21 से 2022-23	2023-24	योग
स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान)									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	24426	7547	**31973**	24426	5600.55	**30026.55**	24426	7547	**31973**
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	11922	3888	**15810**	9577.07	4996.23	14573.30	9577.07	4996.23	**14573.30**
स्थानीय निकायों के लिये योग	**36348**	**11435**	**47783**	**34003.07**	**10596.78**	**44599.85**	**34003.07**	**12543.23**	**46546.30**
एसडीआरएमएफ*	5896	2132	**8028**	4881.00	2294.20	**7175.20**	4881	2294.20	**7175.20**
कुल योग	**42244**	**13567**	**55811**	**38884.07**	**12890.98**	**51775.05**	**38884.07**	**14837.43**	**53721.50**

स्रोतः 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

****राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि (एसडीआरएमएफ)***

2023–24 की अवधि के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 7,547.00 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 5,600.55 करोड़ प्राप्त हुए। इसके सापेक्ष राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 7,547.00 करोड़ अवमुक्त किये। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 3,888 करोड़ के कुल अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 4,996.23 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान यूएलबी को पूरी राशि अवमुक्त कर दी।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2023–24 की अवधि में ₹ 2,842 करोड़ (₹ 2,132 करोड़ केन्द्रांश तथा ₹ 710 करोड़ राज्यांश) एसडीआरएमएफ मे जमा किये जाने थे, जिसमें एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के लिए अंशदान सम्मिलित था। इसके सापेक्ष भारत सरकार ने एसडीआरएमएफ के लिये ₹ 2,294.20 करोड़ अवमुक्त किया। एसडीआरएफ तथा एसडीएमएफ को अंशदान पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.5.2.3 तथा 2.5.2.4 में पुनः चर्चा की गयी है।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियां

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.11** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2019–24 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूँजीगत प्राप्तियां	**79450**	**87994**	**76690**	**68184**	**122488**
(i) विविध पूँजीगत प्राप्तियां	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियां)	5641	1135	939	1337	1834
(iii) लोक ऋण प्राप्तियां, जिसमें से	**73809**	**86859**	**75751**	**66847**	**120654**
आन्तरिक ऋण	72554	78677	65003	58024	100900
आन्तरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	**42.85**	**8.44**	**(-)17.38**	**(-) 10.74**	**73.89**
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1255	8182*	10748*	8823	19754
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	**56.09**	**551.95**	**31.36**	**(-) 17.91**	**123.89**
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	43.05	17.68	(-)12.79	(-) 11.75	80.49
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	**6.17**	**(-)79.88**	**(-)17.27**	**42.39**	**37.17**
जीएसडीपी की वृद्धि दर	7.45	(-)3.53	20.81	15.28	11.55
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	**39.61**	**10.75**	**(-)12.85**	**(-) 11.09**	**79.64**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम की धनराशि में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 में ₹ 6,007 करोड़ तथा 2021–22 में ₹ 8,140 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, सम्मिलित हैं।*

जैसा कि **तालिका 2.11** से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 54,304 करोड़ की वृद्धि हुई जो वर्ष 2022–23 की तुलना में 79.64 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है, यह विगत वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में 73.89 प्रतिशत एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 123.89 प्रतिशत की अधिक प्राप्ति के कारण थी। अवधि 2019–21 के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति थी लेकिन वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 में अधोमुखी प्रवृत्ति थी तथा वर्ष 2023–24 मे इसमें वृद्धि हुई। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में 2019–24 की अवधि के दौरान उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति रही तथा 2023–24 के दौरान यह उच्चतम ₹ 19,754 करोड़ थी।

वर्ष 2023–24 के दौरान ऋण और अग्रिमों की वसूली (₹ 1,834 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 1,337 करोड़) की तुलना में 37.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत पीएसयू को ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण को सहायता अनुदान में रूपान्तरण के कारण हुई थी।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बिना स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के सन्दर्भ में किया जाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान,

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी) 2023 के अनुमान से 26.46 प्रतिशत कम और 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से 28.28 प्रतिशत अधिक थी, जैसा कि **तालिका 2.12** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.12: वर्ष 2023–24 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2023–24 के लिये 15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2023	वर्ष 2023–24 के लिये वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत विचलन	
				15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2023
स्वयं के कर राजस्व	150558	262634	193129	28.28	(-)26.46
करेतर राजस्व	38825	23791	14249	(-)63.30	(-)40.11

स्रोत: 15वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य सरकार का बजट अभिलेख 2023–24 एवं वित्त लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमान/एमटीएफआरपी 2023 में किए गए अनुमान की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2023 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी में **₹** 33,065 करोड़, राज्य आबकारी में **₹** 12,429 करोड़ और बिक्री, व्यापार आदि पर कर में **₹** 10,662 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क में **₹** 7,599 करोड के कम संग्रह के कारण था। तथापि, स्वयं के कर राजस्व जुटाने में राज्य का प्रदर्शन 15वें वित्त आयोग के अनुमानों से अच्छा था।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हो। यह प्रस्तर उप–प्रस्तरों सहित राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण' और 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। राज्य के समेकित निधि के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.7** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.7: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता

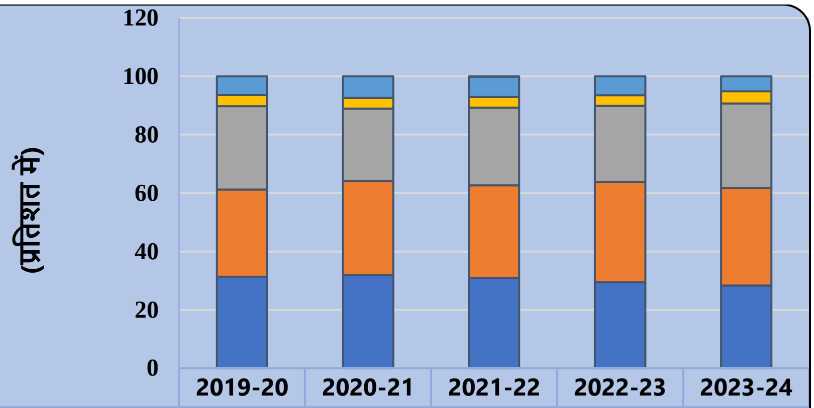

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आकस्मिकता निधि हेतु विनियोग	0	0	0.15	0	0
ऋण एवं अग्रिम और लोक ऋण	6.4	7.38	6.90	6.5	5.16
सहायता अनुदान	3.78	3.75	3.75	3.56	4.16
आर्थिक सेवाएँ	28.64	24.79	26.61	26.07	28.88
सामाजिक सेवाएँ	29.83	32.24	31.72	34.39	33.43
सामान्य सेवाएँ	31.35	31.84	30.88	29.48	28.37

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 2.7** से स्पष्ट है, 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में आर्थिक सेवाओं तथा सहायता अनुदान पर व्यय का अंश बढ़ा था, जबकि व्यय के अन्य क्षेत्रों में राज्य की समेकित निधि से कुल व्यय में उनके सम्बन्धित अंश में कमी देखी गयी। वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि से घटकवार व्यय **चार्ट 2.8** मे दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय

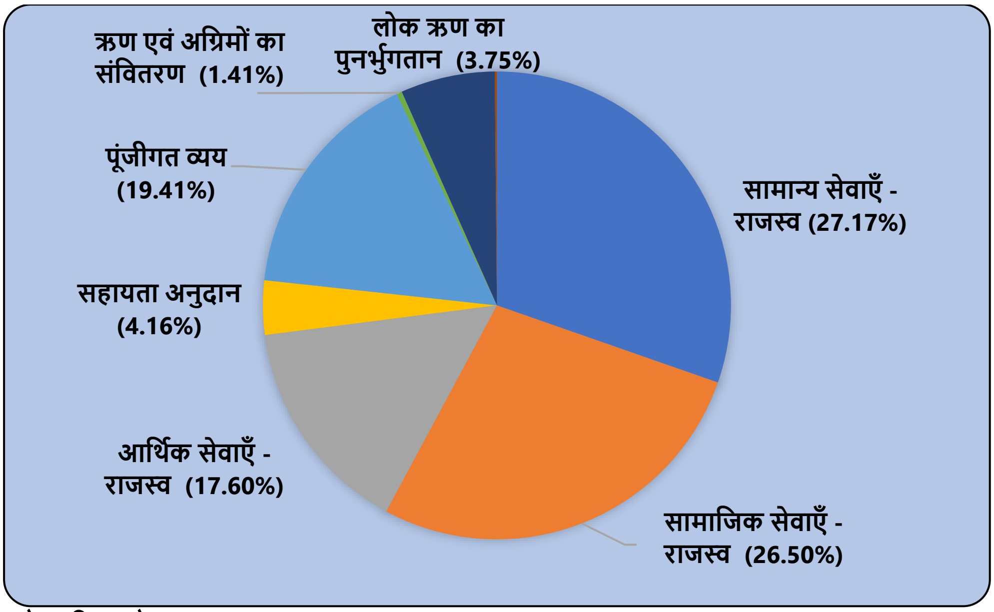

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

चार्ट 2.8 प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2023–24 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय सबसे अधिक था, जो कुल व्यय का 27.17 प्रतिशत था, जिसमें राज्य

के अंगों, वित्तीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 26.50 प्रतिशत था, जिसमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पुष्टाहार, जल आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 17.60 प्रतिशत था जिसमें कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है।

व्यय की वृद्धि और संघटन

वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि से व्यय तथा इसका संघटन **तालिका 2.13** में संक्षेपित किया गया है और **चार्ट 2.9** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसका संघटन

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	360951	351933	411237	483215	548358
राजस्व व्यय	298833	298543	337581	379978	429788
पूँजीगत व्यय	59998	52237	71443	93028	110555
ऋृण और अग्रिम	2120	1153	1613	10209	8015
आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	600	0	0
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	21.23	21.46	20.76	21.16	21.52
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	17.58	18.20	17.04	16.64	16.87
पूँजीगत व्यय/जीएसडीपी	3.53	3.18	3.61	4.07	4.34
ऋृण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.12	0.07	0.08	0.45	0.31

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.9: 2019–24 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ

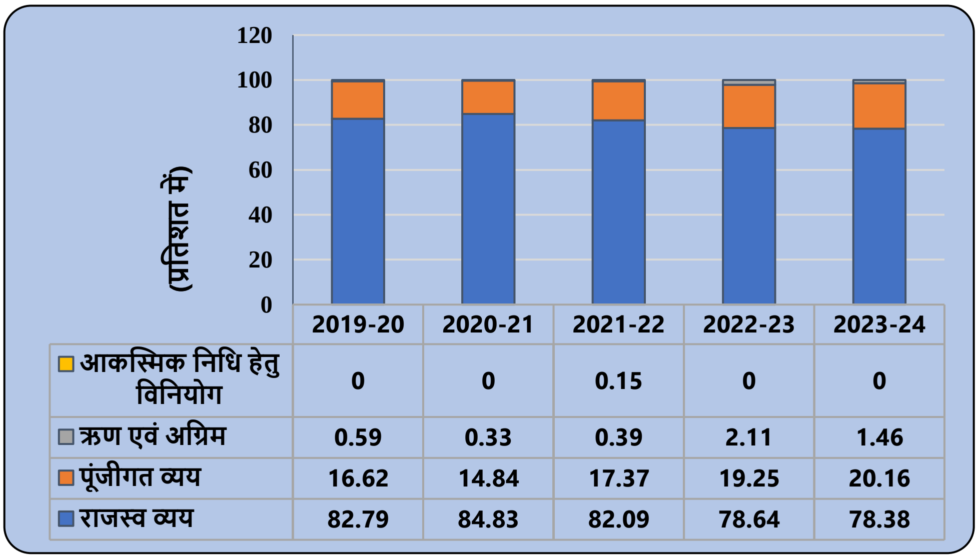

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2019–24 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2019–20 में ₹ 3,60,951 करोड़ से 51.92 प्रतिशत बढ़कर 2023–24 में ₹ 5,48,358 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 1,30,955 करोड़, पूँजीगत व्यय में ₹ 50,557 करोड़ और ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 5,895 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 78.38 प्रतिशत और पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 20.16 प्रतिशत था । इस प्रकार, कुल व्यय में राजस्व व्यय प्रमुख अंश था।

2.4.1 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तन्त्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूँजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को सब्सिडी एवं अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड **तालिका 2.14** में दिए गए हैं।

तालिका 2.14: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (टीई)	360951	351933	411237	483215	548358
राजस्व व्यय (आरई)	298833	298543	337581	379978	429788
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)0.96	(-)0.10	13.08	12.56	13.11
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	82.79	84.83	82.09	78.64	78.38
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	1700062	1640097	1981367	2284104	2547861
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	17.58	18.20	17.04	16.64	16.87
राजस्व प्राप्ति	366393	296176	371011	417241	465801
राजस्व व्यय के रुप में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	81.56	100.80	90.99	91.07	92.27

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश 82.79 प्रतिशत (2019–20) से घटकर 78.38 प्रतिशत (2023–24) हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में ऋणात्मक रही एवं वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक 13.11 प्रतिशत रही। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2019–24 की अवधि के दौरान उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। यह वर्ष 2020–21 में उच्चतम (18.15 प्रतिशत) और वर्ष 2022–23 में निम्नतम (16.64 प्रतिशत) था। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राजस्व व्यय वर्ष 2022–23 में 91.07 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 92.27 प्रतिशत हो गया।

राजस्व व्यय वर्ष 2019–20 में ₹ 2,98,833 करोड़ से ₹ 1,30,955 करोड़ (44 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 4,29,788 करोड़ हो गया। वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से शहरी विकास में ₹ 8,758.20 करोड़, स्थानीय निकायों

और पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति और असाइनमेंट में ₹ 5,713.05 करोड़, ऊर्जा में ₹ 5,040.53 करोड़, सड़क एवं सेतु में ₹ 4,714.98 करोड़, उद्योग में ₹ 4,680.14 करोड की वृद्धि जिसे मुख्य रुप से समाज कल्याण में ₹ 4,058.85, नागरिक आपूर्ति में ₹ 1,299.27 करोड़ तथा ऋण में कमी या परिहार के लिए ₹ 1,000.00 तथा लोक निर्माण में ₹ 667 करोड़ के कम व्यय से प्रति–संतुलित हुई थी।

वर्ष 2023–24 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं साथ ही आर्थिक सेवाओं के घटक पर राजस्व व्यय को **चार्ट 2.10** मे प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

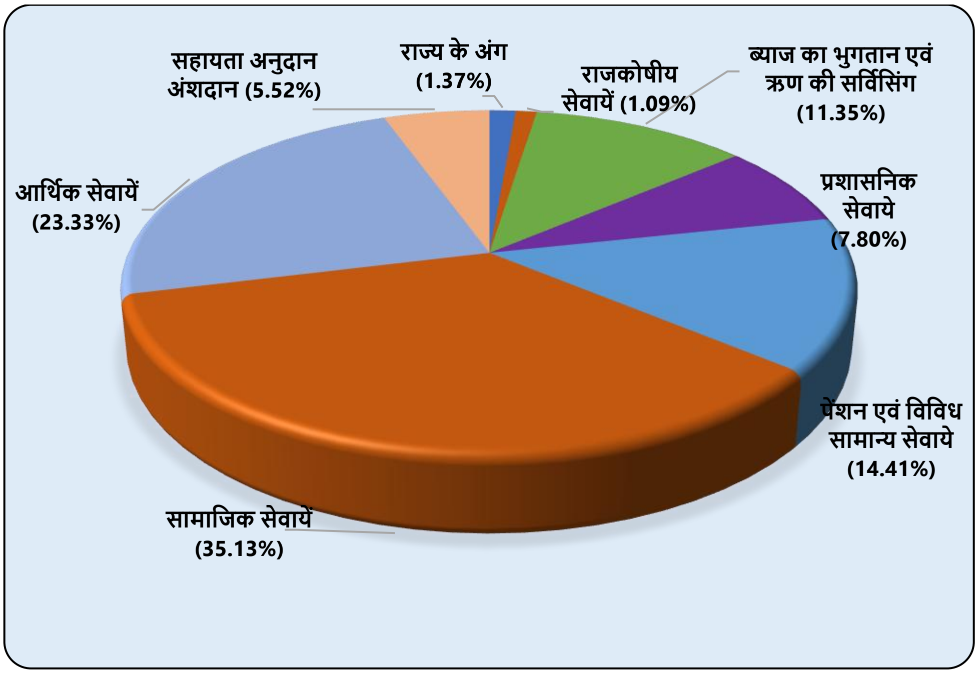

स्रोतः वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे

2.4.1.1 प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। यह सरकार के संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित है।

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें साधारण तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या जो पूॅजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनशील लेनदेन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन एवं भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (व्यय के लिए हस्तांतरण)

- आरक्षित निधियों में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं–समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ), प्रत्याभूति विमोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा अनुक्रिया/शमन निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ) आदि में योगदान
- आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति – वर्ष के अंदर प्रतिपूर्ति की गई राशि
- उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में हस्तांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है
- प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश
- ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, जैसे कि यदि उन्हें निवेश किया जाता और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान–भारित व्यय–ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2019–24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश

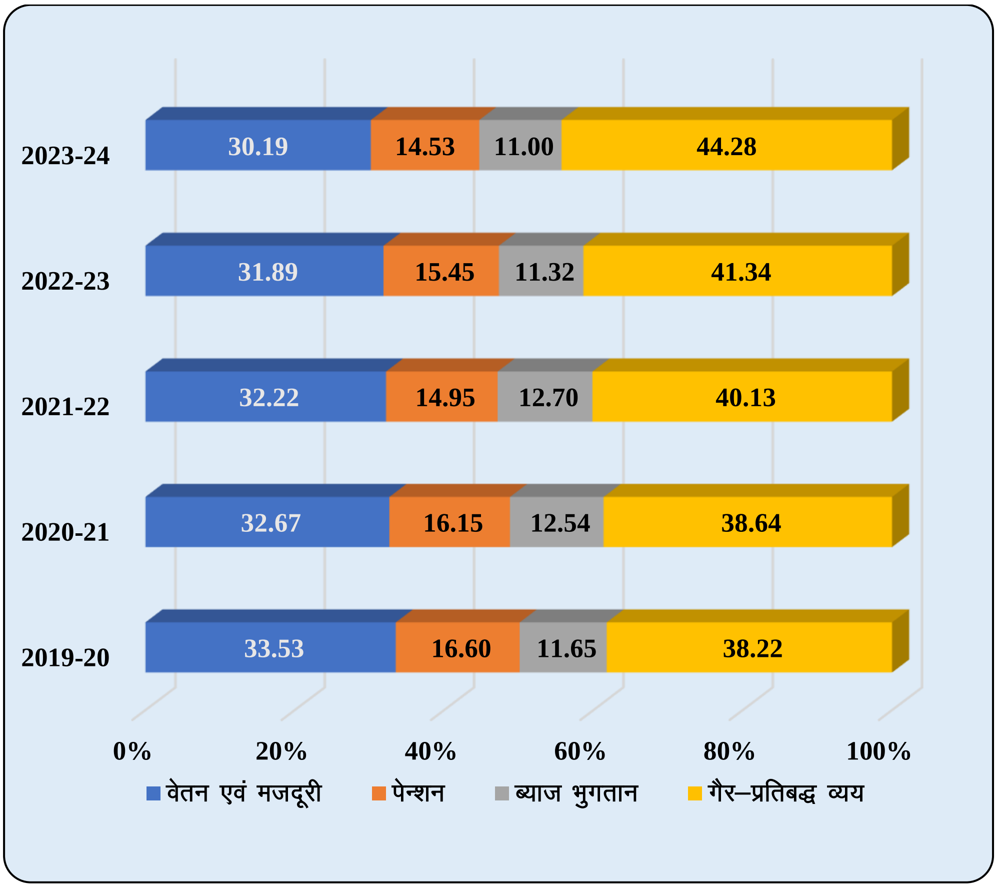

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2019–24 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15 : 2019–24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	100188	97540	108775	121188	129753
(i) वेतन	53508	50333	54727	60061	64804
(ii) मजदूरी	1357	2363	2500	2719	2955
(iii) सहायता अनुदान (वेतन)	45323	44844	51548	58408	61994
पेंशन पर व्यय	49603	48219	50475	58697	62457
ब्याज भुगतान	34813	37428	42876	43008	47277
प्रतिबद्ध व्यय का योग	**184604**	**183187**	**202126**	**222893**	**239487**
अनम्य व्यय के घटक	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
स्थानीय निकाय को वैधानिक हस्तांतरण	14500	14208	16500	18000	23713
आरक्षित निधि को अंशदान	6199	5431	8950	8674	11912
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	662	0	700	0	397
प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंशदान	17020	22161	22366	30056	29736
बीओसीडब्लू को उपकर का हस्तांतरण	9.96	10	9.77	40.10	40.23
योग	**38390.96**	**41810**	**48525.77**	**56770.10**	**65798.23**
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में					
प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन एवं मजदूरी	*27.34*	*32.93*	*29.32*	29.05	*27.86*
पेंशन पर व्यय	*13.54*	*16.28*	*13.60*	14.07	*13.41*
ब्याज भुगतान	*9.50*	*12.64*	*11.56*	10.31	*10.15*
योग	***50.38***	***61.85***	***54.48***	**53.43**	**51.42**
अनम्य व्यय	**10.48**	**14.12**	**13.08**	**13.61**	**14.13**
महायोग	**60.86**	**75.97**	**67.56**	**67.04**	**65.55**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	*33.53*	*32.67*	*32.22*	31.89	*30.19*
पेंशन पर भुगतान	*16.60*	*16.15*	*14.95*	15.45	*14.53*
ब्याज भुगतान	*11.65*	*12.54*	*12.70*	11.32	*11.00*
योग	***61.78***	***61.36***	***59.87***	**58.66**	***55.72***
अनम्य व्यय	**12.85**	**14.00**	**14.37**	**14.94**	**15.31**
महायोग	**74.63**	**75.37**	**74.24**	**73.60**	**71.03**
गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	114229	115320	135455	157085	190314
राजस्व व्यय का प्रतिशत	38.23	38.63	40.13	41.34	44.28
कुल व्यय का प्रतिशत	31.65	32.77	32.94	32.51	34.70

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

**** प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर कुल राजस्व व्यय***

प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात

यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। **तालिका 2.15** से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, सिवाय वर्ष 2020–21 के जिसमें थोड़ी कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक–वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2023 को 13,20,850 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 64,804 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,65,801 करोड़) का 13.91 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 4,29,788 करोड़) का 15.08 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)'[7] और 'मजदूरी' के व्यय को सम्मिलित करते हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 1,29,753 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 27.86 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 30.19 प्रतिशत था।

वर्ष 2023–24 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में 7.07 प्रतिशत (₹ 8,565 करोड़) की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता (₹ 3,337 करोड़) और सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन) (₹ 3,572 करोड़) पर अधिक संवितरण के कारण थी।

ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आन्तरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केन्द्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान को मुख्य शीर्ष 2049–ब्याज भुगतान के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 7.95 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ ₹ 34,813 करोड़ से बढ़कर ₹ 47,277 करोड़ हो गया। वर्ष 2022–23 की तुलना में, वर्ष 2023–24 में ब्याज भुगतान में 9.93 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा आंतरिक ऋण पर ₹ 3,091 करोड़ अधिक ब्याज भुगतान के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अन्तर्गत, लेखाशीर्ष '2071–01–117–विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान' के अन्तर्गत ₹ 28.49 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049–03–117 शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 2071 के अन्तर्गत डीसीपीएस पर बजट का प्रावधान और ब्याज का भुगतान एलएमएमएच का उल्लंघन था, जिसके कारण मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज पर व्यय को कम दर्शाया गया था।

पेंशन भुगतान

राज्य में दिनाँक 31 मार्च 2023 को 11,49,223 पेंशनभोगी थे। 2019–24 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 49,603 करोड़ एवं ₹ 62,457 करोड़ के

---

7 प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

मध्य विस्तारित था। वर्ष 2023–24 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 62,457 करोड़ था, जो कि विगत वर्ष (₹ 58,697 करोड़) के सापेक्ष 6.40 प्रतिशत अधिक था। यह अधिकता मुख्य रूप से अधिवार्षिकी व सेवानिवृत्ति भत्ते में (₹ 1,470.81 करोड़), राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन में (₹ 1,405.37 करोड़) तथा डीसीपीएस के लिये शासकीय अभिदान में (₹ 1,981.75 करोड़) तथा पारिवारिक पेंशन (₹ 441.49 करोड़) में वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2023–24 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.41 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 14.53 प्रतिशत था।

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक, जिसमें स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान सम्मिलित है, में वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान निरन्तर वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 10.48 प्रतिशत से 14.13 प्रतिशत के मध्य था और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 12.85 प्रतिशत से 15.31 प्रतिशत के मध्य था।

2.4.1.2 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विस्तृत विवरण वित्त लेखे के **परिशिष्ट– II** में दिया गया है। 2019–24 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण **तालिका 2.16** में दिया गया है।

तालिका 2.16:वर्ष 2019–24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में) जिसमे सम्मिलित हैं	14092	11677	20145	21267	24736
ऊर्जा सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8920	6057	13388	14361	15175
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.85	3.94	5.43	5.10	5.31
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.72	3.91	5.97	5.60	5.76
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.90	3.32	4.90	4.40	4.51
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा सब्सिडी	63.30	51.87	66.46	67.53	61.35

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय उतार चढ़ाव भरा रहा। यद्यपि, यह वर्ष 2019–20 में ₹ 14,092 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 में ₹ 11,677 करोड़ हो गया, यह पुनः वर्ष 2020–21 से 2023–24 में बढ़ गया। सब्सिडी वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक ₹ 24,736 करोड़ थी। वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 24,736 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 5.31 प्रतिशत और 5.76 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत

₹ 2,410.46 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान सब्सिडी में सकल वृद्धि (₹ 3,469 करोड़) मुख्य रूप से 'यूपीपीसीएल को प्रतिपूरक अनुदान' के अतंर्गत ₹ 1,863.62 करोड, 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' ₹ 663.85 करोड़, 'पावरलूम बुनकरो को बिजली दर मे छूट की प्रतिपूर्ति' पर ₹ 1,095.03 करोड की अधिक सब्सिडी तथा 'समाज कल्याण विभाग' (जनजातीय कल्याण) ₹ 395.83 करोड़ की कम सब्सिडी से प्रतिसंतुलित थी।

2.4.1.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2019–24 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा **तालिका 2.17** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.17: 2019–24 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगर पालिकाएं)	9059.97	15115.15	13610.89	9802.01	15369.54
पंचायती राज संस्थाएं (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	12517.71	10412.00	7635.03	8109.70	9288.65
योग (क)	**21577.68**	**25527.15**	**21245.92**	**17911.71**	**24658.19**
(ख)सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम(सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	8940.17	7018.39	7391.59	10054.20	15590.59
(ग)स्वायत्त निकाय(विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य)	37393.78	35251.87	44342.71	48527.42	52043.29
(घ)गैर–सरकारी संगठन	7140.75	7040.51	7924.10	9340.91	10026.67
(च)विविध	18282.08	24050.46	19941.12	35527.75	37982.79
योग(ख +ग+घ+च)	**71756.78**	**73361.23**	**79599.52**	**103450.28**	**115643.34**
महायोग(क+ख+ग+घ+च)	**93334.46**	**98888.38**	**100845.44**	**121361.99**	**140301.53**
वेतन पर सहायता अनुदान	45322.82	44879.90	51548.28	58408.46	61994.32
पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर सहायता अनुदान	6821.79	11208.64	12028.65	10955.37	15438.94
गैर–वेतन पर सहायता अनुदान	41189.87	42799.84	37268.51	51998.17	62868.25
वस्तु के रुप मे सहायता अनुदान	राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई				
पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान की वृद्धि दर	1.71	5.95	1.98	20.34	15.61

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व व्यय	**298833**	**298543**	**337581**	**379978**	**429788**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	31.23	33.12	29.87	31.94	32.64

स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से ₹ 1,40,301.53 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इसमें सम्मिलित हैं : शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (₹ 15,369.54 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 9,288.65 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (₹ 15,590.59 करोड़), स्वायत्त निकाय (₹ 52,043.29 करोड़), गैर सरकार संगठन (₹ 10,026.67 करोड़), और विविध (₹ 37,982.79 करोड़) जिसमें मुख्यतः केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओ के अन्तर्गत अवमुक्त सहायता अनुदान के सापेक्ष संगत राज्यांश (₹ 9,439.80 करोड़), शासकीय विभागों के बकाया बिजली के बिलों का भुगतान (₹ 3,000 करोड़), ऋण का मूलधन एवं ब्याज भुगतान के लिये उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) को सहायता (₹ 2,922.21 करोड़), अंधे, मूक, बधिर और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये भरण पोषण के लिये अनुदान (₹ 1,241.08 करोड़), निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण और उनके बच्चों की शिक्षा के लिये अनुदान (₹ 3,863.79 करोड़), नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को निःशुल्क जल की सुविधा (₹ 1,047.55 करोड़), वृद्धावस्था/किसान पेंशन (₹ 4,929.22 करोड़) इत्यादि सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान वर्ष 2022–23 की तुलना में 15.61 प्रतिशत (₹ 18,940 करोड़) अधिक था। वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान इसमें ₹ 46,967.07 करोड़ (50.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अग्रेतर, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह वर्ष 2019–20 में 31.23 से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 32.64 प्रतिशत हो गया।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2019–20 में ₹ 12,517.71 करोड़ से घटकर वर्ष 2023–24 में ₹ 9,288.65 करोड़ हो गयी। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पीआरआई को अवमुक्त सहायता अनुदान, 15वें वित्त आयोग के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये (₹ 7,547 करोड़) एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 1,741.65 करोड़) का हस्तांतरण था। वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त सहायता अनुदान में ₹ 81 करोड़ और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सापेक्ष ₹ 1,097.96 करोड़ की वृद्धि हुई।

नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2019–20 में ₹ 9,059.94 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 15,115.15 करोड़ हो गई। तथापि, यह वर्ष 2022–23 मे घट कर ₹ 9,802.01 करोड हो गई और पुनः 2023–24 में ₹ 15,369.54 करोड़ हो गई। वर्ष 2022–23 की तुलना मे वर्ष 2023–24 के दौरान यूएलबी को सहायता अनुदान

में ₹ 5,567.53 करोड़ (57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। यह अधिकता प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ₹ 2,640.39 करोड़, वित्त आयोग अनुदान में ₹ 1,518.42 करोड़ थी। यूएलबी को दी गई सहायता अनुदान में पूँजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान ₹ 10,141.27 करोड़ सम्मिलित थी।

2.4.1.4 स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तान्तरण पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की अनुपालना

संविधान का अनुच्छेद 243 आई (अनुच्छेद 243 वाई के साथ पठित) यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार के लिये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये प्रत्येक पाँचवे वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना अनिवार्य है और अन्य बातों के साथ राज्य द्वारा लगाये जाने वाले करों, शुल्कों, टोल्स एवं फीस की निवल आय को राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण की अनुशंसा करता है।

राज्य सरकार ने दिसम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 में क्रमशः चौथा एवं पाँचवां एसएफसी गठित किया था और इनकी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 और अक्टूबर 2018 में राज्यपाल को प्रस्तुत की गयी तथा उनकी अनुशंसा क्रमशः अप्रैल 2015 और अप्रैल 2020 में लागू की गयी थी। वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण **तालिका 2.18** में दिया गया है।

तालिका 2.18: 2019–24 के दौरान पीआरआई एवं यूएलबी को निधि का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौथा एसएफसी हस्तांतरण			पांचवा एसएफसी हस्तांतरण	
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
यूएलबी	8700.00	8525.00	9900.00	10800.00	14239.28
पीआरआई	5800.00	5683.37	6600.00	7200.00	9473.78
योग	**14500.00**	**14208.37**	**16500.00**	**18000.00**	**23713.06**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

वर्ष 2019–24 के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण यद्यपि वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष वर्ष 2020–21 में कुछ घटा, किन्तु वर्ष 2021–22 से 2023–24 इसमे लगातार वृद्धि हुई। 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान स्थानीय निकायों के हस्तांतरण में 31.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसी अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल करने की आवश्यकता है। 2019–24 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय और कुल व्यय के सापेक्ष इसके प्रतिशत को **चार्ट 2.12** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.12: 2019–24 की अवधि के दौरान राज्य में पूँजीगत व्यय

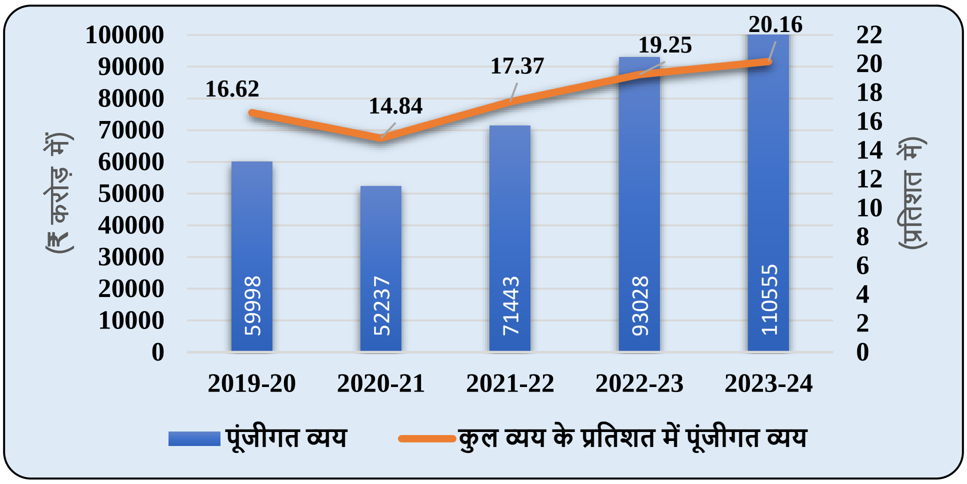

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि 2019–24 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 14.84 प्रतिशत और 20.16 प्रतिशत के बीच रहा और यह वर्ष 2020–21 में न्यूनतम एवं वर्ष 2023–24 में उच्चतम था। कुछ मुख्य शीर्ष जहाँ वर्ष 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय महत्वपूर्ण रूप से अधिक था, को **तालिका 2.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2023–24 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	4215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	जलजीवन मिशन (₹ 12907.94 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (₹ 5746.01 करोड़)	18815.80
2	4801–ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अंशपूँजी (₹ 3331.17 करोड़), ग्रीष्म काल में राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति (₹ 1500 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 2402 करोड़)	15974.99
3	5054–सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	ग्रामीण सड़कों का निर्माण (₹ 3502 करोड़), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 2621.35 करोड़), रेल उपरिगामी सेतु (₹ 1416.05 करोड़), राज्य राज मार्ग का निर्माण (₹ 1704.69 करोड़), राज्य सड़क निधि मे हस्तांतरण (₹ 2500 करोड़)	25994.74
4	4216– आवास पर पूँजीगत परिव्यय	पीएम आवास योजना–ग्रामीण (₹ 2241.29 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1494.19 करोड़), मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (₹ 1156.48करोड़)	5737.80

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
5	4515– अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना (₹ 2769.17 करोड़), विधायकों की अनुशंसा के अनुसार विकास कार्य (₹ 2515.38 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 805.40 करोड़)	6249.33
6	4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	मुख्य मंत्री शहरी विस्तार /नये शहरों का संवर्धन (₹ 2080 करोड़), दिल्ली–गाजियाबाद– मेरठ कॉरिडोर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना (₹ 1356 करोड़)	4463.97
7	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रारम्भिक शिक्षा–केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 641.97 करोड़), प्रारंभिक शिक्षा–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सापेक्ष राज्यांश (₹ 561.88 करोड़), अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना (₹ 145.11 करोड़), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भूमि का क्रय/ भवन का निर्माण (₹ 419.59 करोड़)	4027.89
8	5053– नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	हवाई पट्टियों का निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण और भूमि का अधिग्रहण (₹ 1066.49 करोड़), जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना (₹ 505.96 करोड़)	1650.27

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 1,10,555.39 करोड़ था। वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान इसमें ₹ 17,527 करोड़ (18.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 2,383.47 करोड़ (53.57 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं में, सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 4,398.27 करोड़ (12.55 प्रतिशत) मुख्यतः जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सामान्य शिक्षा, शहरी विकास एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 10,745.25 करोड़ (20.07 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा सड़क एवं सेतु, पर्यटन तथा खाद्य भण्डारन एवं भण्डारगृह के अन्तर्गत हुई थी।

2.4.2.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.20** में दिया गया है।

तालिका 2.20 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्वि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	645.97	2533.35	1887.38 (292)
4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10220.50	15974.99	5754.49 (56)
4215- जल आपूर्ति तथा स्वछता पर पूँजीगत परिव्यय	12227.32	18815.81	6588.49 (54)
5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	22424.78	25994.74	3569.96 (16)
4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	8984.05	5737.80	(-)3246.25 (36)
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	7211.41	6249.33	(-)962.08 (13)
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	3789.20	3351.18	(-)438.02 (12)
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	693.52	255.73	(-)437.79 (63)

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

मुख्य शीर्ष 4070 (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से महाकुंभ मेला, 2025, प्रयागराज योजना (₹ 1,577.44 करोड) तथा जेलों के निर्माण (₹ 290.86 करोड) पर व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4801 (ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय): यह वृद्धि मुख्यतः केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1,980.03 करोड), उदय योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए नियुक्त किये जाने वाले सलाहकार को भुगतान (₹ 1,500 करोड), पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (₹ 1,275 करोड़) तथा राज्य के नगर निगम क्षेत्रों के वितरण प्रणाली को सुदृढ करने (₹ 1,028.86 करोड) में वृद्धि के कारण है।

मुख्य शीर्ष 5054 (सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय): यह वृद्धि मुख्यतः रेल उपरिगामी सेतुओं (₹ 855.83 करोड), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई) (₹ 684.70 करोड़), आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (₹ 420.65 करोड़) तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अनुरूप राज्यांश (₹ 601.09 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4215 (जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण जलापूर्ति के अंतर्गत जल जीवन मिशन (₹ 4,789.38 करोड़) तथा अनुसूचित

जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 1,783.23 करोड) में वृद्धि के कारण है।

मुख्य शीर्ष 4202 (शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय): इसका मुख्य कारण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (जिला योजना) के अन्तर्गत भवन निर्माण, भूमि/भवन के क्रय और विद्युतीकरण, विस्तार, (₹ 320.76 करोड), केंद्र प्रायोजित योजनाओं में संगत राज्यांश (₹ 281.29 करोड), केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 272.32 करोड़) तथा जनपद प्रयागराज में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 157.45 करोड़) पर व्यय में वृद्धि है।

मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर व्यय में कमी (₹ 2,529.07 करोड) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश (₹ 1,686.04 करोड़) के कम व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 1,455.83 करोड़) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश (₹ 495.06 करोड) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 102.05 करोड़) में कम व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4210 (चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से उप–शीर्षक एलोपैथी–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 705.88 करोड), केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संगत राज्यांश (₹ 426.43 करोड), में कम व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4225 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 561.76 करोड़) पर व्यय में कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) पीएसयूज में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यम जो घाटे में चल रहे हैं या जहाँ निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, में किया गया निवेश और दिया गया ऋण तथा पूँजीगत व्यय धारणीय नहीं है और पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

कम्पनियों, निगमों और सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्तियॉ सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य अन्तर को **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21 : निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	वर्ष के अन्त मे निवेश[8]	127630	139495	151521	164001	184667
2	प्रतिफल	39.04	104.83	212.58	141.32	49.66
3	प्रतिफल (प्रतिशत)	0.03	0.08	0.14	0.09	0.03
4	सरकार की उधारियों एवं दायित्वों पर औसत ब्याज दर[9] (प्रतिशत)	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
5	ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	(-)7.66	(-)7.28	(-)7.58	(-)7.16	(-)7.21
6	सरकारी उधारियों एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य मे अन्तर	(-)9776	(-)10162	(-)11485	(-)11749	(-)13320

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 49.66 करोड़ (0.03 प्रतिशत) था। 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिफल 0.03 प्रतिशत से 0.14 प्रतिशत के मध्य था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारी पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 7.24 प्रतिशत से 7.72 प्रतिशत के मध्य थी। 2019–20 से 2023–24 (विगत पाँच वर्षों) की अवधि में सरकारी उधार की लागत और पीएसयू और अन्य संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल में अन्तर ₹ 56,492 करोड़ था।

(ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

कोआपरेटिव सोसाइटीज़, निगम तथा कम्पनियों में निवेश के साथ–साथ राज्य सरकार विभिन्न इकाईयों/संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है। **तालिका 2.22 वर्ष** 2019–20 से 2023–24 की अवधि में ब्याज भुगतान के साथ–साथ ब्याज प्राप्ति का विवरण तथा 31 मार्च 2024 को राज्य सरकार के अवशेष ऋण तथा अग्रिम का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.22 : 2019–24 के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋणों का प्रारम्भिक अवशेष	30709.56	27188.98	27206.86	27880.79	36752.10
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि	2120.00	1152.61	1613.36	10208.63	8014.96

[8] यह आँकड़े वित्त लेखे के विवरण 19 (खण्ड 2) के अनुसार है। विवरण 19 (खण्ड 1) जो सम्बन्धित इकाईयों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं पर आधारित है, इसका अन्तर समाधान की प्रक्रिया में है।

[9] सकल अवशेष लोक ऋण का औसत ब्याज = [ब्याज भुगतान/{(लोक ऋण का प्रारंभिक शेष+लोक ऋण का अन्तिम शेष)/2}* 100]

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	5640.58	1134.73	939.43	1337.32	1834.43
बकाया ऋणों का अन्तिम अवशेष	27188.98	27206.86	27880.79	36752.10	42932.63
शुद्ध वृद्धि	(-)3520.58	17.88	673.93	8871.31	6180.53
प्राप्त ब्याज	112.29	89.18	66.78	42.33	17.24
सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की दर	0.39	0.33	0.24	0.13	0.05
सरकार के बकाया ऋणों पर भुगतान किये गये ब्याज की दर	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान किये गये ब्याज के बीच अन्तर (प्रतिशत)	(-)7.65	(-)7.03	(-)7.48	(-)7.13	(-)7.19

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022–23 में ₹ 10,208.63 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में ₹ 8,014.96 करोड़ ऋण के रूप में दिए गए। चालू वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों में सम्मिलित हैं:

- चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ को ₹ 1,300 करोड़ का ऋण, यद्यपि वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 2,010 करोड़ का ऋण बकाया था।
- राज्य में निजी निवेशकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों और औद्योगिक केंद्रों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ₹ 5,000 करोड़ का ऋण।

वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण में ₹ 6,180.53 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 की तुलना में ऋण वसूली में ₹ 497.11 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ब्याज प्राप्ति में ₹ 25.09 करोड़ की कमी आयी। वर्ष 2023–24 के दौरान ब्याज की प्राप्ति दिये गये बकाया ऋण का केवल 0.05 प्रतिशत थी।

(iii) अपूर्ण परियोजनाओं पर पूंजी का अवरोधन

वित्त लेखे का **परिशिष्ट–IX** अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर पूंजी का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, सम्बन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है।

वित्त लेखे 2023–24 के **परिशिष्ट–IX** के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक 608 पूँजीगत परियोजनाएं अपूर्ण थीं, जिन पर ₹ 4,444.68 करोड़ की राशि व्यय की गई थी एवं ₹ 4,350.89 करोड़ के भुगतान लम्बित थे, जैसा कि **तालिका 2.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23 : 31 मार्च 2024 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	603	8449.78	4281.16
सिंचाई	05	195.15	163.22
योग	**608**	**8644.93**	**4444.68**

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

2.4.3 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र आदि पर व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को **तालिका 2.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

श्रेणी	कुल व्यय/जीएसडीपी	पूँजीगत व्यय/टीई	शिक्षा/टीई	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/टीई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2019-20)	15.88	12.72	15.79	5.25
उत्तर प्रदेश (2019-20)	21.23	16.62	15.34	5.53
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2023-24)	15.66	15.38	14.36	5.71
उत्तर प्रदेश (2023-24)	21.52	20.16	13.16	5.57

स्रोतः आँकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखों से आगणित किये गये हैं
टीई–कुल व्यय

तालिका 2.24 यह दर्शाता है किः

- 2019–20 और 2023–24 के दौरान राज्य सरकार के कुल व्यय का जीएसडीपी से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था। अग्रेतर, यह 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में 21.23 प्रतिशत से बढकर 21.52 प्रतिशत हो गया।
- पूँजीगत व्यय परिसम्पत्ति निर्माण की सुविधा देता है, जो उच्च विकास के अवसर पैदा करता है। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2019–20 में 16.62 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 20.16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019–20 और 2023–24 में राज्य के कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।

- उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2019–20 में 15.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 13.16 प्रतिशत हो गया। अग्रेतर, दोनों वर्षों के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।
- उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2019–20 में 5.53 प्रतिशत से घट़कर वर्ष 2023–24 में 5.27 प्रतिशत हो गया। अग्रेतर, यह वर्ष 2023–24 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

2.4.4 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई है, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान, ब्याज, सब्सिडी इत्यादि को दर्शाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान मानक मदवार व्यय को **चार्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.13 : वर्ष 2023–24 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)

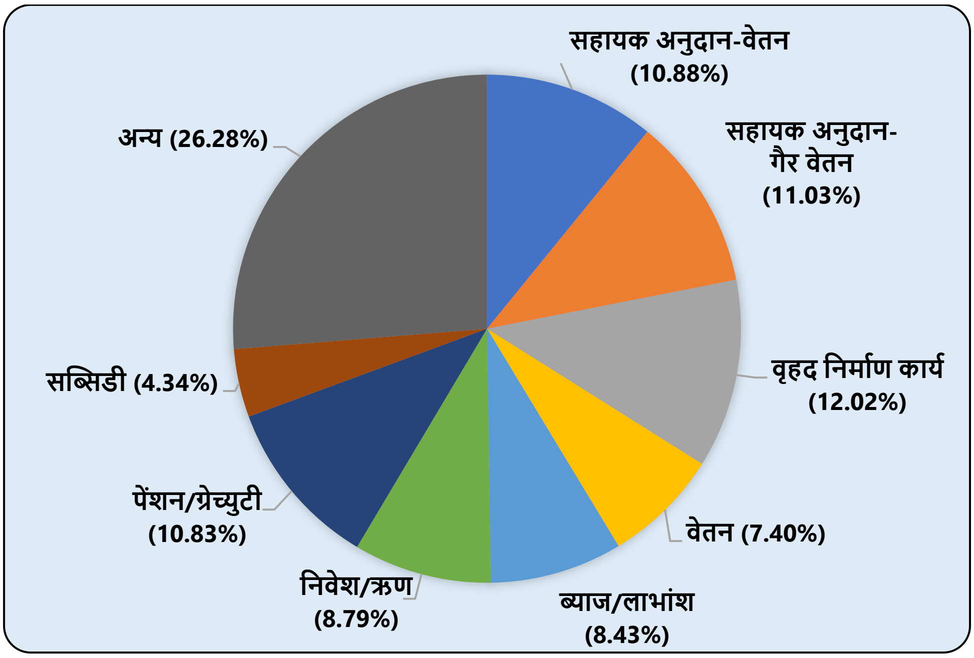

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

चार्ट 2.13 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन के लिये सहायता अनुदान एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के अन्तर्गत व्यय, कुल व्यय (₹ 5,69,747 करोड़) का 29.11 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान (गैर–वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी संचित निधि व्यय का क्रमशः 11.03 प्रतिशत, 8.43 प्रतिशत और 4.34 प्रतिशत था। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों, जो कि पूँजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय संचित निधि के व्यय का क्रमशः 8.79 प्रतिशत और 12.02 प्रतिशत था।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखे में रखे जाते है एवं यह

राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके सम्बन्ध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

2.5.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण–21 में दर्शायी गई है तथा 2019–24 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण **तालिका 2.25** में दिया गया है।

तालिका 2.25 : 2019–24 के दौरान घटक–वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	3314	1062	525	413	948
आरक्षित निधियॉं	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	1757	(-)252	2693	729	3045
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ *	(-)70056	753	1200	2963	1534
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	883	607	(-) 717	(-)1948	92
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)2990	1308	(-) 741	5547	2172
	(स) अग्रिम	17	(-) 0.15	0	0	0
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	(-)1743	1859	1444	(-)394	68
	(ब) अन्य लेखे**	(-)85	(-)162	17	429	(-)43
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	(-)0.10	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	308	(-)323	25	1046	(-)708
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	5	(-)2	(-)4	10	1
योग		**(-)68590**	**4850***	**4442***	**8795***	**7109***

टिप्पणीः धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियां संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

* *रक्षित निधि में निवेश जो कि प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ अवशेष का भाग है, को छोड़कर।*

** *मुख्य शीर्ष 8671–विभागीय अवशेष, 8672–स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673–रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरंभिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन–देन को छोड़कर।*

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति राज्य की संचित निधि के साथ–साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से की जाती है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरण 21 और 22 में उपलब्ध है, जिसे ***परिशिष्ट 2.3*** में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2024 को, आरक्षित निधियों में कुल संचयी अवशेष ₹ 17,190.69 करोड़ था। इनमें से ब्याज[10] सहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 7,972.88 करोड़ था एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 9,217.81 करोड़ था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 7,045.20 करोड़ सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू हुआ था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अन्त में लम्बित देनदारियों, अर्थात आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ–साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबन्धन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के ऐसे परिपक्वता राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय–समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

समेकित निक्षेप निधि में 1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 5,500 करोड़ था, जिसे लोक लेखे के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8222–01–101–निक्षेप निधि में रखा गया था। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य की संचित निधि से ऋण के परिहार या विनियोग की कमी के लिए लेखाशीर्ष 2048–00–101 से ₹ 1,500 करोड़ निधि में स्थानान्तरित किया। अग्रेतर, वर्ष 2023–24 के दौरान निधि से कोई संवितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2024 को, समेकित निक्षेप निधि में (उपार्जित ब्याज को छोड़कर जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश को सूचित नहीं किया गया था) शेष राशि ₹ 7,000 करोड़ थी।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 3,139.76 करोड़ (वर्ष 2022–23 के अन्त में आन्तरिक ऋण और लोक लेखे की अवशेष ₹ 6,27,952.09 करोड़ की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 1,639.76 करोड़ (₹ 3,139.76 करोड़– ₹ 1,500.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2023–24 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका। वर्ष 2023–24 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में कम अन्तरण के कारण ₹ 1,639.76 करोड़ से राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम करके दर्शाया गया।

[10] एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

2.5.2.2 मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख–रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226–102 के अन्तर्गत किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, निधि में ₹ 14.19 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और वर्ष 2023–24 के दौरान न तो निधि में कोई राशि हस्तांतरित की गई और न ही निधि से कोई राशि आहरित की गई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 को डीआरएफ का अन्तिम अवशेष ₹ 14.19 करोड़ था।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.5 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054–800–04 में जमा की जायेगी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग डीआरएफ नियमावली, 2005 के अन्तर्गत, यह धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अन्तरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सापेक्ष लेखाशीर्ष 1054–800–04 के अन्तर्गत ₹ 113.68 करोड़ प्राप्त किया, जिसके सापेक्ष कोई धनराशि हस्तांतरित नही किया गया था। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था।

2.5.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों (जनवरी 2022) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष–8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।

- अवधि 2021–22 से 2025–26 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ का आकार 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगा। एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- राज्य सरकार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि पर आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने लेखाशीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का रख–रखाव किया था। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के लिये 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2023–24 के लिये ₹ 2,273.60 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें भारत सरकार (₹ 1,705.60 करोड़) और राज्य सरकार (₹ 568 करोड़) का अंशदान सम्मिलित था। इसके सापेक्ष राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 1,664.80 करोड़ प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार ने एसडीआरएफ में ₹ 2,219.60 (₹ 554.80 करोड़ राज्य के अंश को सम्मिलित करते हुए) हस्तांतरित किये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ के लिये कोई धनराशि प्राप्त नही हुई।

2023–24 के दौरान, लेखाशीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 3,158.36 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था एवं वर्ष के दौरान इसे ₹ 2,956.13 करोड़ प्राप्त हुए। अग्रेतर, प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 1,561.61 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को शीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ में अवशेष धनराशि ₹ 4,552.88 करोड़ थी, जो कि ब्याज सहित एक आरक्षित निधि है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर देय ब्याज ₹ 307.10 करोड़ के सापेक्ष ₹ 292.92 करोड़ का ब्याज जमा किया था।इस प्रकार, ₹ 14.18 करोड़ के ब्याज के कम भुगतान के कारण वर्ष के दौरान राजस्व व्यय कम तथा राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था ।

2.5.2.4 राज्य आपदा शमन निधि

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के सम्बन्ध में शमन परियोजनाओं के सम्बन्ध में एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के उद्देश्य से गठित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121–130–राज्य आपदा शमन निधि के अन्तर्गत एसडीएमएफ के संचालन को अधिसूचित किया था (अगस्त 2022), जो ब्याज सहित आरक्षित निधि है। केन्द्र एवं राज्य सरकार को निधि में 75:25 के अनुपात में अभिदान करना अपेक्षित था ।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 629.40 करोड़ प्राप्त हुए तथा केन्द्रांश (₹ 629.40 करोड़) तथा राज्यांश (₹ 209.70 करोड़) को सम्मिलित करते हुए ₹ 839.10 करोड़ हस्तांतरित किया गया । शीर्ष 8121–130–एसडीएमएफ में निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 786.30 करोड़ था तथा वर्ष 2023–24 में शीर्ष में कुल

प्राप्तियाँ ₹ 1,486.94 करोड़ थी । अग्रेतर, निधि से ₹ 136.52 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार 31 मार्च 2024 को निधि का अंतिम अवशेष ₹ 2,136.72 करोड़ था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एसडीएमएफ में अवशेष धनराशि पर वर्ष 2023–24 में देय ब्याज ₹ 124.79 करोड़ के सापेक्ष ₹ 92.31 करोड़ का ब्याज जमा किया था। इस प्रकार, ₹ 32.48 करोड़ के ब्याज के कम भुगतान के कारण वर्ष के दौरान राजस्व व्यय को कम तथा राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था।

2.5.2.5 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर निर्गत बांडों और राज्य स्तरीय उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत की गई प्रत्याभूति से उत्पन्न होने वाले भुगतान दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्याभूति विमोचन निधि के गठन और प्रशासन की योजना को अधिसूचित (जनवरी 2021) किया। यह फंड वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू होना था और इसे आरबीआई द्वारा प्रशासित किया जाना था। दिशानिर्देशों[11] के अनुसार, राज्य सरकार प्रारम्भ में न्यूनतम एक प्रतिशत का योगदान देगी एवं तदोपरान्त अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने के लिए विगत वर्ष के अन्त में बकाया गारंटी का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत की दर से योगदान देगी।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के अन्त में अवशेष क्रियान्वित प्रत्याभूति ₹ 1,70,780.52 करोड़ थी। तथापि वित्त लेखे 2023–24 के अनुसार, वर्ष 2023–24 के प्रारम्भ में 19 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,65,556.86 करोड़ थी। इस प्रकार वर्ष 2022–23 के अन्त में अवशेष प्रत्याभूति तथा वर्ष 2023–24 के प्रारम्भ में शेष प्रत्याभूति में ₹ 5,223.66 करोड़ का अन्तर था। अन्तर का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश के मध्य होना शेष था।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 में निधि में आवश्यक योगदान ₹ 1707.81 करोड़ के सापेक्ष कोई योगदान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1707.81 करोड़ से राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व अधिशेष में अधिकता थी।

2.5.2.6 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों[12] से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336–सिविल

---

11 जैसा दिसम्बर 2022 मे संशोधित किया गया

12 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कम्पनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर–वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वनभूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

जमा के नीचे लघु शीर्ष–103 के अन्तर्गत ब्याज सहित खण्ड के अधीन 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129–एससीएएफ में अन्तरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

01 अप्रैल 2023 को, एससीएएफ में ₹ 982.68 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्ति नहीं हुई थी, अग्रेतर राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से एससीएएफ के लिये ₹ 467.35 करोड़ मिले थे और निधि से ₹ 166.84 करोड व्यय किया गया था। 31 मार्च 2024 को एससीएएफ में ₹ 1,283.19 करोड़ शेष था।

शीर्ष 8336–सिविल जमा के अन्तर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनीकरण जमा और शीर्ष 8121– सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत एससीएएफ में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित लागू दर के अनुसार किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने 2023–24 के दौरान शेष राशि पर 3.35 प्रतिशत[13] की दर से देय ₹ 34.01 करोड़ का ब्याज हस्तांतरित नहीं किया। इस प्रकार, वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 34.01 करोड़ से राज्य का राजस्व अधिशेष अधिक और राजकोषीय घाटा कम था।

2.5.2.7 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि

केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अवसंरचना आदि के विकास और रखरखाव के लिये किया जाता है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के सन्दर्भ में सीआरआईएफ के सम्बन्ध में भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया जाता है और उसके बाद प्राप्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8449–103–केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाता है ।

वर्ष 2023–24 के दौरान सीआरआईएफ के अन्तर्गत प्रारम्भिक शेष ₹ 64.66 करोड़ था, राज्य सरकार को भारत सरकार से सीआरआईएफ के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई धनराशि प्राप्त नही हुई थी तथा वर्ष के दौरान निधि से भुगतान शून्य था। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को निधि का अन्तिम शेष ₹ 64.66 करोड़ था।

2.5.3 राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा राज हुंडियों को निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार एवं उधारों के प्रति संदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से एक संचित

[13] जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (मई 2024) किया गया।

निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य लोक धनराशियाँ राज्य के लोक लेखे में जमा की जायेंगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धन संचित निधि/लोक लेखे का भाग नहीं बना जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

2.5.3.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बीओसीडब्ल्यू (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे प्रतिष्ठान, जिसने किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में विगत बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर का आरोपण किया। समय–समय पर यथा संशोधित, उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 20 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 20 का संग्रहण करने का प्रावधान है।

वर्ष 2019–24 की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपयोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, **तालिका 2.26** में दिया गया है।

तालिका 2.26: 2019–24 की अवधि के दौरान पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति, उद्ग्रहीत उपकर एवं उपभोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियां				कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अटल आवासीय विद्यालय के लिये कॉर्पस फंड	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज				
			बोर्ड के खाते में प्राप्त	कोषागार (राज्य सरकार से प्राप्त)					
1	2	3	4	5	6	7 (स्तम्भ 2 से 6)	8	9	10 [स्तम्भ 7-(8+9)]
2019-20	4885.20	13.15	916.45	8.73	323.18	6146.71	362.67	0.00	5784.04
2020-21	5784.04	9.31	878.81	10.00	360.00	7042.16	882.54	0.00	6159.62
2021-22	6159.62	3.71	1007.55	9.78	310.80	7491.46	1697.50	1890.00	3903.96
2022-23	3903.96	9.63	1297.46	40.10	305.05	5556.20	626.61	450.00	4479.59
2023-24	4479.59	6.57	1730.42	40.23	437.87	6694.68	862.16	0.00	5832.52

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (वर्ष 2023–24 के अनन्तिम आँकड़े)

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य विभागों/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को उपकर निर्धारक अधिकारी एवं उपकर संग्राहक अधिकारी नियुक्त (नवम्बर 2009 एवं सितम्बर 2010) किया।

आगे राज्य सरकार ने संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) निर्गत किया। उपर्युक्त **तालिका 2.26** से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2024 को बोर्ड के पास ₹ 5,832.52 करोड़ उपलब्ध थे।

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998[14] प्रावधानित करता है कि संग्रहीत उपकर राज्य के लेखाकंन प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड के लेखाशीर्ष में बोर्ड को अन्तरित किया जायेगा। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। सरकार के लेखे के माध्यम से उपकर का लेखाकरण नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि विभिन्न संग्राहक अधिकारियों द्वारा उपकर, फीस आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी और कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

अग्रेतर देखा गया कि वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार के लेखे में ₹ 8.86 करोड़ लेबर सेस के मुख्य शीर्ष 0230 में जमा हुए थे और ₹ 40.23 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किये गये थे ।

2.6 लोक दायित्व प्रबन्धन

लोक दायित्व प्रबन्धन सरकार के दायित्वों के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम तथा लागत उद्‌देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबन्धन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

2.6.1 दायित्व की रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के सकल दायित्व का गठन सामान्यतः राज्य के आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम एवं लोक लेखा दायित्वों से होता है।

वित्त लेखे का विवरण 6, राज्य सरकार के बकाया दायित्व की स्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट देनदारियों को प्रकट नहीं किया था। **तालिका 2.28** में 2019–20 से 2023–24 के दौरान घटकवार ऋण प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.28 : अवधि 2019–24 में घटक वार दायित्वों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल बकाया दायित्व		**502412**	**564972**	**612956**	**662316**	**767872**
लोक ऋण	आन्तरिक ऋण	405049	458552	496423	533477	614779
	भारत सरकार से ऋण	11529	18107	27261	34364	52327

[14] बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 की धारा 14 की उपधारा (1) में दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 बनाया जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 26 मार्च 1998 को अधिसूचित किया गया।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
लोक लेखा दायित्व	85834	88313	89272	94475	100766
सकल अवशेष दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)3.03	12.45	8.49	8.05	15.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	**1700062**	**1640097**	**1981367**	**2284104**	**2547861**
सकल दायित्व/जीएसडीपी (प्रतिशत)*	29.55	34.08	30.22	28.38	29.58
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियां	112696	123555	121852	116747	185054
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	163192	98424	116743	110395	126775
उपलब्ध निवल निधियाँ	(-)50496	25131	5109	6352	58279
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	(-)44.81	20.34	4.19	5.44	31.49

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* *सकल बकाया दायित्व की गणना जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 में ₹ 6,007 करोड़ तथा 2021–22, 2022–23, 2023–24 में ₹ 14,146.94 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है ।*

जैसा कि **तालिका 2.28** में दर्शाया गया है, अवधि 2019–24 के दौरान राज्य सरकार के सकल बकाया दायित्व के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण वर्ष 2019–20 में ₹ 4,05,049 करोड़ से 51.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2023–24 में ₹ 6,14,779 करोड़ हो गया। वर्ष 2023–24 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 15.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 80,722.64 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी। 31 मार्च 2024 को, आन्तरिक ऋण (₹ 6,14,778.94 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 5,37,117.50 करोड़), वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 47,412.95 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 30,126.31 करोड़) और अन्य ऋण (₹ 122.18 करोड़) सम्मिलित है। इस प्रकार बाजार ऋण राज्य सरकार की कुल वित्तीय देनदारियों (₹ 7,67,872 करोड़) का 69.94 प्रतिशत था।

विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान राज्य के सकल बकाया दायित्व में 15.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 की अवधि में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा यह वर्ष 2023–24 मे सर्वाधिक 31.49 *प्रतिशत* था।

चार्ट 2.14 वर्ष 2023–24 के अन्त में वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार के सकल बकाया दायित्व की स्थिति को दर्शाता है।

चार्ट 2.14 : वर्ष 2023–24 के अन्त में सकल बकाया दायित्व का विवरण

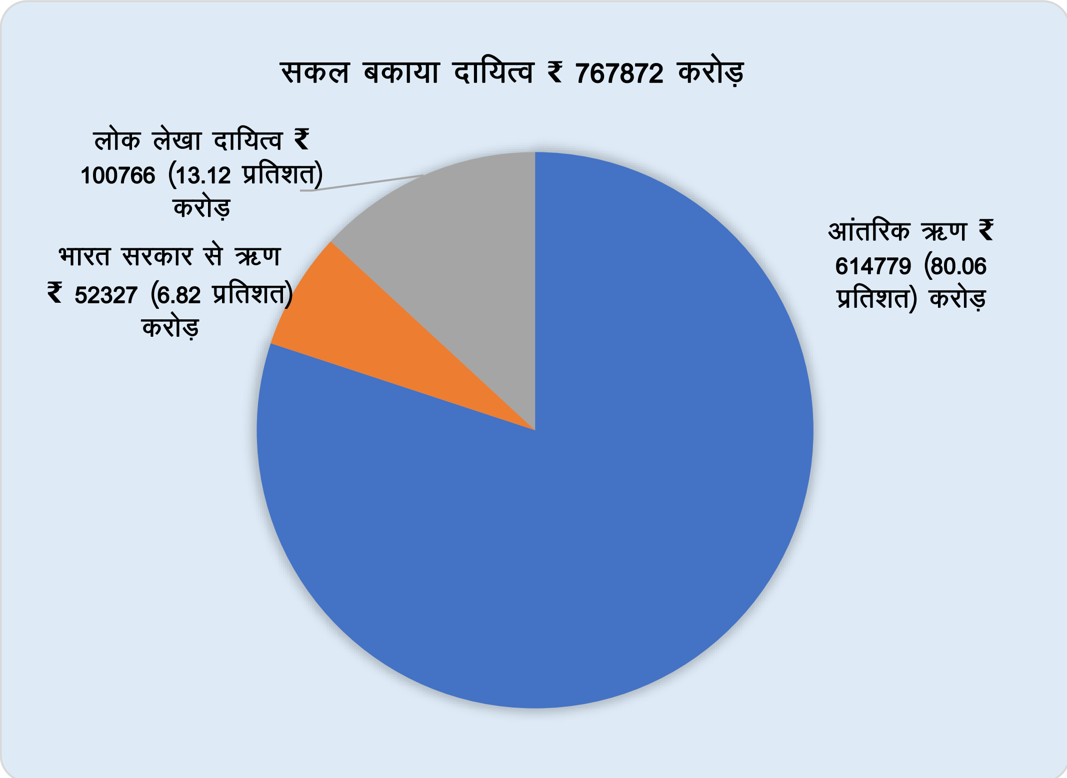

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

2019–24 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.15** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.15: 2019–24 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

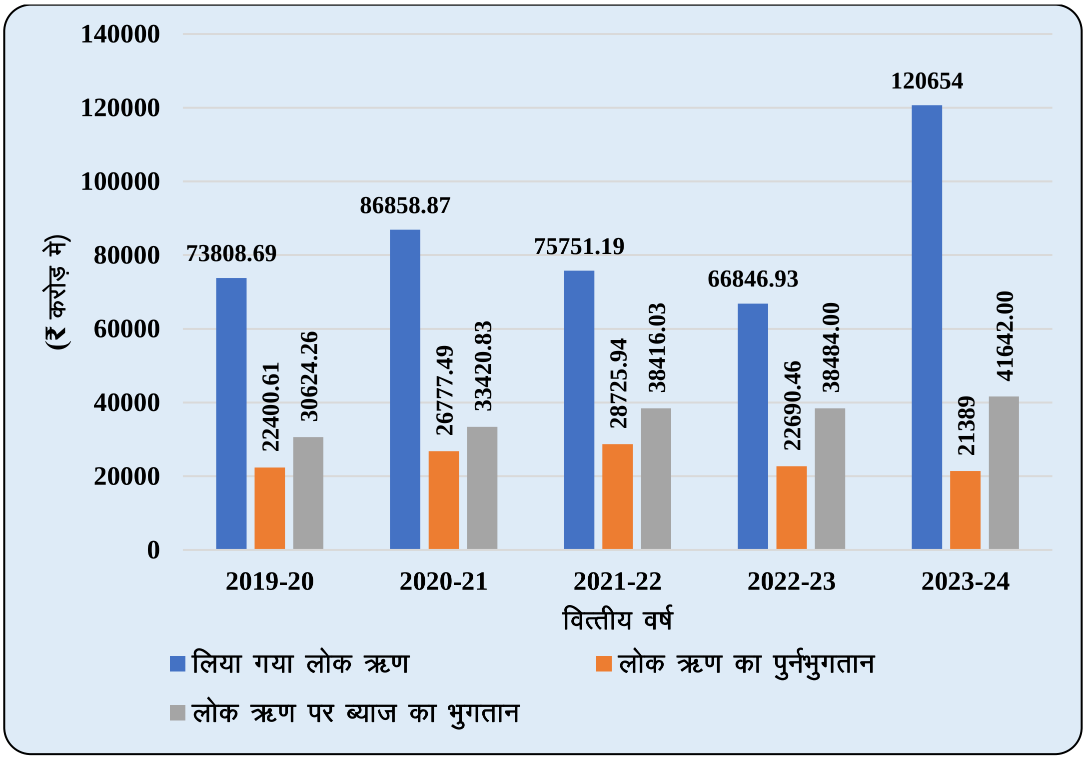

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.15 से स्पष्ट है कि अवधि 2019–20 से 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 52.24 प्रतिशत से 91.51 प्रतिशत का उपयोग विगत लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 8.49 प्रतिशत से 47.76 प्रतिशत ही पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2022–23 में न्यूनतम और वर्ष 2023–24 में अधिकतम थी। वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 52.24 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 47.76 प्रतिशत धनराशि पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड,राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष, दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्यौरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया गया और संसाधनों को लागू किया गया, राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति **तालिका 2.29** में दी गई है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+)का संघटन–(अ)		**(+)11083**	**(-)54622**	**(-)39286**	**(-)64636**	**(-)80722.64**
1	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+)67560	(-)2367	(+)33430	(+)37263	(+)36013.28
2	निवल पूँजीगत व्यय[15]	(-)59998	(-)52237	(-)71443	(-)93028	(-)110555.39
3	निवल ऋण एवं अग्रिम[16]	(+)3521	(-)18	(-)1273	(-)8871	(-)6180.53

[15] निवल पूँजीगत व्यय =विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ माइनस पूँजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पूँजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

[16] निवल ऋण और अग्रिम =ऋण और अग्रिम माइनस ऋण और अग्रिम का संवितरण ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि ऋणों और अग्रिमों का संवितरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था। वर्ष 2021–22 में, इसमें संचित निधि से आकस्मिकता निधि में ₹ 600 करोड़ का हस्तांतरण भी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत बजटित किया गया था।

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बाजार ऋण	55825.80	63499.68	46670.00	46111.96	89650.00
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 450.84	6577.99	9154.59	7102.82	17962.93
3	एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 5122.07	(-) 5122.07	(-)5122.07	-5122.07	(-)5122.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1155.20	(-) 4874.22	(-)3677.27	(-)3936.23	(-)3225.53
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3313.67	1062.40	525.12	412.91	947.90
6	जमा एवं अग्रिम	(-) 2089.80	1914.78	(-)1458.73	3598.74	2264.05
7	उचन्त एव विविध	(-) 1828.11	1697.48	1461.10	34.82	25.07
8	प्रेषण	313.50	(-)325.46	21.06	1056.61	(-)707.13
9	आरक्षित निधि	(-) 68298.52	500.94	3893.01	3691.79	4578.70
10	आकस्मिकता निधि	629.73	(-) 100.00	700.00	(-)0.06	(-)125.51
11	**सकल घाटा (ब)**	**(-) 16551.44**	**64831.52**	**52166.81**	**52951.29**	**106248.41**
12	**नगद अवशेष में वृद्धि (-)/कमी (+)(अ–ब)**	**5468.75**	**(-) 10209.41**	**(-) 12880.39**	**11684.97**	**25525.77**
13	**राजकोषीय घाटा (11+12)**	**(-) 11082.69**	**54622.11**	**39286.42**	**64636.26**	**80722.64**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अवधि 2019–24 के दौरान, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) एवं राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अन्तरण के कारण था। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य ने ₹ 80,722.64 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित था।

2.6.2 ऋण की रूपरेखाः परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण की सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2024 को ₹ 7,67,872 करोड़ के बकाया सकल दायित्वों में से, ₹ 1,00,766 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों से सम्बन्धित थे। लोक ऋण (₹ 6,67,106 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा **तालिका 2.30** एवं **चार्ट 2.16** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.30 : लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0-2	71056.96	10.65
2-5	161413.54	24.20
5-10	285008.02	42.72
10 वर्ष से अधिक	149627.50*	22.43
योग	**667106.02**	**100**

स्रोत : वित्त लेखा 2023–24 के आधार पर आगणित

**** इसमें भारत सरकार का ₹ 43,542.01 करोड़ रुपये का ऋण सम्मिलित है, जिसके भुगतान की शर्तें जैसे कि किश्तें, ऋण भुगतान की अवधि आदि वित्त मंत्रालय से प्रतीक्षित हैं ।***

चार्ट 2.16: ऋण परिपक्वता की रूपरेखा

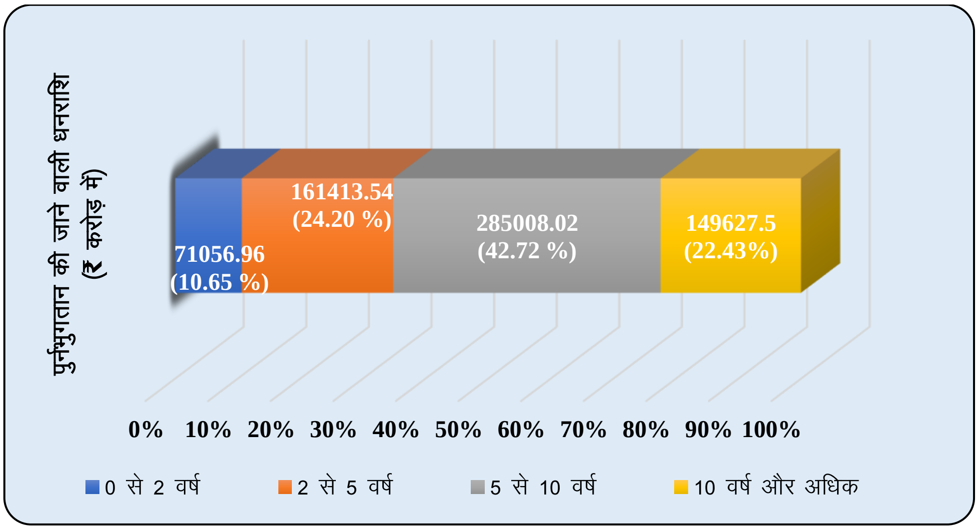

स्रोत: वित्त लेखा 2023–24

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2024–26, 2026–29, 2029–34 एवं 2034 के उपरान्त की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 71,056.96 करोड़ (10.65 प्रतिशत), ₹ 1,61,413.54 करोड़ (24.20 प्रतिशत), ₹ 2,85,008.02 करोड़ (42.72 प्रतिशत) और ₹ 1,49,627.50 (22.43 प्रतिशत) होगी।

आगामी नौ एवं अधिक वर्षो की अवधि के लिये 31 मार्च 2024 को अवशेष लोक ऋण के पुनर्भुगतान का वर्षवार सारणी **तालिका 2.31** में प्रदर्शित है।

तालिका 2.31: लोक ऋण का पुनर्भुगतान सारणी

(₹ करोड़ में)

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	प्रतिशत
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2024-25	29007.44	709.43	29716.87	4.45
2025-26	40731.06	609.02	41340.08	6.20
2026-27	51076.52	861.90	51938.42	7.79
2027-28	53172.28	675.10	53847.38	8.07
2028-29	54971.85	655.90	55627.75	8.34
2029-30	77018.87	633.36	77652.23	11.64
2030-31	81985.73	571.48	82557.21	12.38

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	प्रतिशत
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2031-32	65419.37	474.70	65894.06	9.88
2032-33	20877.11	413.71	21290.81	3.19
2033-34	37229.32	384.38	37613.70	5.63
2034-35 से आगे **	101327.69	46313.62	147641.32	22.13
राज्य सरकार से समाधान के अन्तर्गत*	1961.69	24.29	1986.19	0.30
योग	**614778.93**	**52327.09**	**667106.02**	**100**

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

नोट : तालिका 2.31 में अवशेष ऋण स्टाक पर देय ब्याज को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

* *इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹13.12 करोड़ सम्मिलित हैं।*

** *इसमें भारत सरकार का ₹43,542.01 करोड़ का ऋण सम्मिलित है, जिसके लिए ऋण की चुकौती की शर्तें जैसे कि किश्तें, ऋण चुकौती की अवधि आदि वित्त मंत्रालय से प्रतीक्षित हैं।*

2.7 ऋण संवहनीयता विश्लेषण

ऋण संवहनीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडो, डोमर दृष्टिकोण और एफआरबीएम लक्ष्यों के लिये व्यापक–राजकोषीय मापदंडो के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण का परिणाम निम्नलिखित प्रस्तरों में दिया गया है:

(अ) भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता, ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूँजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक **तालिका 2.32** एवं **चार्ट 2.17** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.32 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	सकल दायित्व अथवा सकल ऋण[17] (₹ करोड़ में)	502412.02	564971.68	612956.33	662316.24	767872.25
2	सकल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)3.03	12.45	8.49	8.05	15.94

[17] बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003–आन्तरिक ऋण तथा 6004–केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में वर्ष के 31 मार्च को अवशेष का योग है।

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
3	जीएसडीपी (नामिनल के रुप मे) (₹ करोड़ में)	1700062	1640097	1981367	2284104	2547861
4	नामिनल जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत् में)	7.45	(-)3.53	20.81	15.28	11.55
5	*सकल ऋण /जीएसडीपी (प्रतिशत में)*	29.55	34.08	30.22	28.38	29.58
6	**लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा**					
6क	0–2 वर्ष	53412.02	51328.15	43864.24	51000.49	71056.96
6ख	2–5 वर्ष	70543.05	91025.84	121117.55	143677.09	161413.54
6ग	5–10 वर्ष	268157.27	312312.04	326181.35	297923.57	285008.02
6घ	10 वर्ष से अधिक	24465.24	21992.94	32521.08	75239.54	149627.50
7	सकल उधारियों का भुगतान (प्रतिशत में)	144.81	79.66	95.81	94.56	68.51
8	सकल ऋण के सापेक्ष उपलब्ध निवल ऋण (प्रतिशत में)*	(-)44.81	20.34	4.19	5.44	31.49
9	सकल ऋण पर ब्याज का भुगतान	34813	37428	42876	43008	47277
10	सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	9.50	12.64	11.56	10.31	10.15
12	राजस्व घाटा /अधिशेष	67560	(-)2367	33430	37263	36013
13	प्राथमिक राजस्व संतुलन (पीआरबी)(12+9)	102373.00	35061.00	76306.00	80272	83290
14	प्राथमिक संतुलन (पीबी)	45896	(-)17194	3589	(-)21628	(-)33446
15	(पीबी) / जीएसडीपी (प्रतिशत मे)	2.70	(-)1.05	0.18	(-)0.95	(-)1.31
16	निवेश पर प्रतिफल तथा सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर में अंतर	(-)7.31	(-)7.03	(-)7.47	(-)7.12	(-)7.20
17	तरलता प्रबन्धन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय इन्सट्रूमेंट सुविधा का उपयोग) (अवसरों की संख्या)	0	0	0	0	0
18	ऋण संवहनीयता (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	44722	(-)75522	78931	27428	(-)3504
19	**डोमार मानदण्ड**					
19.क	जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों के रुप मे)	1141630	1090378	1214875	1324255	1423358
19.ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर रुप मे)	4.03	(-)4.49	11.42	9.00	7.48
19.ग	सीपीआई के अनुसार मुद्रास्फीति	5.86	5.26	5.79	7.07	5.75
19.घ	ब्याज की प्रभावी दर	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
19.च	ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर (ब्याज की प्रभारी दर – मुद्रास्फीति)	1.83	2.10	1.93	0.18	1.49
19.छ	ब्याज वृद्धि अंतर (वास्तविक वृद्धि – ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर) (19ख – 19च)	2.20	(-)6.59	9.49	8.82	5.99

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* *सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज की दर की गणना– (अ) राज्य के पुनर्भुगतान दायित्व से रहित जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 (₹ 14,146.94 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण (ब)राज्यों को पूंजीगत व्यय/निवेश के लिये भारत सरकार से 50 वर्षों के लिये प्राप्त ब्याज रहित ऋण वर्ष 2020–21 (₹ 976 करोड़), वर्ष 2021–22 (₹ 1483 करोड़), वर्ष 2022–23 (₹ 7940.50 करोड़) एवं वर्ष 2023–24 (₹ 19215.08 करोड़) तथा (स) ब्याज रहित आरक्षित निधियों तथा जमा में वर्ष 2019–20 (₹ 21295.49 करोड़), वर्ष 2020–21 (₹ 22356.61 करोड़), 2021–22 (₹ 20814.85 करोड़), 2022–23 (₹ 26824.60 करोड़) तथा वर्ष 2023–24 (₹ 29030.15 करोड़) को घटाकर सकल बकाया ऋण की गणना की गयी है।*

चार्ट 2.17 : ऋण संवहनीयता संकेतांक

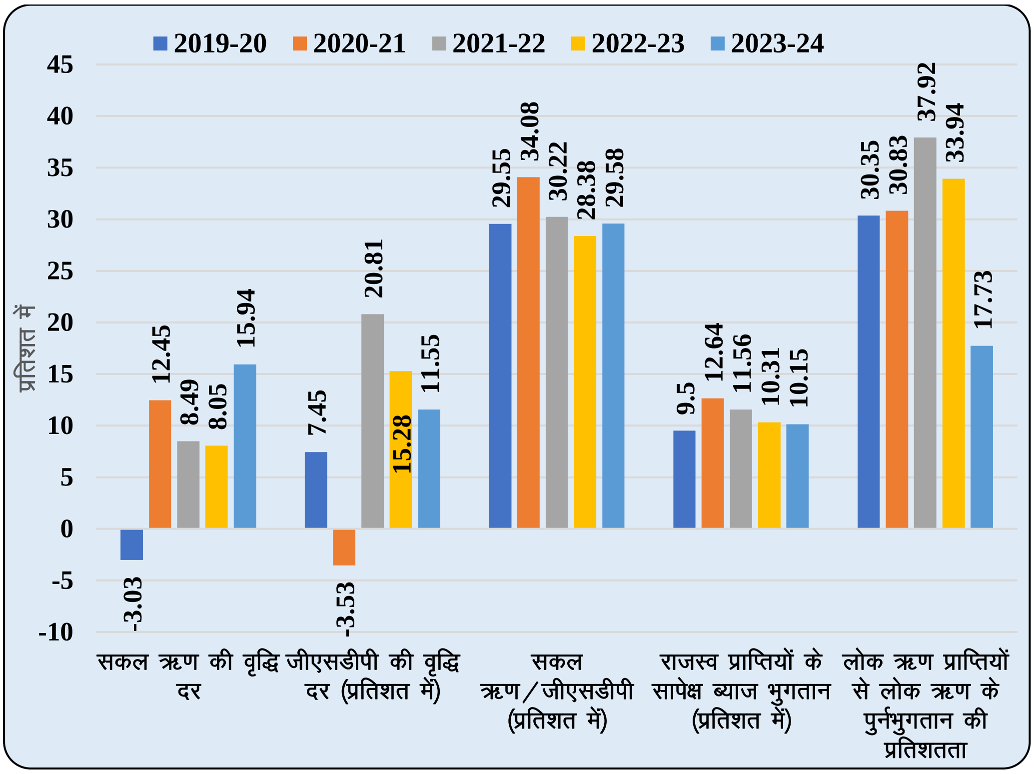

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.32 तथा **चार्ट 2.17** का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता हैः

- वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष प्राप्त बैक टू बैक ऋण को छोड़कर राज्य का सकल ऋण वर्ष 2019–20 में ₹ 5,02,412 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 7,53,725 करोड़ हो गया। वर्ष 2023–24 में यह विगत वर्ष की तुलना में 16.29 प्रतिशत बढ़ा। य़द्यपि, राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना जीएसटी क्षतिपूर्ति के सापेक्ष 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान प्राप्त बैक–टू–बैक ऋण को संज्ञान में लेते हुए, राज्य का लोक ऋण विगत वर्ष की तुलना में 15.94 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 31 मार्च 2024 को ₹ 7,67,872.25 करोड़ था।

- इसके अतिरिक्त औसत सकल दायित्व से जीएसडीपी अनुपात के रूप में मापा गया राज्य का ऋण भार अवधि 2019–24 के दौरान उतार–चढ़ाव भरा रहा। यह वर्ष 2019–20 में 29.55 प्रतिशत था, किन्तु वर्ष 2020–21 में 4.53

प्रतिशत के उच्च स्तर को प्राप्त करते हुए 34.08 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुँच गया । इस बढ़ोत्तरी को महामारी के प्रभाव के कारण उधार आवश्यकताओं में अभूतपूर्व वृद्धि के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आर्थिक सुधार एवं राजकोषीय तनाव कम होने के साथ राज्य का ऋण भार महामारी के बाद के वर्ष (2021–22) में सुधरना प्रारंभ हुआ और वर्ष 2023–24 में सीमित वृद्धि दर्ज करने से पूर्व वर्ष 2022–23 तक घटता रहा, जिससे सकल दायित्व–जीएसडीपी अनुपात (29.58 प्रतिशत) महामारी पूर्व के स्तर पर पहुँच गया ।

- वर्षवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि पॉच में से तीन वर्षों (2020–21, 2022–23 एवं 2023–24) में नकारात्मक प्राथमिक संतुलन के बावजूद वर्ष 2019–24 की अवधि में वृद्धि ब्याज अन्तर (जीआईडी) उतार–चढ़ाव भरा रहा, किन्तु यह अनुकूल रहा, जिससे सकल दायित्व–जीएसडीपी में 2020–21 में 34.08 प्रतिशत से सुधार हुआ तथा यह 2023–24 में 29.58 प्रतिशत हो गया, जिससे यह महामारी पूर्व स्तर पर पहुँच गया।

- डोमार मापदण्ड के अनुसार उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद वर्ष 2019–24 की अवधि में औसत वास्तविक ब्याज दर, औसत वास्तविक वृद्धि के नीचे रहकर अनुकूल रही, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि उधार लेने की लागत को वहन करने के लिये पर्याप्त थी । वर्ष 2021–22 में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार द्वारा समर्थित वास्तविक ब्याज दर में कमी तथा उसके उपरान्त उतार–चढ़ाव भरी वास्तविक ब्याज दर की तुलना में वृद्धि ने राज्य को वर्ष 2019–24 की अवधि में उधार लेने की लागत को वहन करने में सहायता की । वास्तविक वृद्धि के विपरीत सीपीआई मुद्रास्फीति दर जो 5 से 7 प्रतिशत के मध्य मंडरा रही थी, ने राज्य को वर्ष 2021–24 की अवधि में अनुकूल जीआईडी बनाये रखने के लिये वास्तविक ब्याज को वास्तविक वृद्धि के नीचे रखने में सहायता की ।

- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ फैलाव मात्रा शून्य है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह धनात्मक है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात अन्ततः नीचे जायेगा और इसके विपरीत यदि फैलाव मात्रा के साथ–साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि **तालिका 2.32** में आगणित किया गया है, ऋण स्थिरीकरण संकेतक 2020–21 में गिरावट दिखाने के बाद 2021–24 में सकारात्मक हो गया ।

- ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आंकलन करता है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2020–21 के दौरान 12.64 प्रतिशत से घटकर 2023–24 के दौरान 10.15 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019–24 के दौरान लोक ऋण के ब्याज और पुनर्भुगतान के प्रावधान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिये उधार से उपलब्ध निवल निधि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी और यह वर्ष 2021–22 के

दौरान कुल लोक ऋण का न्यूनतम 4.19 प्रतिशत एवं 2023–24 के दौरान अधिकतम 31.49 प्रतिशत था।

(ब) वित्त आयोग प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.33: वित्त आयोग प्रतिवेदन में वित्तीय समुच्चय हेतु लक्ष्य के साथ–साथ उपलब्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य

मापदण्ड		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जीएसडीपी के सापेक्ष लम्बित दायित्वों का प्रतिशत	**लक्ष्य**	31.67	40.90	40.00	40.50	40.20
	प्राप्ति	29.55	34.08*	30.22*	28.38*	29.58*

**जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष वर्ष 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान प्रदान किये गये बैक टू–बैक ऋण जिस पर राज्य का कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है; को सम्मिलित किये बिना गणना की गई।*

जैसा कि **तालिका 2.33** में दर्शाया गया है 2019–24 की अवधि के दौरान, कुल अवशेष ऋण का जीएसडीपी से अनुपात वित्त आयोग के प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत था।

जैसा कि **तालिका 2.32** से स्पष्ट है कि डोमर माडल विश्लेषण के अनुसार 2019–20, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में ब्याज की वृद्धि दर जीएसडीपी (जी–आर>0) की वृद्धि दर से कम थी। तथापि डोमर गैप के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020–21 में वास्तविक ब्याज दर वास्तविक वृद्धि दर से आगे निकल गयी थी। सकारात्मक डोमर गैप के साथ–साथ प्राथमिक अधिशेष ने वर्ष 2021–22 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को कम किया। अग्रेतर, 2023–24 में प्राथमिक घाटा होने के बावजूद 2023–24 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा आगे ऋण जीएसडीपी अनुपात को घाटे की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था, जैसा कि **तालिका 2.32** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋण जीएसडीपी अनुपात में विगत पाँच वर्षों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण संवहनीयता के मार्ग पर था।

2.7.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। 2019–24 की अवधि के दौरान ऋण ली गई धनराशि के उपभोग की स्थिति को **तालिका 2.34** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.34 : उधार ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**73809**	**86859**	**75751**	**66847**	**120654**
2	पूर्व के लोक ऋण का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	22401 (30.35)	26777 (30.83)	28726 (37.92)	22690 (33.94)	21389 (17.73)
3	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	59998 (81.29)	52237 (60.14)	71443 (94.31)	93028 (139.17)	110555 (91.63)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-)3521 (-4.77)	18 (0.02)	674 (0.89)	8871 (13.27)	6181 (5.12)
5	उधार से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-)5069 (-6.87)	7827 (9.01)	(-) 25092 (33.12)	(-) 57742 (86.38)	(-) 17471 (14.48)

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.34 यह दर्शाती है कि वर्ष 2019–20, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 की अवधि में राजस्व व्यय के लिये उधार का उपयोग नहीं किया गया था तथा पूँजीगत लेखें के एक भाग पर व्यय की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति–आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य ऋण के लिये प्रत्याभूति निर्गत करती है। प्रत्याभूतियॉ, ऋणकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर भारित आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में प्रदत्त अधिकतम प्रत्याभूति और लम्बित प्रत्याभूति की धनराशि **तालिका 2.35** में दी गई है।

तालिका 2.35 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	132499.27	175469.24	206431.78	193244.82	184274.02
प्रत्याभूति की लम्बित धनराशि	118696.49	150554.00	174218.42	170780.52	163399.82

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 की अवधि में प्रत्याभूति में ₹ 13,493.98 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ₹ 15,651.02 करोड़ की प्रत्याभूति हटा दी गयी थी । लम्बित प्रत्याभूति वर्ष 2022–23 के ₹ 1,70,780.52 करोड़ से 4.32 प्रतिशत घटकर वर्ष 2023–24 में ₹ 1,63,399.82 करोड़ रह गयी। वर्ष 2023–24 के दौरान, लम्बित प्रत्याभूति राजस्व प्राप्ति (₹ 4,65,801 करोड़) का 35.08 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार की जीएसडीपी (₹ 25,47,861 करोड़) का 6.41 प्रतिशत था। 31 मार्च 2024 को लम्बित प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की तीन कम्पनियों (₹ 1,28,349 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक इकाई (₹ 28,450 करोड़), सहकारिता विभाग के अन्तर्गत चार इकाईयों (₹ 3,149 करोड़) तथा चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत दो इकाईयों (₹ 1,808 करोड़) से सम्बन्धित थी। वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन के रूप में ₹ 4.43 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम से प्राप्त हुई थी। अग्रेतर, वर्ष 2023–24 के दौरान किसी प्रत्याभूति का आह्वान नहीं किया गया था।

2.7.3 नकद अवशेष का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय–समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और कोषागार देयकों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को मुख्य शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष में समेकित निक्षेप निधि के सरकारी प्रतिभूतियों का निवेश सम्मिलित है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को **तालिका 2.36** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.36 : वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2024 को अन्तिम अवशेष
अ. सामान्य नकद अवशेष		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	102.77	154.26
पारगमन में प्रेषण	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	27188.94	51163.20
योग(अ)	**27291.71**	**51317.46**
ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश		

	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2024 को अन्तिम अवशेष
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.78	10.79
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.51
निर्धारित निधियों में निवेश	5545.20	7045.20
योग(ब)	**5556.48**	**7056.50**
योग (अ+ब)	**32848.19**	**58373.96**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

वर्तमान वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 58,373.96 करोड़ थी। वर्ष 2022–23 के अन्त में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 25,525.77 करोड़ (77.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारम्भिक अवशेष ₹ 27,188.94 करोड़ था। ₹ 7,45,026.39 करोड़ के कोषागार देयक क्रय किये गए और ₹ 7,21,025.81 करोड़ की धनराशि के निवेश विक्रय किये गये (भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के अन्तर्गत मोचन के रूप में प्राप्त ₹ 26.31 करोड़ को सम्मिलित करते हुए), जिससे वर्ष के अन्त में लेखे में ₹ 51,163.20 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। कोषागार देयकों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 312.46 करोड़ और ₹ 7.73 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 4,93,843 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया। यह वर्ष 2021–22 में बढ़कर ₹ 6,91,373 करोड़ और वर्ष 2022–23 में ₹ 8,42,096 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2023–24 मे अग्रेतर घटकर ₹ 7,45,026 करोड़ हो गया । नकद शेष निवेश खाते के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान अस्थिर था, यह वर्ष 2019–20 (31 मार्च 2020) में ₹ 21,387 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 (31 मार्च 2021) में ₹ 30,597 करोड़ और वर्ष 2021–22 (31 मार्च 2022) में ₹ 41,477 करोड़ हो गया । यह वर्ष 2022–23 में घटकर ₹ 27,292 करोड़ हो गया (31 मार्च 2023) तथा वर्ष 2023–24 (31 मार्च 2024) में बढ़कर ₹ 51,317 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए नकद शेष निवेश खाते की स्थिति और उस पर अर्जित ब्याज **तालिका 2.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्यशीर्ष 8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष–प्रारम्भिक अवशेष)	उपार्जित ब्याज
2019-20	26684.36	21150.71	(-) 5533.65	596.15
2020-21	21150.71	30459.45	9308.74	249.67
2021-22	30459.45	41825.24	11365.79	346.99
2022-23	41825.24	27188.94	(-) 14636.30	402.60
2023-24	27188.94	51163.21	23974.26	320.19

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को **चार्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह

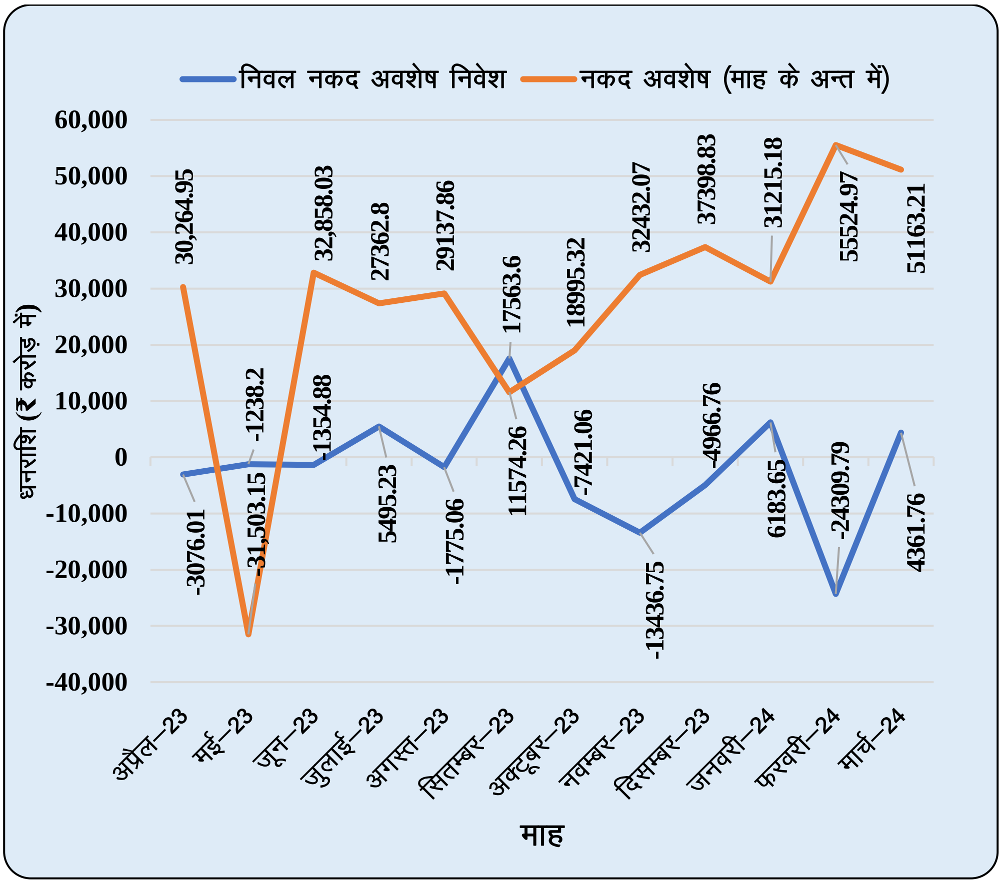

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति **चार्ट 2.19** में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.19: अवधि 2019–24 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण

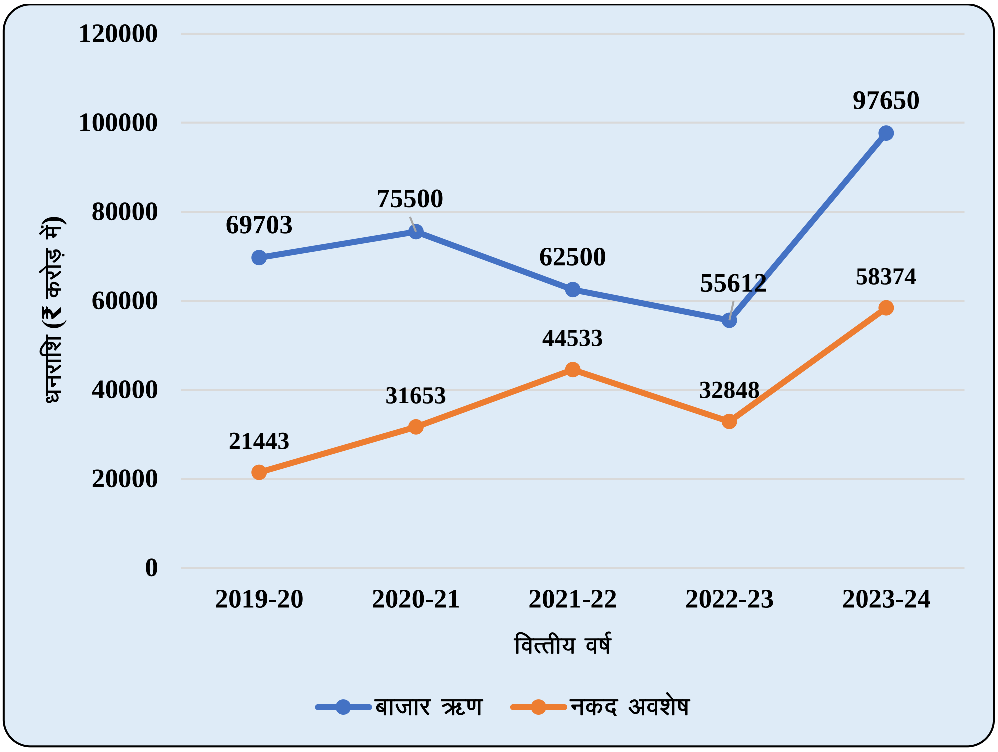

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.4 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 को नकद अवशेष धनराशि ₹ 154.26 करोड़ (डेबिट) थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित धनराशि ₹ 59.06 करोड़ (क्रेडिट) थी। इस प्रकार ₹ 95.20 (डेबिट) करोड़ का निवल अन्तर था, जो समाधान की प्रक्रिया में था।

2.8 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (–) ₹ 80,723 करोड़ जीएसडीपी का 3.17 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (संशोधन) बिल 2021 द्वारा निर्धारित 3.39 प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में राजस्व प्राप्ति में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य ने 2023–24 के दौरान ₹ 36,013.28 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया था।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय में वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान घटने की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2023–24 में यह राजस्व व्यय का 55.72 प्रतिशत था।
- राज्य के ऋण–जीएसडीपी अनुपात में वर्ष 2020–21(34.08 प्रतिशत) से वर्ष 2023–24 (29.58 प्रतिशत) घटने की प्रवृत्ति थी।

- वर्ष 2023–24 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा प्रारम्भिक रूप से ऋण जीएसडीपी अनुपात को घटने की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था।

संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1639.76 करोड़ का कम अंशदान हस्तांतरित किया था, जिसका उपयोग राज्य सरकार की लम्बित देनदारियों के मोचन के लिये किया जाना था।
- राज्य सरकार ने राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की शेष राशि पर वर्ष 2023–24 के लिए ₹ 34.01 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था।
- राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि में ₹ 1707.81 करोड़ का अंशदान नहीं किया था, जो कि सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु था।

2.9 संस्तुतियाँ

1. *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में दिया गया है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।*

2. *राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए।*

3. *राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।*

4. *राज्य सरकार को अधिसूचना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में वार्षिक अंशदान सुनिश्चित करना चाहिये जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना में आवश्यक है।*

अध्याय - III

बजटीय प्रबन्धन

अध्याय-III

बजटीय प्रबन्धन

यह अध्याय अनुपूरक अनुदानों और सहवर्ती वित्तीय प्रबन्धन को सम्मिलित करते हुए बजटीय प्रक्रिया और आवंटन प्राथमिकताओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, यह आंकलन करते हुए कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को धन के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है, से सम्बन्धित है।

3.1 बजट प्रक्रिया

वार्षिक बजट की कार्यवाही, सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश देने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (यूपीबीएम) उत्तर प्रदेश सरकार हेतु बजट तैयार करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 8 के अनुसार वित्त विभाग वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। विभागाध्यक्ष और अन्य प्राक्कलन अधिकारी प्रत्येक लेखा शीर्ष, जिससे वह सम्बन्धित है, के लिए अनुमान तैयार करते हैं और इन्हें वित्त विभाग को अग्रेषित करते हैं। विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के प्रशासनिक विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने की प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गयी है।

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया

सीएसएसः केन्द्र प्रायोजित योजनाएं; सीएसः केन्द्रीय योजनाएं; ईएपीः बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अन्तर्गत बजट को अन्तिम रूप देने के पश्चात राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय अनुमानों को बजट में अलग से मतदेय एवं भारित मद के व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और राजस्व लेखा में अन्य व्यय से व्यय को विभेद करता है। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व वैधानिक प्राधिकार आवश्यक है। विधान सभा द्वारा अनुदानों पर मतदेय होने के पश्चात, राज्य के समेकित निधि से विनियोग हेतु सभी प्रकार के मतदेय के साथ साथ भारित व्यय के सभी आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तावित किया जाता है। विनियोग विधेयक जब विधानमण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसे राज्यपाल की सहमति भी प्राप्त हो जाती है, तो उसमें दर्शायी गई धनराशि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जा सकती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में प्रावधान है कि वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में पारित प्रावधानों पर अनुपूरक अनुदान या विनियोग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, व्यय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जहाँ उस वर्ष, जिसके लिए विनियोग अधिनियम के प्रावधान अपर्याप्त पाए जाते हैं या जब वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है अथवा यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की जा रही है, जिसकी मूल बजट में परिकल्पना नहीं की गई थी।

अनुपूरक अनुदान से इतर, उसी अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत निधियों के पुनःआवंटन के लिए पुनर्विनियोग का भी उपयोग किया जा सकता है। पुनर्विनियोग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मतदेय अथवा भारित विनियोग खण्ड के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई में बचत का अन्तरण उसी खण्ड के अन्तर्गत (अर्थात राजस्व–मतदेय, राजस्व–भारित, पूँजीगत–मतदेय, पूँजीगत–भारित) किसी अन्य इकाई के अन्तर्गत मौजूदा सेवा पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2023–24 के लिए बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: वर्ष 2023–24 के बजट के घटक

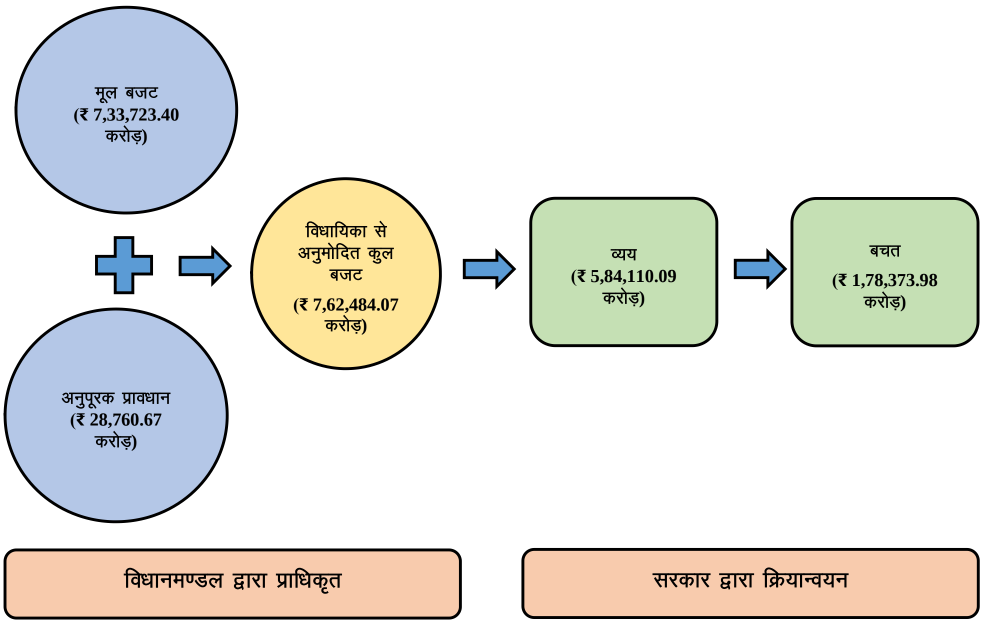

स्रोत: उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित और मतदेय दोनों मदों के सम्बन्ध में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजी व्यय और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं और विनियोग लेखे में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अनुसार किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकार के अधीन है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किए जाने के लिए आवश्यक व्यय प्रावधानों के अधीन प्रभारित है। यह भी पता चलता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 वर्ष 2023–24 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधानों, व्यय और बचत की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1: 2023–24 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
राजस्व	484739.59	54657.84	385132.11	49588.58	99607.48	5069.26
पूँजीगत	191843.90	31242.74	127981.05	21408.35	63862.85	9834.39
योग	**676583.49**	**85900.58**	**513113.16**	**70996.93**	**163470.33**	**14903.65**

स्रोत: विनियोग लेखे 2023–24 एवं बजटीय अभिलेख

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, राजस्व और पूँजीगत दोनों खण्डों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय काफी कम था, जिसमें 19.41 प्रतिशत और 33.04 प्रतिशत की बचत देखी गई। अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के सापेक्ष सकल व्यय राजस्व मतदेय खण्ड में 79.45 प्रतिशत, राजस्व भारित खण्ड में 90.73 प्रतिशत, पूँजीगत मतदेय खण्ड में 66.71 प्रतिशत और अनुदान/विनियोग के पूँजीगत भारित खण्ड के अधीन 68.52 प्रतिशत था।

3.1.2 भारित एवं मतदेय व्यय

2019–24 की अवधि के दौरान कुल भारित एवं मतदेय व्यय और उनके सापेक्ष बचतों का विवरण के विश्लेषण की प्रवृत्ति **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिकाः 3.2 वर्ष 2019–24 के दौरान मतदेय और भारित के अधीन व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व				पूँजीगत			
	व्यय		बचत		व्यय		बचत	
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
2019-20	266083	35367	64113	22640	75556	22420	27637	12993
2020-21	263323	39047	81777	25080	66856	26798	33551	8139
2021-22	293995	45530	84220	999	80806	28734	57149	10258
2022-23	336997	46227	99264	3296	113919	22716	53234	9902
2023-24	385132	49589	99607	5069	127981	21408	63863	9834

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.2 से प्रदर्शित होता है कि 2019–20 की अवधि के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय ₹ 2,66,083 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 2,63,323 करोड़ हो गया था और उसके बाद वर्ष 2021–22 में बढ़कर ₹ 2,93,995 करोड़ हो गया तथा पुन: वर्ष 2023–24 में बढ़कर ₹ 3,85,132 करोड़ हो गया था। वर्ष 2023–24 के दौरान, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन व्यय पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में 14.28 प्रतिशत बढ़ गया। हालाँकि, राजस्व मतदेय खण्ड के अधीन बचत 2019–20 में ₹ 64,113 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 99,607 करोड़ हो गई।

इसी प्रकार, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय 2019–24 की अवधि के दौरान परिवर्तनशील था और यह वर्ष 2023–24 के दौरान अधिकतम (₹ 1,27,981 करोड़) और वर्ष 2020–21 के दौरान न्यूनतम (₹ 66,856 करोड़) था। वर्ष 2023–24 के दौरान, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत व्यय (₹ 1,27,981 करोड़) पूर्व वर्ष के दौरान हुए व्यय की तुलना में 12.34 प्रतिशत अधिक था। यद्यपि, पूँजीगत मतदेय खण्ड के अन्तर्गत बचत वर्ष 2019–20 मे ₹ 27,637 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 57,149 करोड़ हो गई और उसके बाद वर्ष 2022–23 में मामूली रूप से घटकर ₹ 53,234 करोड़ हो गई जो पुनः वर्ष 2023–24 में बढ़कर ₹ 63,863 करोड़ हो गई।

3.1.3 बजट मार्क्समैनशिप

कुल बजट परिणाम

कुल बजट परिणाम उस सीमा को मापता है जिसमें कुल बजट व्यय परिणाम/वास्तविक व्यय मूलरूप से अनुमोदित राशि दोनों के सन्दर्भ में अनुमोदन से अधिक और अनुमोदन से कम को दर्शाता है। वास्तविक अनुमोदित बजट के सापेक्ष वास्तविक व्यय की तुलना के विवरण को **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2023–24 के दौरान वास्तविक अनुमोदित बजट के सन्दर्भ में वास्तविक परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	वास्तविक परिणाम	वास्तविक एवं बजट के मध्य अन्तर*
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व	520351.04	434720.69	(-) 85630.35
पूँजी	213372.36	149389.40	(-) 63982.96
योग	**733723.40**	**584110.09**	**(-) 149613.31**

स्रोतः विनियोग लेखे एवं बजट अभिलेख

मूल प्रावधान पर वास्तविक परिणाम का आधिक्य (+) चिन्ह के रूप में और मूल प्रावधान पर वास्तविक परिणाम में कमी (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व खण्ड में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (–) 16.46 प्रतिशत था। यह 53 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 29 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य और नौ अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य विचलन के कारण था।

पूँजी खण्ड में, (बीई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (–) 29.99 प्रतिशत था। यह 42 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, नौ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 34 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक छः अनुदानों में विचलन के कारण था।

व्यय परिणाम संरचना

व्यय परिणाम संरचना उस सीमा को मापता है जहाँ पुनः आवंटन, मूल बजट श्रेणी के मध्य निष्पादन के दौरान व्यय संरचना में परिवर्तनशीलता के योगदान को **तालिका 3.4** में निम्न रूप में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4 : व्यय परिणाम संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुमोदित मूल बजट(बीई)	संशोधित अनुमान(आरई)	वास्तविक परिणाम	(बीई) एवं (आरई) के मध्य अन्तर	वास्तविक एवं आरई* के मध्य अन्तर'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व	520351.04	473043.44	434720.69	47307.60	(-)38322.75
पूँजी	213372.36	203049.98	149389.40	10322.38	(-)53660.58
योग	**733723.40**	**676093.42**	**584110.09**	**57629.98**	**(-)91983.33**

स्रोतः विनियोग लेखा एवं बजट अभिलेख

संशोधित अनुमान पर वास्तविक का आधिक्य (+) चिन्ह के रूप में और संशोधित अनुमान पर वास्तविक में कमी (-) चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (–) 8.10 प्रतिशत था। यह 72 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य और सात अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य विचलन के कारण था।

पूँजी खण्ड में, (आरई) के सापेक्ष परिणाम में विचलन (–) 26.43 प्रतिशत था। यह 44 अनुदानों में 0 से ± 25 प्रतिशत के मध्य, 16 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 27 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और 100 प्रतिशत के समतुल्य या अधिक चार अनुदानों में विचलन के कारण था।

3.2 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियाँ

इस भाग में निर्धारित बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया से विचलन पर चर्चा की गई है।

3.2.1 अधिक व्यय का नियमितीकरण

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि व्यय की गई है, तो राज्यपाल द्वारा ऐसे अधिक व्यय की माँग को उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली (यूपीबीएम) के प्रस्तर 137 में निर्देशित है कि यदि वर्ष की समाप्ति के उपरान्त, यह पता चलता है कि किसी अनुदान या भारित विनियोग के अधीन उस वर्ष के लिए उस अनुदान या भारित विनियोग के अधीन कुल विनियोग से अधिक व्यय किया गया था तो अतिरिक्त व्यय की माँग को, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) के अधीन अपेक्षित था, लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा में प्रस्तुत कर नियमित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2005–06 से 2023–24 से संबंधित 104 अनुदानों और 49 विनियोगों के अंतर्गत ₹ 32,533.56 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण, जैसा कि संबंधित वर्षों के विनियोग लेखों में टिप्पणी की गई है, को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है, जैसा कि **तालिका 3.5** में वर्णित है।

तालिका 3.5: अधिक व्यय को अब तक नियमित न किया जाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
2005-06	राजस्व मतदेय- 8, 12, 53, 55, 57, 58, 72 पूँजीगत मतदेय-15, 16, 18, 23, 33, 34, 37, 38, 40, 55, 56, 57, 58, 73, 75, 96 राजस्व भारित-1, 52; पूँजीगत भारित-52, 55	869.05
2006-07	राजस्व मतदेय -9, 13, 55, 58, 61, 62, 73, 91, 95 पूँजीगत मतदेय -3, 16, 31, 37, 55, 57, 58, 89, 96 राजस्व भारित -2, 3,10, 52, 62, 89	2484.47
2007-08	राजस्व मतदेय -51, 55, 57, 58, 62;	3610.65

वर्ष	अनुदान/विनियोग का विवरण	अधिक व्यय राशि जिसको नियमित करने की आवश्यकता है
	पूँजीगत मतदेय -13,16, 55, 58, 63, 83, 96 राजस्व भारित -51, 66	
2008-09	राजस्व मतदेय -62, 96; पूँजीगत मतदेय -55, 58, 96 राजस्व भारित -52	3399.42
2009-10	राजस्व मतदेय -58; पूँजीगत मतदेय -1,16, 55, 58, 59 राजस्व भारित -3,10, 16, 48, 52, 66	1250.16
2010-11	राजस्व मतदेय -30, 51, 91; पूँजीगत मतदेय -10, 55, 58 राजस्व भारित -10, 23, 61, 82	1702.62
2011-12	राजस्व मतदेय -21, 62, 91; पूँजीगत मतदेय -1, 55, 58 राजस्व भारित -13, 18, 23, 61, 62, 82	1889.66
2012-13	राजस्व मतदेय -51, 57; पूँजीगत मतदेय -55, 58 राजस्व भारित -55, 62, 89	2380.23
2013-14	पूँजीगत मतदेय - 55, 58; पूँजीगत भारित - 52	2608.18
2014-15	राजस्व मतदेय - 57, 91; पूँजीगत मतदेय -1, 40, 55, 57, 58 राजस्व भारित -13	2225.32
2015-16	पूँजीगत मतदेय - 55, 57, 58, 87 राजस्व भारित - 2, 23, 52, 62	1566.71
2016-17	पूँजीगत मतदेय - 55, 58, 87 राजस्व भारित - 89; पूँजीगत भारित – 61	5662.17
2017-18	राजस्व मतदेय - 62; पूँजीगत मतदेय -55 राजस्व भारित -91; पूँजीगत भारित -58	1337.17
2018-19	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय – 55, 57, 58 राजस्व भारित – 52; पूँजीगत भारित – 10, 21, 55	1539.44
2019-20	पूँजीगत भारित – 55	0.11
2020-21	राजस्व मतदेय -57; पूँजीगत मतदेय –55 पूँजीगत भारित –55	8.10
2023-24	राजस्व भारित – 62	0.10
नियमितीकरण की आवश्यकता वाले विगत वर्षों के कुल व्ययाधिक्य		**32533.56**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

अधिक व्यय बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है और इसको नियमित न किया जाना संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। प्राधिकार से अधिक व्यय और अधिक व्यय को नियमित न किये जाने को उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से प्रकाश में लाया गया है। तथापि, वर्ष 2005–06 से 2023–24 से संबंधित अधिक व्यय के मामलों को वित्त विभाग द्वारा नियमितीकरण करने के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा कोई भी धन संचित निधि से आहरित नहीं किया जाएगा।

3.2.2 व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

वित्त विभाग ने व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाने वाले विनियोग की प्राथमिक इकाई के रूप में मानक मदों की एक सूची को अपनाया है। इस प्रकार, कुछ मानक मद केवल व्यय की राजस्व प्रकृति के अनुरूप हैं क्योंकि यह परिसम्पत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते हैं। अग्रेतर, कुछ मानक मदों को केवल व्यय की पूँजीगत श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि इन प्रावधानों से परिसम्पत्ति बनायी जाती है और तद्नुसार बजट में व्यवस्था और लेखांकन की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में मानक शीर्ष 15 (वाहनों का रखरखाव एवं पेट्रोल आदि का क्रय), 16 (वाणिज्यक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान), 25 (लघु निर्माण कार्य), 29 (रखरखाव), 47 (कम्प्यूटर का रखरखाव/सम्बधित स्टेशनरी का क्रय) तथा 58 (आउटर्सोसिंग सेवाओं का संवितरण) के तहत राजस्व और पूँजीगत व्यय के बीच त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण संज्ञान में आया, जैसा कि **तालिका 3.6** में संक्षेपित है

तालिका 3.6: राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	मानक मद	मानक मद नामकरण	मुख्य लेखाशीर्ष	2023–24 में व्यय
1.	**15**	वाहनों का रखरखाव एवं पेट्रोल आदि का क्रय	4406	0.12
2.	**16**	वाणिज्यक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4059, 5054	21.18
3.	**25**	लघु निर्माण कार्य	4055, 4058, 4059, 4070, 4202, 4210, 4216, 4225, 4235, 4250, 4406, 4415, 4702, 4851	159.10
4.	**29**	रखरखाव	4406, 4215	100.17
5.	**47**	कम्प्यूटर अनुरक्षण/प्रासंगिक स्टेशनरी की खरीद	4202, 5054	1.23
6.	**58**	आउटर्सोसिंग सेवाओं का संवितरण	4070	1.59
राजस्व व्यय में न्यूनोक्ति				**283.39**

स्रोत : वित्त लेखा 2023–24

राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के परिणाम को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है, वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 283.39 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

3.2.3 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

सार्वजनिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के बारे में विश्वसनीय, प्रासंगिक और समय पर सूचनाओं की उपलब्धता से सरकार की वित्तीय स्थिति और सरकारी गतिविधियों की सही लागत का आंकलन किया जा सकता है। पारदर्शिता शासन व्यवस्था को मजबूत करने का एक साधन है।

यूपीबीएम के प्रस्तर 31 के अनुसार, सिवाय नियम या निर्देश एवं नियन्त्रित स्थायी स्वीकृति के, नियमतः अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 2023–24 के दौरान, 17 अनुदानों के विभिन्न शीर्षों के अधीन ₹ 11,022.30 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान योजना विवरण को दर्शाए बिना किया गया ***(परिशिष्ट–3.1)***। इन एकमुश्त प्रावधानों में से ₹ 6,474.16 करोड़ (प्रावधान का 58.74 प्रतिशत) का वास्तविक व्यय किया गया।

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़क) के पूँजीगत (मतदेय) खण्ड के प्रकरण के अन्तर्गत मूल बजट प्रावधान में सड़क कार्यों के लिए ₹ 7,049.00 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था, जो अनुदान के पूँजीगत (मतदेय) खण्ड के अन्तर्गत मूल बजटीय प्रावधानों ₹ 17,582.52 का 40.09 प्रतिशत था। इसमें से वास्तविक व्यय ₹ 5,623.21 करोड़ था।

यथार्थ शीर्ष प्रमाणन के आंकलन के बिना एकमुश्त बजटीय प्रावधान करना पारदर्शिता के सिद्धान्त के विपरीत है।

3.2.4 केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के चित्रण में विसंगति

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली और बजट तैयार करने के लिए जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि बजट प्रावधानों को केन्द्रीय सहायतित योजनाओं के सम्बन्ध में उप–शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के साथ निर्दिष्ट वित्तपोषण पद्धति (केन्द्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) के साथ बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2023–24 के लिए बजट दस्तावेजों की जांच से पता चला कि वित्तपोषण पद्धति को दर्ज करने के लिए उपरोक्त मानदण्डों का पालन नहीं किया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 22 कार्यक्रमों ***(परिशिष्ट–3.2)*** के प्रकरण में वित्तपोषण पद्धति (केन्द्रीय अंशदान/राज्य अंशदान/वित्तीय संस्थान) का विस्तृत शीर्ष के साथ उल्लेख नहीं किया गया था। अग्रेतर, केन्द्रीय सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत चार कार्यक्रमों ***(परिशिष्ट–3.3)*** के सम्बन्ध में केन्द्र अंशदान और राज्य के अंश का कुल योग, बिना कोई कारण बताए 100 प्रतिशत से कम था।

यह प्रकरण 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 व 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी प्रकाश में लाया गया था।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

बजटीय आवंटन, वास्तविक संवितरण, बचत और अभ्यर्पण का विवरण और परिकल्पित योजनाओं/परियोजनाओं पर उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है।

3.3.1 बजट अनुमान और योजना एवं क्रियान्वयन के बीच अन्तर

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बजट प्रावधानों, अनुपूरक प्रावधानों, कुल बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय एवं राजस्व मतदेय, राजस्व भारित, पूँजीगत मतदेय, तथा बचत की संक्षिप्त स्थिति को पूँजीगत भारित खंडों के अन्तर्गत **तालिका 3.7** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 3.7 : वर्ष 2023–24 के दौरान बजट प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण	
							धनराशि	प्रतिशतता
मतदेय	राजस्व	466547.59	18192.00	484739.59	385132.11	99607.48	20770.24	20.85
	पूँजी	172925.82	8821.96	181747.78	119966.09	61781.69	23200.02	37.55
	ऋण एवं अग्रिम	9214.71	881.41	10096.12	8014.96	2081.16	30.54	1.47
योग		**648688.12**	**27895.37**	**676583.49**	**513113.16**	**163470.33**	**44000.80**	**26.92**
भारित	राजस्व	53803.45	854.39	54657.84	49588.58	5069.26	80.64	1.59
	पूँजी	50.40	1.10	51.50	19.72	31.78	23.10	72.69
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	31181.43	9.81	31191.24	21388.63	9802.61	00	00
योग		**85035.28**	**865.30**	**85900.58**	**70996.93**	**14903.65**	**103.74**	**0.70**
महायोग		**733723.40**	**28760.67**	**762484.07**	**584110.09**	**178373.98**	**44104.54**	**24.73**

स्रोतः विनियोग लेखा 2023–24

वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल प्रावधान ₹ 7,62,484.07 करोड़ के सापेक्ष वास्तविक व्यय ₹ 5,84,110.09 करोड़ था। ₹ 1,78,373.98 करोड़ की समस्त बचत कुल प्रावधान का 23.39 प्रतिशत थी, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व मतदेय (20.55 प्रतिशत) और पूँजीगत मतदेय खण्डों के अन्तर्गत (33.29 प्रतिशत) थी। यह राज्य सरकार द्वारा नियोजन और क्रियान्वयन में बड़े अन्तर को दर्शाता है।

वर्ष 2023–24 में हुई कुल बचतों सहित अनुदानों का प्रतिशत उपभोग ग्रुप के अनुसार विवरण को **परिशिष्ट–3.4** एवं **चार्ट 3.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3 : अनुदानों/विनियोगों की संख्याओं का ग्रुप के अनुसार कुल बचतों सहित बचतों के प्रतिशतता का वितरण

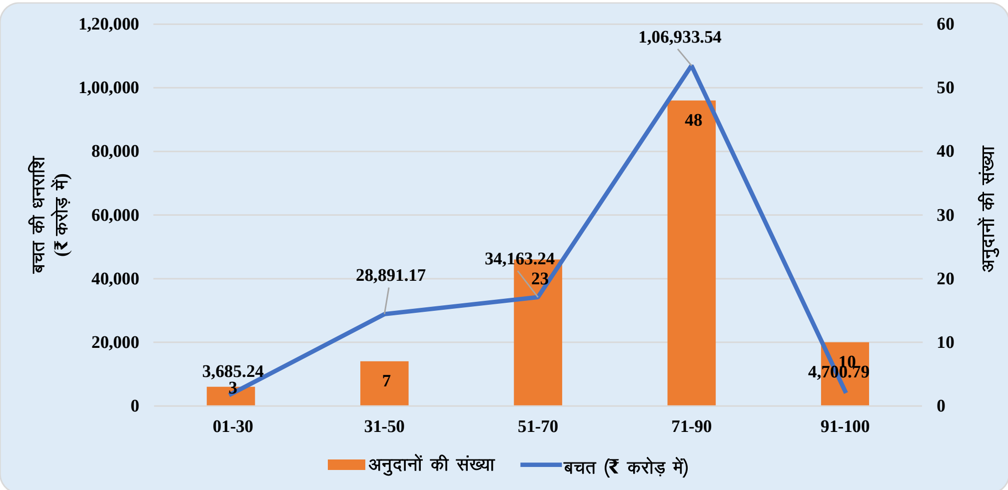

स्रोतः विनियोग लेखा 2023–24

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय में प्रवृत्ति को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तलिका 3.8: वर्ष 2019–24 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	509003.49	544571.20	585910.43	651786.36	733723.40
अनुपूरक बजट	17805.73	00	15781.05	33769.55	28760.67
कुल बजट (टीबी)	526809.22	544571.20	601691.48	685555.91	762484.07
संशोधित अनुमान (आरई)	481130.95	446224.67	517531.86	619139.44	676093.42
वास्तविक व्यय (एई)	399426.75	396023.70	449065.47	519859.58	584110.09
बचतें	127382.47	148547.50	152626.01	165696.33	178373.98
अनुपूरक बजट का मूल प्रावधान के सापेक्ष प्रतिशत	3.50	00	2.69	5.18	3.92
कुल बचत का कुल प्रावधान से प्रतिशत	24.18	27.28	25.37	24.17	23.39
टीबी–आरई	45678.27	98346.53	84159.61	66416.47	86390.65
आरई–एई	81704.20	50200.97	68466.39	99279.86	91983.33
(टीबी–आरई) का टीबी से प्रतिशत	8.67	18.06	13.99	9.69	11.33
(आरई–एई) का आरई से प्रतिशत	16.98	11.25	13.23	16.04	13.61

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं विनियोग लेखे।

बीई, आरई एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति का चित्रण **चार्ट 3.4** में है।

चार्ट 3.4: बी.ई., आर.ई. एवं वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति

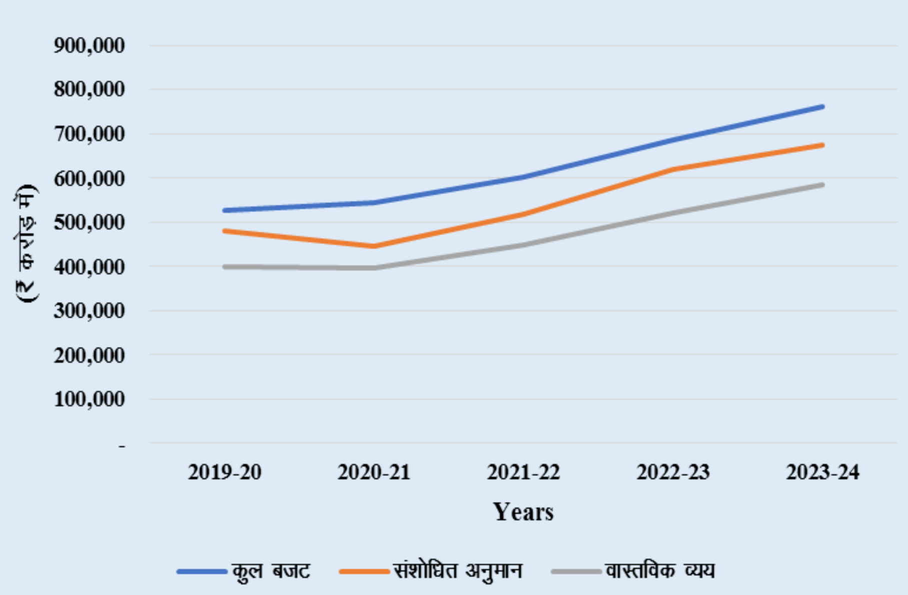

तालिका 3.8 एवं **चार्ट 3.4** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक पुनरीक्षित अनुमान (आरई) सदैव राज्य के कुल बजट (टीबी) अनुमान से कम था। वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान आरई एवं टीबी के बीच के अंतर में वृद्वि हुई। वर्ष 2019–24 के दौरान बजट प्रावधान का बचत 23.39 प्रतिशत (2023–24) और 27.28 प्रतिशत (2020–21) के मध्य

परिवर्तनशील रहा। अग्रेतर, वर्ष 2019–24 के दौरान वास्तविक व्यय पुनरीक्षित अनुमान (आरई) से निरन्तर कम था, यह 11.25 प्रतिशत (2020–21) और 16.98 प्रतिशत (2019–20) के मध्य था। इस प्रकार, व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

विगत पॉच वर्षों (2019–24) के दौरान प्रावधान के तुलना में बजट के कम उपयोग के स्वरूप (पैटर्न) को **चार्ट 3.5** में दिखाया गया है।

चार्ट 3.5: विगत पाँच वर्षों (2019–24) के दौरान बजट प्रावधान और बजट का उपयोग

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

चार्ट 3.5 प्रदर्शित करता है कि विगत पांच वर्षों (2019–24) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2021–22 से 2023–24 के दौरान वास्तविक व्यय में भी वृद्धि हुई थी, लेकिन यह बजट प्रावधान का 75 प्रतिशत से 77 प्रतिशत रहा। यह बजटीय आवंटन अवास्तविक आधारित प्रस्तावों को दर्शाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य तुलना में भी कुल बजटीय व्यय की आवश्यकता के लिए बजट प्रावधान के स्त्रोत में अन्तराल था जैसा कि **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: वर्ष 2023–24 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति मद	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान के सन्दर्भ में वास्तविक प्राप्तियों की कमी/अधिकता	कमी/अधिकता की प्रतिशतता
(i) राजस्व प्राप्तियां	**570865.66**	**465801.15**	**(-) 105064.51**	**(-) 18.40**
स्वयं का कर राजस्व	262634.00	193129.35	(-) 69504.65	(-) 26.46
संघीय करों/शुल्कों का अंश	183237.59	202619.69	19382.10	10.58
गैर कर राजस्व	23790.77	14249.49	(-) 9541.28	(-) 40.10
भारत सरकार से सहायता अनुदान	101203.30	55802.62	(-) 45400.68	(-) 44.86

प्राप्ति मद	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान के सन्दर्भ में वास्तविक प्राप्तियों की कमी/अधिकता	कमी/अधिकता की प्रतिशतता
(ii) ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**3312.18**	**1834.44**	**(-) 1477.74**	**(-) 44.62**
(iii) लोक ऋण	**109114.90**	**120653.96**	**11539.06**	**10.58**
कुल प्राप्तियां	**683292.74**	**588289.55**	**(-) 95003.19**	**(-) 13.90**

स्रोतः राज्य सरकार का बजट अभिलेख एवं वित्त लेखा

जैसा कि **तालिका 3.9** से स्पष्ट है कि बजट 2023–24 में अनुमानित प्राप्तियां एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य पर्याप्त (₹ 95,003.19 करोड़) का अन्तराल था। इस प्रकार राज्य सरकार, उपलब्ध राजस्व स्त्रोत के सन्दर्भ में बजट में वृद्धि की समीक्षा करे।

3.3.2 अव्ययित बजट प्रावधान

यूपीबीएम के प्रस्तर 174 के सन्दर्भ में दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण बजट प्रावधान, बड़े अभ्यर्पण की आवश्यकता या इसके परिणामस्वरूप अधिकता को एक वित्तीय अनियमितता माना गया है। बजट तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष बजट प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश भी अनुमानों की सटीकता और त्रुटिपूर्ण माँगों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं।

वर्ष 2023–24 के लिए विनियोग लेखे के अंतर्गत 91 अनुदानों में बचत के सापेक्ष बजट प्रावधान की लेखापरीक्षा जाँच से प्रकाश में आया कि राजस्व–मतदेय के अन्तर्गत 57 अनुदानों से संबंधित 57 प्रकरणों में एवं पूँजीगत–मतदेय खण्डों के 35 अनुदानों से संबंधित 35 प्रकरणों (जहाँ प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) के अधीन क्रमशः ₹ 99,008.04 करोड़ और ₹ 62,584.28 करोड़ की बचत अंकित की गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व–भारित खण्ड के अन्तर्गत दो अनुदानों से संबंधित दो प्रकरणों में तथा पूँजीगत भारित खण्ड के अन्तर्गत एक अनुदान से संबंधित एक प्रकरण (जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी) में क्रमशः ₹ 4,983.10 करोड़ और ₹ 9,802.52 करोड़ की बचतें अंकित की गईं। इस प्रकार, 65 अनुदानों के 95 प्रकरणों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में कुल ₹ 1,76,377.94 करोड़ (24.23 प्रतिशत) की बचत हुई जैसा कि ***परिशिष्ट–3.5*** में वर्णित है और **तालिका 3.10** में संक्षेपित है।

तालिका 3.10 : 2023–24 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की बड़ी बचत वाले अनुदानों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का खण्ड	प्रकरणों की संख्या	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचत (प्रतिशत)
1.	राजस्व मतदेय	57	465936.15	366928.11	99008.04	21.25
2.	पूँजीगत मतदेय	35	184753.40	122169.12	62584.28	33.87
	कुल मतदेय	**92**	**650689.55**	**489097.23**	**161592.32**	**24.83**

क्र. सं.	अनुदान का खण्ड	प्रकरणों की संख्या	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	कुल प्रावधान के सापेक्ष बचत (प्रतिशत)
1.	राजस्व भारित	2	50432.92	45449.82	4983.10	9.88
2.	पूँजीगत भारित	1	26750.56	16948.04	9802.52	36.64
कुल भारित		**3**	**77183.48**	**62397.86**	**14785.62**	**19.16**
महायोग		**95**	**727873.03**	**551495.09**	**176377.94**	**24.23**

स्रोतः विनियोग लेखा 2023–24

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में बड़ी बचतें त्रुटिपूर्ण बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत है।

3.3.3 सतत् बचतें

उत्तर प्रदेश के विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में सतत् बचतों (₹ 100 करोड़ और अधिक) को प्रतिवेदित किया गया था एवं राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधानों के उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा व भविष्य के वर्षों में अधिक न्यायोचित प्रावधान करने सम्बन्धी परामर्श दिया गया था।

24 अनुदानों के 27 प्रकरणों में यह देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान लगातार बचत ₹ 124.91 करोड़ और ₹ 18,142.29 करोड़ के मध्य (₹ 100 करोड़ और अधिक) हुई थी। सतत् बचत का विवरण ***परिशिष्ट–3.6*** में दिया गया है और **तालिका 3.11** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.11 : वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदानों का सारांश

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	बचत की धनराशि				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व– मतदेय	23	47801.39	53290.45	52515.92	61142.03	65172.09
पूँजीगत– मतदेय	04	12115.09	10233.06	11636.85	5663.27	13950.15
योग	**27**	**59916.48**	**63523.51**	**64152.77**	**66805.30**	**79122.24**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे

वर्षों से पर्याप्त संख्या में अनुदानों में लगातार बचत, राज्य सरकार द्वारा बार–बार निधि की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण का संकेतक है।

3.3.4 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यूपीबीएम का प्रस्तर 162 अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करता है कि अनुपूरक अनुदान या विनियोग की आवश्यकता तब होती है जब विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत अनुदान या विनियोग में शामिल राशि वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाती है,

या जब उस वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम में विचार नहीं की गई कुछ नई सेवाओं, योजना या मद पर व्यय करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है।

वर्ष 2023–24 के विनियोग लेखों से पता चला कि 37 अनुदानों के 72 प्रकरणों में (प्रत्येक मामले में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) किये गये ₹ 3,312.20 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, इन अनुदानों में ₹ 17,051.03 करोड़ बचत के कारण अनावश्यक साबित हुए। व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक या उससे कम था जैसा कि ***परिशिष्ट–3.7*** में वर्णित है एवं निम्न **तालिका 3.12** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.12 : उन मामलों का सारांश जिनमें वर्ष 2023–24 में अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले मे ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान का खण्ड	कुल प्रकरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
1.	राजस्व मतदेय	39	39633.54	932.80	40566.34	31993.76	8572.58
2.	पूँजीगत मतदेय	33	30654.84	2379.40	33034.24	24555.79	8478.45
	योग	**72**	**70288.38**	**3312.20**	**73600.58**	**56549.55**	**17051.03**

यह अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप इन अनुदानों के अन्तर्गत पर्याप्त बचत हुई। इसके अतिरिक्त, अनुपूरक प्रावधान धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक न किया जाना, खराब बजट अनुशासन का भी सूचक है।

3.3.5 अनावश्यक पुनर्विनियोग

यूपीबीएम के प्रस्तर 147 में प्रावधान है कि विनियोग की प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत व्यय को विनियोग की उस इकाई के अधीन मूल रूप से प्रदान की गई राशि के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। तथापि, यदि किसी योजना/सेवा पर मूल/पूरक प्रावधान आवश्यकता से कम पाया जाता है, तो सरकार पुनर्विनियोग का सहारा ले सकती है जो अनुदान के उसी खण्ड के अन्तर्गत अनुदान के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बचत का अन्तरण है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2023–24 के दौरान, 21 अनुदानों के 47 उप–शीर्षों में ***(परिशिष्ट–3.8)***, कुल बजट प्रावधान ₹ 11,549.12 करोड़ था और पुनर्विनियोजन के माध्यम से ₹ 473.49 करोड़ की और वृद्धि की गई थी। तथापि, पुनर्विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि प्रत्येक मामले में व्यय इन उप–शीर्षों के कुल बजट प्रावधान के अंतर्गत था। इन 47 उप–शीर्षों में कुल ₹ 2,443.96 करोड़ की बचत हुई, जैसा कि **तालिका 3.13** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.13: अनावश्यक पुनर्विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान	उपशीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	पुनर्विनियोजन के बाद कुल प्रावधान	व्यय	बचत
21	47	11549.12	473.49	12022.61	9578.65	2443.96

स्रोतः विनियोग लेखा 2023–24

यह इन अनुदानों के अधीन पुनर्विनियोग की युक्ति के लिए पर्याप्त औचित्य के अभाव को दर्शाता है जबकि पर्याप्त बजटीय प्रावधान पहले से ही उपलब्ध थे।

3.3.6 व्यय का अतिरेक

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 62 (3) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार में लागू सामान्य वित्तीय नियमों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में व्यय के अतिरेक को वित्तीय औचित्य के उल्लंघन के रूप में माना गया है। तथापि, व्यय के अतिरेक को रोकने के लिए यूपीबीएम में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

विनियोग लेखे वर्ष 2023–24 की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि चार अनुदानों के अन्तर्गत माह मार्च 2024 में किया गया व्यय 51 से 68 प्रतिशत सीमान्तर्गत था जैसा कि ***परिशिष्ट–3.9*** में दर्शाया गया है। इन्ही अनुदानों के अन्तर्गत वर्ष के चौथे तिमाही में किया गया व्यय जो कि 56 प्रतिशत से 71 प्रतिशत सीमान्तर्गत था।

अग्रेतर, जॉच में पाया गया कि अनुदान संख्या 58 (संचार साधन एवं सड़क) के अन्तर्गत किये गये व्यय ₹ 16,111.18 करोड़ में से मार्च 2024 के दौरान ₹ 268.60 करोड़ व्यक्तिगत जमा (पी0डी0)/व्यक्तिगत खाता बही (पी0एल0ए0) (लेखाशीर्ष 844300101 और 844300117) में छः जनपदों (अयोध्या, बहराइच, लखनऊ, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर और वाराणसी) में अन्तरित किया गया। इसी प्रकार अनुदान संख्या 55 (लोक निर्माण विभाग–भवन) के अन्तर्गत किये गये व्यय ₹ 126.30 करोड़ में से मार्च 2024 में ₹ 4.86 करोड़ जनपद अमेठी में पी0डी0/पी0एल0ए0 (लेखाशीर्ष 844300117) में अन्तरित किये गये।

3.3.7 योजना (उपशीर्ष) जिसके लिए बजट प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

यूपीबीएम के प्रस्तर 212 में बताया गया है कि शक्तिशाली परियोजना सूत्रीकरण और मूल्यांकन का परियोजनाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव के साथ–साथ उनके समय पर कार्यान्वयन पर एक बड़ा असर पड़ता है।

विनियोग लेखे 2023–24 की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकाश में आया कि राज्य सरकार ने 15 अनुदानों के अंतर्गत 26 योजनाओं ***(परिशिष्ट–3.10)*** जिसके लिए सौ करोड़ और उससे अधिक का बजट प्रावधान किया गया था, पर कोई व्यय नहीं किया, जैसा कि **तालिका 3.14** में संक्षेपित है।

तालिका 3.14: उन योजनाओं का सारांश जिनमें मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

अनुदानों की संख्या	योजना की संख्या	मूल अनुदान	कुल व्यय	बचत
15	26	9859.33	0.00	9859.33

स्रोतः विनियोग लेखा 2023–24

योजनायें (उप शीर्षों) जिनसे मूल प्रावधानों का पुनर्विनियोग अन्य योजनाओं में किया गया

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 ***(परिशिष्ट–3.11)*** के दौरान 26 अनुदानों के तहत् 55 योजनाओं के लिए ₹ 2,465.30 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन कोई

व्यय नहीं किया गया और इन योजनाओं से प्रावधानों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,465.30 करोड़) किया गया।

उपरोक्त 76 योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग न करना यह दर्शाता है कि या तो बजट बिना उचित विवेक के तैयार किया गया था, या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गंभीर चूक हुई थी।

3.3.8 बचतों का विलम्बित अभ्यर्पण

यूपीबीएम का प्रस्तर 141 नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करता है कि सभी अन्तिम बचतें 25 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य समर्पित कर दी जाए। जैसे ही बचतें प्रत्याशित हों तो उनका समर्पण शीघ्र किया जाना चाहिए। यदि वित्त विभाग ऐसे समर्पणों को स्वीकार करने में असमर्थ रहता है तो विलम्ब से समर्पण करने वाले अधिकारियों को परिणामी वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

वर्ष 2023–24 के दौरान बचत और अभ्यर्पण का विवरण **चार्ट–3.6** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 3.6: वर्ष 2023-24 के दौरान कुल बचतें एवं अभ्यर्पण

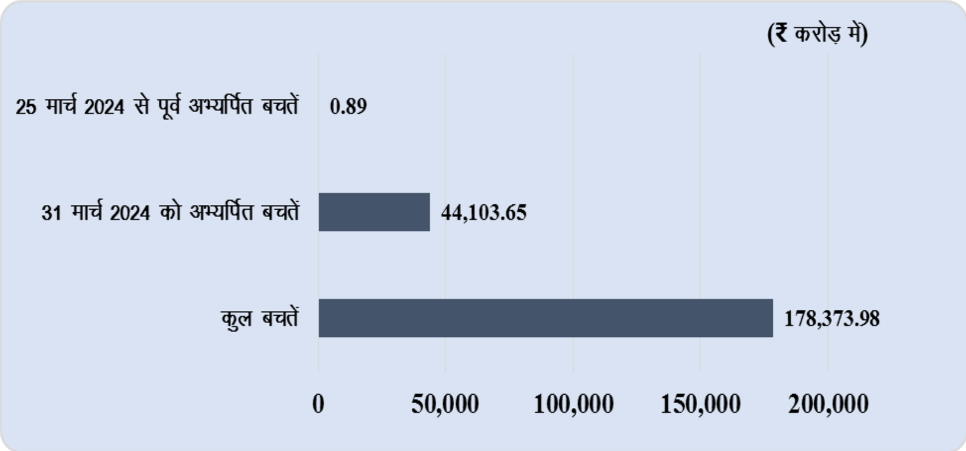

स्रोतः विनियोग लेखा 2023–24

चार्ट 3.6 में यह देखा जा सकता है कि कि कुल बचत ₹ 1,78,373.98 करोड़ में से कुल धनराशि ₹ 44,104.54 करोड़ (24.73 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया था। कुल अभ्यर्पण में से ₹ 0.89 करोड़ 25 मार्च 2024 से पूर्व अभ्यर्पित किया गया था और शेष ₹ 44,103.65 करोड़ वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन समर्पित किया गया था। अवशेष बचत ₹ 1,34,269.44 करोड़ (75.27 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किया गया था। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन किया गया अभ्यर्पण यूपीबीएम के निर्देशों का घोर उल्लंघन था।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

13 अनुदानों में निहित 15 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1.00 करोड़ या अधिक) ₹ 10,649.42 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 11,926.55 करोड़ की धनराशि का अभ्यर्पण किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 1,277.13 करोड़

धनराशि का अधिक अभ्यर्पण हुआ ***(परिशिष्ट–3.12)*** और **तालिका 3.15** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.15: योजनाएं जिनमें बचत से अधिक अभ्यर्पण हुआ का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पण
1.	राजस्व मतदेय (10 प्रकरण)	6757.62	6856.92	99.30
2.	राजस्व भारित (एक प्रकरण)	6.45	6.49	0.04
3.	पूँजीगत मतदेय (चार प्रकरण)	3885.35	5063.14	1177.79
योग		**10649.42**	**11926.55**	**1277.13**

स्रोत : विनियोग लेखा 2023–24

वास्तविक बचत से अधिक धनराशि के समर्पण से स्पष्ट है कि विभागों द्वारा व्यय के प्रवाह को निगरानी कर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण का प्रयोग नहीं किया गया था।

3.4 निष्कर्ष

- वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 7,62,484.07 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹ 1,78,373.98 करोड़ की कुल बचत हुई। पिछले पाँच वर्षों (2019–24) के दौरान बजटीय प्रावधानों में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन बजट का उपभोग 73 प्रतिशत से 77 प्रतिशत सीमान्तर्गत था। तथापि वित्तीय वर्ष 2023–24 में पिछले वर्ष 2022–23 की तुलना में वास्तविक व्यय में ₹ 64,250.51 करोड़ (12.36 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- व्यय के गलत वर्गीकरण, वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय का अतिरेक, बड़ी संख्या में योजनाओं के तहत अप्रयुक्त प्रावधान और बजट प्रावधानों के अनावश्यक पुनर्विनियोग के प्रकरण थे। इसके अलावा, विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों ने बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया और 75.27 प्रतिशत बचतें व्यपगत हो गईं।
- वर्ष 2005–06 से 2023–24 से सम्बन्धित 104 अनुदानों और 49 विनियोजनों के तहत ₹ 32,533.56 करोड़ के अधिक संवितरण को नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना बाकी है। अधिक व्यय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमितीकरण की आवश्यकता है।

3.5 *संस्तुतियाँ*

5. *वित्त विभाग को उन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके कारण विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रहे और भविष्य के वर्षों में अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।*

6. *पुनर्विनियोग निधि की आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को निधियों के इष्टतम उपयोग*

के क्रम में संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय योजनाओं/परियोजनाओं के लागत अनुमान की सटीकता में सुधार करने की सलाह दे सकता है।

7. *वित्त विभाग को विभागीय नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए, ताकि अन्तिम समय के अभ्यर्पण और आवंटन के व्यपगत होने का सहारा लिए बिना, निधियों को अनावश्यक रूप से रखा न जाये एवं शीघ्रातिशीघ्र अभ्यर्पित कर दिया जाय।*

8. *कतिपय मानक मदों में सम्मिलित पूँजीगत या राजस्व प्रकृति के कुछ व्यय के मदों का वर्गीकरण निश्चित मानक शीर्ष में सम्मिलित कर लिया गया जैसा कि प्रस्तर 3.2.2 में इंगित किया गया है। इसको यूपीबीएम के साथ संरेखित करने के लिये समीक्षा और निवारण करने की आवश्यकता है।*

9. *सरकार व्यय की स्थिर गति बनाए रखने के लिए वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय के अतिरेक को नियन्त्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।*

10. *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामले संविधान के अनुच्छेद 205 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमितीकरण के लिए राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएं।*

अध्याय - IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना सहित एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार को दक्ष एवं प्रभावी शासकीय व्यवस्था प्रदान करती है। अतः वित्तीय नियमों, पद्धतियों एवं निर्देशों के अनुसार अनुपालन साथ ही साथ उन अनुपालनों के रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के गुणों में से एक है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि यह प्रभावी एवं प्रचालन योग्य है, सरकार के सामरिक नियोजन एवं निर्णय निर्माण सहित मूलभूत प्रबन्धकीय उत्तरदायित्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय सम्पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराओं में राज्य सरकार के लेखे की गुणवत्ता एवं अनुपालन पर एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

लेखों की सम्पूर्णता सम्बन्धित प्रकरण

4.1 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त–बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदण्डों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से संचित निधि में जमा नहीं किए जा रहे अतिरिक्त–बजट ऋण का सहारा लिया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार अपने राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक देनदारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्पेशल पर्पज वेहिकल द्वारा लिये गये ऋण से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों तथा अन्य समकक्ष साधनों, जहाँ पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, का राजकोषीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को लोक हित में प्रदर्शित करने का उपयुक्त उपाय करेगी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2006 में प्रावधान किया गया है कि बजट अभिलेखों के साथ विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राज्य सरकार के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे एवं कुल बकाया ऋण[18]

---

[18] राज्य का कुल बकाया ऋण, राज्य के ऋणस्टॉक की स्थिति या कुल ऋणग्रस्तता जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियां एवं जमा और अग्रिम शामिल हैं, को इंगित करता है।

के सम्बन्ध में पाँच साल का आवर्ती लक्ष्य भी सम्मिलित होंगे। एमटीएफआरपी 2023 के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 के लिए ऋण स्टाक का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.1 प्रतिशत रखा गया।

राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट ऋण का ब्योरा नहीं दिया। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए विवरण (फरवरी 2025) के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार का बकाया अतिरिक्त बजट ऋण ₹ 38,464.14 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 910.00 करोड़ का ऋण शामिल था, जैसा कि तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: वर्ष 2023–24 के दौरान अतिरिक्त बजट ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य सरकार के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य इकाई का नाम	01.04. 2023 को प्रारम्भिक अवशेष	2023–24 के दौरान जुटाए गए फंड/ऋण	2023–24 के दौरान चुकाया गया मूलधन ऋण	अंतिम अवशेष {(2+3)-4}
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)				
आरईसी/पीएफसी से ऋण	16875.16	0.00	2494.22	14380.94
यूपीपीसीएल द्वारा जारी बांड	7439.20	0.00	0.00	7439.20
कुल (यूपीपीसीएल)	**24314.36**	**0.00**	**2494.22**	**21820.14**
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए)				
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि क्रय हेतु हुडको ऋण	2298.26	0.00	183.88	2114.38
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण	7119.31	0.00	787.87	6331.44
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण	6640.00	0.00	408.21	6231.79
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण	1243.90	910.00	187.51	1966.39
कुल (यूपीईआईडीए)	**17301.47**	**910.00**	**1567.47**	**16644.00**
कुल योग	**41615.83**	**910.00**	**4061.69**	**38464.14**

स्रोतः राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

वित्त लेखा 2023–24 के अनुसार, दिनाँक 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार के पास ₹ 7,67,872.25 करोड़ का ऋण और अन्य देनदारियाँ थीं, जिसमें 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में एक के बाद एक लिए गये ऋण शामिल थे, जिसकी राज्य को कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक राज्य का ऋण और अन्य देनदारियाँ जीएसडीपी का 29.58 प्रतिशत थीं। हालाँकि, बकाया अतिरिक्त बजट ऋण (₹ 38,464.14 करोड़) को शामिल करने के बाद, 31 मार्च 2024 तक राज्य का ऋण और अन्य देनदारियाँ जीएसडीपी का 31.09 प्रतिशत थी, जो एमटीएफआरपी, 2023 अनुमान (32.10 प्रतिशत) से कम थी।

4.2 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुन्मोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए नामित निधि प्रबन्धक को अग्रेतर निवेश हेतु अंशदान अन्तरित न कर अपनी देनदारियों का उन्मोचन नहीं किया।

1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अन्तर्गत आच्छादित हैं। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नवनियुक्त भी इसी योजना से आच्छादित हैं। योजना की शर्तों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारम्भ में दोनों योगदान सरकारी कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित लेखा शीर्ष 8342–अन्य जमा–117 डीसीपीएस तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के लिये लेखा शीर्ष 8342–120–विविध जमा के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा किये जाते हैं। इसके बाद, डीसीपीएस में योगदान की गई सम्पूर्ण धनराशि (सरकार का योगदान और कर्मचारियों का योगदान) को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित किया जाना वांछनीय है। अग्रेतर, मुख्य शीर्ष 8342 ब्याज सहित जमा की श्रेणी में आता है, इसका तात्पर्य यह है कि सरकार द्वारा अहस्तांतरित शेष पर ब्याज का भुगतान करना वांछनीय है।

वर्ष 2023–24 की अवधि में, राज्य सरकार ने लेखा शीर्ष 2071–01–117–डीसीपीएस के लिए सरकार के योगदान के अन्तर्गत ₹ 8,725.78 करोड़ का व्यय पुस्तांकित किया। इसमें सरकार के योगदान के रूप में ₹ 7,998.00 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 4,569.44 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ₹ 3,425.50 करोड़ एवं सहायता प्राप्त स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए ₹ 3.06 करोड़) तथा ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं योजना से आच्छादित कर्मचारियों की विलम्बित जमाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 727.78 करोड़ शामिल हैं। अग्रेतर, सरकार के योगदान की धनराशि ₹ 8,006.43 करोड़, लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8342 के अन्तर्गत डीसीपीएस हेतु नामित शीर्ष में हस्तान्तरित की गयी। राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित धनराशि (₹ 7,998.00 करोड़) एवं डीसीपीएस हेतु नामित शीर्ष में वास्तविक हस्तान्तरित धनराशि (₹ 8,006.43 करोड़) के मध्य अन्तर राज्य सरकार एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य समाधान के अधीन है।

वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8342–117–डीसीपीएस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 748.85 करोड़ की राशि अंतिम अवशेष थी। जिसको एनएसडीएल/न्यासी बैंक में हस्तांतरित नहीं किया गया था। वर्ष के प्रारम्भ में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में डीसीपीएस का प्रारम्भिक अवशेष ₹ 481.05 करोड़ था इस पर सरकार को सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार गणना किये गये ब्याज की धनराशि ₹ 34.15 करोड़ को जमा करना

वांछनीय था। तथापि, सरकार द्वारा ₹ 0.86 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया। ब्याज के कम क्रेडिट का प्रभाव राज्य के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ा, जो वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 33.29 करोड़ क्रमशः अधिक और कम बताया गया था।

नामित निधि प्रबन्धक को डीसीपीएस के अंशदान के कम हस्तांतरण को पूर्व में भी, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, संज्ञान में लाया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार ने डीसीपीएस हेतु देयता का उन्मोचन नहीं किया और वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों हेतु स्थगित कर दी गयी। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि में कोई मूल्य वृद्धि भी नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश न बन सकी।

4.3 उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) की स्थापना नहीं की जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 181.64 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गयी।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (यूपीएमवीटी) अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित 2009) की धारा 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पीड़ित यात्रियों, उनके उत्तराधिकारियों या सेवा वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से प्रभावित अन्य व्यक्तियों को सहायता देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) स्थापित करेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि निधि में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना न करके यूपीएमवीटी अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान के उद्देश्य को नकार दिए जाने के प्रकरण का उल्लेख, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार–वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं0 04 का प्रस्तर सं0 1.9.3.2) में किया गया था। प्रकरण को 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.4 में तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3 में दोहराया गया। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना अभी तक नहीं की थी जिसके कारण 2015–16 से 2022–23 के दौरान निधि में ₹ 915.46 करोड़ की धनराशि जमा नहीं की गई।

2023–24 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग ने यूपीएमवीटी अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत ₹ 9082.08 करोड़ का कर और अतिरिक्त कर वसूल किया। इस प्रकार, ₹ 181.64 करोड़ यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने थे, जैसा कि तालिका 4.2 में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.2: 2023–24 की अवधि के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने योग्य कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

धारा 4 के अधीन वसूल किया गया कर			धारा 6 के अधीन वसूल किया गया अतिरिक्त कर	धारा 4 और धारा 6 के अधीन वसूल किया गया कुल कर	यूपीआरटीएआरएफ में हस्तांतरित किये जाने हेतु 2 प्रतिशत
लेखा शीर्ष		योग	लेखा शीर्ष		
0041-102-01	0041-102-03		0041-102-01		
1	2	3 = स्तम्भ 1+ स्तम्भ 2	4	5= स्तम्भ 3+ स्तम्भ 4	6= स्तम्भ 5 का 2 प्रतिशत
8317.28	420.72	8738.00	344.08	9082.08	181.64

स्रोतः कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

इस प्रकार, 2023–24 के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में ₹ 181.64 करोड़ की धनराशि जमा नहीं की जा सकी, क्योंकि निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

इसका प्रभाव वर्ष 2023–24 के राज्य के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ा, जो कि ₹ 181.64 करोड़ क्रमशः अधिक और कम बताया गया था।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे यह भी सूचित (अगस्त 2024) किया गया कि 2023–24 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के अनुदान संख्या 43 में मुख्य शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत दुर्घटना से पीड़ित 228 पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 28.20 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।

तथापि, सरकार को यूपीएमवीटी अधिनियम, 1997 के तहत पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के लोक लेखे में यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना करके अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

4.4 हरित कर के लेखाकरण के लिए उप–शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का न बनाया जाना

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित हरित कर के लेखाकरण के लिए विशिष्ट उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का सृजन/संचालन न किए जाने के परिणामस्वरूप हरित कर के रूप में ₹ 43.10 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे में स्पष्ट रूप से नही दर्शायी जा सकी।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकरण की वैधता की समाप्ति के पश्चात् परिवहन वाहन के अतिरिक्त किसी भी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर हरित कर का भुगतान न कर दिया जाये। हरित कर का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषण को नियन्त्रित करना था और इस प्रकार एकत्रित राजस्व का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (जनवरी 2015) कि मोटर वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण

के समय, हरित कर पंजीकरण के समय भुगतान किए गए एकमुश्त कर के 10 प्रतिशत की दर से देय होगा।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना (जुलाई 2024) से पता चला कि परिवहन विभाग ने वर्ष 2023–24 में 1.47 लाख वाहनों से ₹ 10.92 करोड़ हरित कर संग्रहित किया। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015–16 से 2022–23 की अवधि के दौरान 7.66 लाख वाहनों से ₹ 32.18 करोड़ की धनराशि हरित कर के रूप में संग्रहित की गयी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरित कर के लेखाकरण के लिए कोई पृथक उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया था। अतः इसे राज्य सरकार द्वारा आरोपित किये गए अन्य करों के साथ मुख्य शीर्ष 0041–वाहन कर में जमा किया गया था। परिणामस्वरुप, राज्य सरकार के लेखों से संग्रहित हरित कर की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त कार्यालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित कर के वास्तविक उपयोग की स्थिति प्रदान नहीं कर सका।

प्रकरण को 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उल्लिखित किया गया था।

4.5 राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण

वित्त लेखे के खण्ड II का परिशिष्ट VI राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का सीधे हस्तान्तरित किए जाने को प्रदर्शित करता है, अर्थात् राज्य के बजट से बाहर प्राप्त निधियाँ, जिसे भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल से संकलित किया गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य के कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 880.92 करोड़ की निधि (राज्य सरकार के डीडीओः ₹ 0.04 करोड़, राज्य सरकार के पीएसयूः ₹ 0.29 करोड़, राज्य सरकार के संस्थानः ₹ 877.94 करोड़, स्थानीय निकायः ₹ 1.75 करोड़ और शैक्षणिक संस्थान (सरकारी): शून्य और सांविधिक निकायः ₹ 0.90 करोड़) सीधे हस्तान्तरित की। अग्रेतर, राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों को सीधे हस्तांतरण किए जाने में वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में 17.11 प्रतिशत की कमी हुई (वर्ष 2022–23 में ₹ 1,062.78 करोड़ से वर्ष 2023–24 में ₹ 880.92 करोड़)।

पारदर्शिता से सम्बन्धित प्रकरण

4.6 उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V भाग–I, प्रस्तर 369–एच में प्रावधान है कि जहाँ अनुदान विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए गये हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए, जिसे सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, उन अनुदानों के सम्बन्ध में, जिनका स्वीकृति के दिनांक से अगले 12 महीनों की अवधि में उपभोग किए जाने की संम्भावना है, सक्षम प्राधिकारी को

अनुदान की स्वीकृति के दिनांक से 18 माह से अनधिक समय में अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

जिस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया था, उसकी पुष्टि केवल यूसी प्राप्त होने पर ही की जा सकती है जो अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के अपयोजन से बचाव करेगी। इस प्रकार, लेखे में दर्शाए गए व्यय को यूसी के अप्राप्त रहने की सीमा तक अन्तिम नहीं माना जा सकता है। 30 सितम्बर 2022 तक दिए गए अनुदानों के लिए 31 मार्च 2024 को बकाया उपभोग प्रमाणपत्रों की स्थिति **तालिका 4.3** में दी गई है।

तालिका 4.3: उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण में बकाया

वर्ष	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाणपत्रों की संख्या (31 मार्च को)	धनराशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	15732	6594.76
2021-22	1409	2268.32
2022-23 (सितम्बर 2022 तक)	822	3009.87
योग	**17963**	**11872.95**

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

तालिका 4.3 दर्शाती है कि 2001–02 से 2022–23 (सितंबर 2022 तक) की अवधि में निर्गत अनुदानों के लिए धनराशि ₹ 11,872.95 करोड के कुल 17,963 यूसी 31 मार्च 2024 को लम्बित थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र में 4211 (₹ 5,294.49 करोड़) उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित थे। अग्रेतर, अवधि 2001–02 से 2022–23 (30 सितम्बर 2022 तक) की अवधि के ₹ 43,129.08 करोड़ धनराशि की सहायता अनुदान के 27,102 यूसी वर्ष 2023–24 में जमा किये गये। लम्बित यूसी की वर्ष–वार स्थिति का सार **तालिका 4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.4: असमायोजित यूसी का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूसी की संख्या	धनराशि
2001-02 से 2012-13	11299	3282.26
2013-14	670	297.80
2014-15	707	174.63
2015-16	454	363.75
2016-17	281	146.48
2017-18	202	72.67
2018-19	333	349.72
2019-20	794	392.07
2020-21	992	1515.38
2021-22	1409	2268.32
2022-23 (सितम्बर 2022 तक)	822	3009.87
योग	**17963**	**11872.95**

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24 एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचनाएं

कुल असमायोजित यूसी में से, ₹ 9,510.20 करोड़ (80.10 प्रतिशत) धनराशि के 10,487 यूसी (58.38 प्रतिशत) पाँच विभागों; नगर विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), कृषि और अन्य संबद्ध

विभाग (कृषि), कृषि और अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास) एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित थे जैसा कि **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: विभागवार बकाया यूसी की संख्या

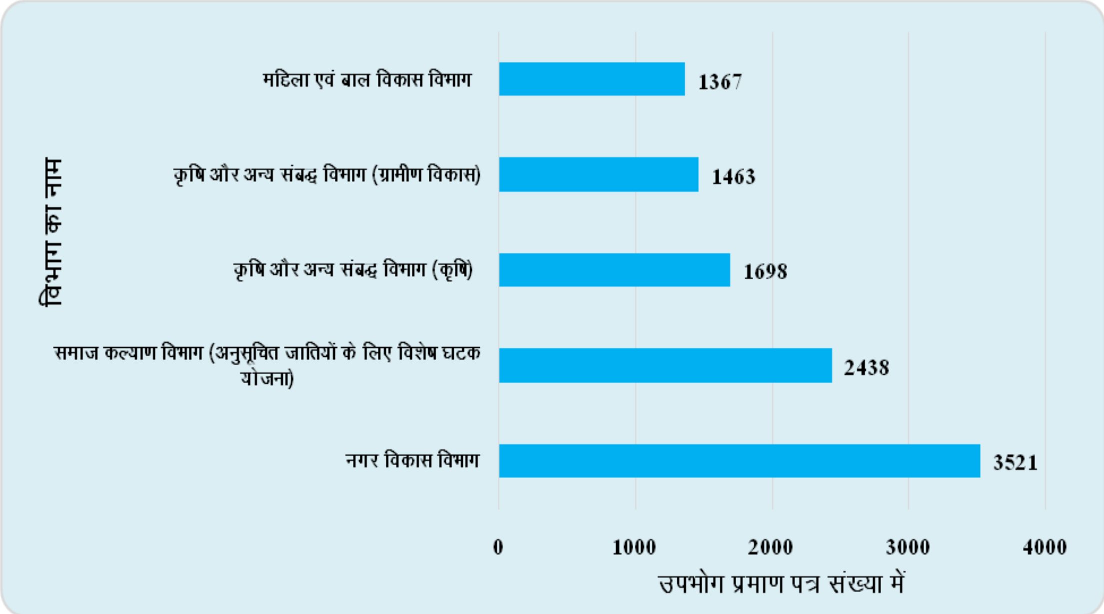

स्रोतः महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

चार्ट 4.2: विभागवार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की बकाया धनराशि

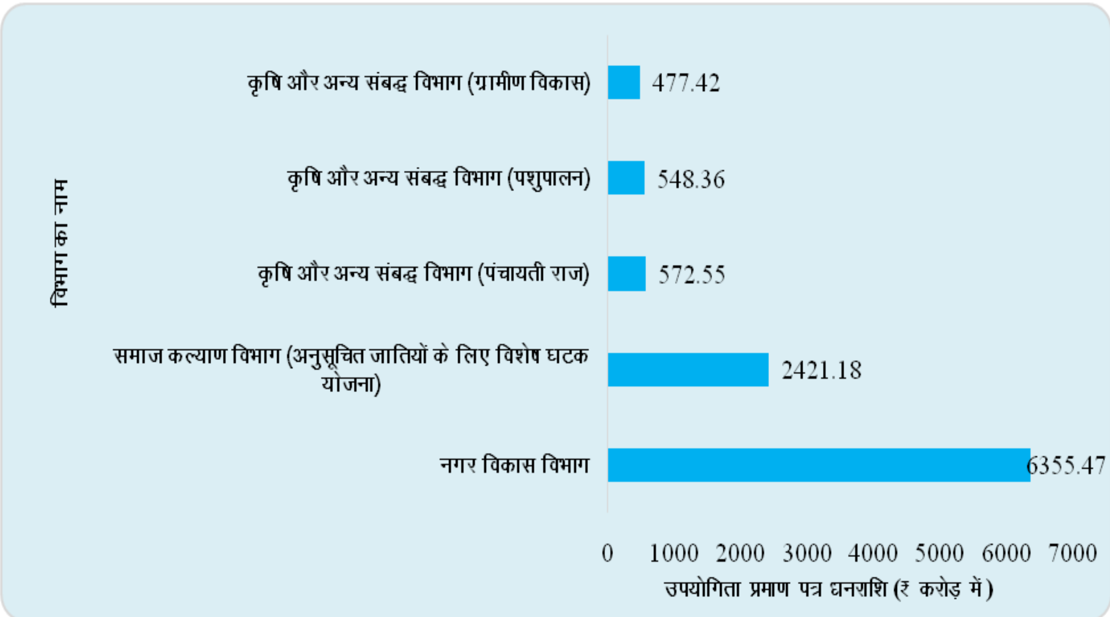

स्रोतः महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान का व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के लम्बी अवधि तक लम्बित रहने की स्थिति में निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन की भी सम्भावना रहती है।

4.7 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों हेतु आकस्मिक प्रभारों का आहरण 'संक्षिप्त आकस्मिक' (एसी) बिलों पर किया जाता है, जिसके लिए आहरण के समय अन्तिम वर्गीकरण और सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं होते। वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–V) भाग–I के प्रस्तर 183 के अनुसार भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक प्रभारों के मामले में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल अगले माह के अन्त तक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियन्त्रण अधिकारी को या जहाँ कोई नियन्त्रण अधिकारी नहीं है तो सीधे महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। समर्थित डीसीसी बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लम्बे समय तक प्रस्तुत न करने से एसी बिलों के अन्तर्गत किया गया व्यय अस्पष्ट रहता है। 31 मार्च 2024 को लम्बित डीसीसी बिलों का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

तालिका 4.5: 31 मार्च 2024 को लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	510	2.95
2023-24	14	0.16
योग	**524**	**3.11**

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

जैसा कि **तालिका 4.5** से स्पष्ट है, ₹ 2.95 करोड़ की धनराशि के 510 डीसीसी बिल वर्ष 2001–02 से 2022–23 तक की लंबी अवधि से लम्बित थे और ₹ 0.16 करोड़ की धनराशि के 14 डीसीसी बिल वर्ष 2023–24 से सम्बन्धित हैं। कुल असमायोजित एसी बिलों में से, ₹ 2.46 करोड़ (79.10 प्रतिशत) की धनराशि के 299 बिल (57.06 प्रतिशत) पाँच विभागों से सम्बन्धित हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग (₹ 1.15 करोड़ धनराशि के 58 एसी बिल), राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत) (₹ 0.35 करोड़ धनराशि के पाँच एसी बिल), सूचना विभाग (₹ 0.35 करोड़ धनराशि के 85 एसी बिल), निर्वाचन विभाग (₹ 0.34 करोड़ धनराशि के 33 एसी बिल) एवं कृषि और अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (₹ 0.28 करोड़ धनराशि के 118 एसी बिल) से सम्बन्धित थे जैसा कि **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: बड़े बकायेदार विभागों के लम्बित डीसीसी बिल

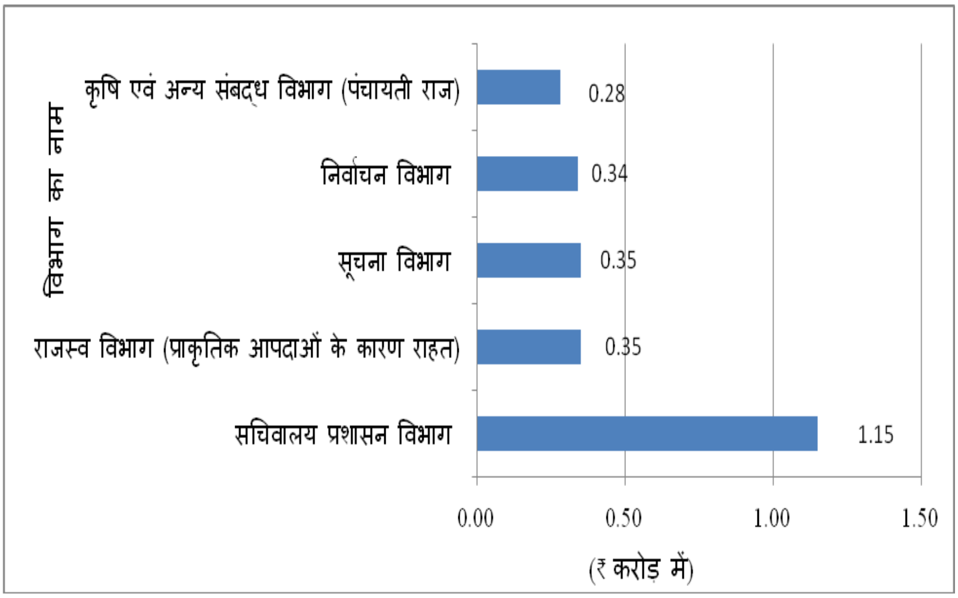

स्रोतः महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब इंगित करता है कि निधियाँ बिना तत्काल भुगतान की आवश्यकता के आहरित की गई थीं। अग्रेतर, निर्धारित समय के अन्दर डीसी बिलों को प्रस्तुत न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है बल्कि अपव्यय/दुर्विनियोजन/कदाचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है।

4.8 वैयक्तिक जमा खाता

संघ और राज्यों के लेखे के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अन्तर्गत, वैयक्तिक जमा, ब्याज रहित प्रकृति के होते हैं जो कि लेखा शीर्ष 8443–सिविल जमा–106–वैयक्तिक जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता (यूपीपीएलए) नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक जमा (पीडी) खाते/पीएलए खोलने के लिए अधिकृत है। नामित प्रशासक राज्य की संचित निधि से निधियों के अन्तरण द्वारा इन पीडी खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य की संचित निधि से शीर्ष 8443–106 के अन्तर्गत पीडी खातों में ₹ 2.34 करोड़ की धनराशि का अन्तरण किया गया। इसमें मार्च 2024 में पीडी खाते में अन्तरित ₹ 0.16 करोड़ भी सम्मिलित थे। 31 मार्च 2024 को पीडी लेखों का विस्तृत विवरण **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: वर्ष 2023–24 के दौरान पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष (01.04.2023 को)		वर्ष 2023–24 के दौरान एडिशन		वर्ष 2023–24 के दौरान संवितरण		अंतिम अवशेष (31.03.2024 को)	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
12	9.58 (डेबिट)	शून्य	2.34	शून्य	0.21	12	7.45 (डेबिट)

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों को कोषागार के आँकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन करना आवश्यक है एवं महालेखाकार को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तथापि, वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य के पीडी लेखाओं के 12 प्रशासकों में से केवल छह प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़ों से अपनी शेष राशि का मिलान एवं सत्यापन किया।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक लेखे के प्रारूप, जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमण्डल में प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए जिससे वे वास्तव में सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को पारदर्शी तरीके से सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिबिंबित कर सकें। इस प्रयोजन हेतु, अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन केवल तभी किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेखे अस्पष्ट रहते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, व्यय पक्ष में 85 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 86,265.75 करोड़ की धनराशि, जो कि कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय, ₹ 5,40,343.26 करोड़, का 15.96 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। 2019–24 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय का प्रचलन और कुल व्यय से इसका प्रतिशत **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: 2019–24 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का परिचालन

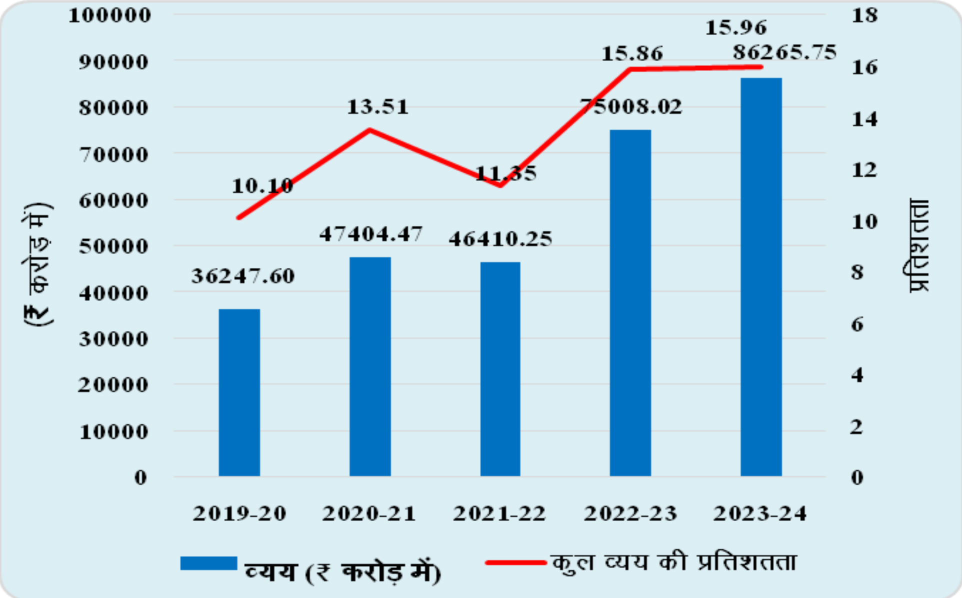

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

ऐसे उदाहरण जहाँ व्यय के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, **तालिका 4.7** में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.7: वर्ष 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2533.35	2533.35	100
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	1650.27	1650.27	100
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	1334.13	1334.13	100
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	900.48	900.48	100
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	176.69	176.69	100
2705	कमान क्षेत्र विकास	87.10	87.10	100
5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	24.86	24.86	100
2407	वृक्षारोपण	4.88	4.88	100
2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण शुल्क	2.40	2.40	100
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	2.00	2.00	100
2041	वाहनों पर कर	1.91	1.91	100
2852	उद्योग	8175.61	8520.00	96
2801	ऊर्जा	30637.34	32925.34	93
3053	नागरिक उड्डयन	27.72	30.74	90
3452	पर्यटन	165.43	203.52	81

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4418.92	5737.80	77
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	451.53	605.43	75
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	781.89	1055.54	74
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2043.98	3023.59	68
2216	आवास	354.51	525.12	68
2211	परिवार कल्याण	5433.88	8793.33	62
2700	वृहद सिंचाई	542.41	885.38	61
4217	शहरी विकास का पूंजी खाता	2561.37	4463.97	57
2205	कला और संस्कृति	113.40	203.02	56
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	130.00	242.12	54

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

अग्रेतर, जांच में पाया गया कि विगत चार वर्षों 2020–21 से 2023–24 के दौरान दो अनुदानों, अर्थात अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग और अनुदान संख्या 85–लोक उद्यम विभाग में, सम्पूर्ण व्यय को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था।

इसी प्रकार, वर्ष 2023–24 के दौरान, प्राप्ति पक्ष के 57 राजस्व मुख्य लेखाशीर्षों में लघुशीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत कुल ₹ 8,467.49 करोड़, जो कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां, ₹ 4,65,801.15 करोड़, का 1.82 प्रतिशत है, को पुस्तांकित किया गया। वर्ष 2023–24 के दौरान ऐसे उदाहरण जहाँ राजस्व प्राप्तियों के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, **तालिका 4.8** में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.8: वर्ष 2023–24 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियॉ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
1054	सड़कें और पुल	646.35	578.19	112[19]
0801	ऊर्जा	1881.70	1881.70	100
0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	217.64	217.64	100
0217	शहरी विकास	177.22	177.22	100
0852	उद्योग	28.18	28.18	100

[19] मुख्य शीर्ष 1054 में कुल प्राप्तियों में लघु शीर्ष 900–कटौती रिफंड के अंतर्गत (–) ₹ 81.01 करोड़ की रिफंड, लघु शीर्ष 102–सड़कों पर टोल के अंतर्गत ₹ 12.85 करोड़ की प्राप्ति तथा लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत ₹ 646.35 करोड़ की प्राप्ति शामिल थी।

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियॉं	कुल प्राप्तियॉं	प्रतिशतता
0875	अन्य उद्योग	3.66	3.66	100
0810	ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्रोत	2.21	2.21	100
1456	नागरिक आपूर्ति	1.93	1.93	100
0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.55	1.55	100
0425	सहकारिता	85.72	85.74	100
1053	नागरिक उड्डयन	12.68	12.69	100
0211	परिवार कल्याण	18.00	18.01	100
0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	184.24	184.56	100
0056	जेल	7.91	8.01	99
0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	158.88	161.67	98
0059	लोक निर्माण	117.94	120.76	98
1452	पर्यटन	7.84	8.16	96
0700	वृहद सिंचाई	21.24	25.04	85
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	886.90	1067.98	83
0029	भू–राजस्व	321.88	404.74	80
0230	श्रम एवं रोजगार	47.30	64.05	74
0403	पशुपालन	21.88	33.39	66
0406	वानिकी और वन्य जीवन	212.98	356.67	60
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	77.50	136.92	57
0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	223.58	426.38	52

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

बहुप्रयोजनीय लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को विकृत करता है।

4.10 बहुप्रयोजनीय मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय

राज्य सरकार के बजट में अधिक पारदर्शिता लाने तथा नियोजन एवं क्रियान्वयन में पर्याप्त विश्वसनीयता एवं नियन्त्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से बहुप्रयोजनीय मानक मद '42–अन्य व्यय' के बजाय उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान की आवश्यकता है। जैसा कि बजट दस्तावेजों में परिभाषित है 'अन्य व्यय' अवशिष्ट मदों से सम्बन्धित है और इसमें पारिश्रमिक तथा पुरस्कार सम्बन्धी व्यय एवं विवेकाधीन निधियों से व्यय शामिल हैं।

लेखों की जाँच में पाया गया कि मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत ₹ 34,110.76 करोड़ का व्यय किया गया, जो 2023–24 के दौरान राज्य की संचित निधि से कुल संवितरण ₹ 5,69,746.85 करोड़ का 5.99 प्रतिशत था। अग्रेतर, यह देखा गया कि 26 अनुदानों में, मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय इन अनुदानों के कुल व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक था और इसका इन अनुदानों के कुल व्यय में 26.08 प्रतिशत का अंश था जैसा कि **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
1	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.44	0.36	81.66
2	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	8205.73	5953.67	72.56
3	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1721.40	1010.87	58.72
4	13	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	19037.89	10298.89	54.10
5	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प पंजीकरण)	463.86	242.48	52.27
6	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	932.96	472.77	50.67
7	28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	287.51	135.80	47.23
8	45	पर्यावरण विभाग	13.28	5.93	43.23
9	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	1880.65	731.66	38.90
10	92	सांस्कृतिक विभाग	309.35	115.27	37.26
11	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	544.87	191.94	35.23
12	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	12982.45	4245.38	31.93
13	52	राजस्व विभाग (राजस्व एवं अन्य व्यय बोर्ड)	3031.09	944.96	24.04
14	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1397.44	270.06	19.33
15	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1093.51	196.65	17.98
16	66	वित्त विभाग (समूह बीमा)	259.28	35.00	13.50
17	37	शहरी विकास विभाग	23184.06	2851.45	12.30
18	22	खेल विभाग	570.34	63.49	11.13
19	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	25771.34	2464.35	9.56
20	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	21.04	1.96	9.31
21	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	559.30	50.07	8.95
22	17	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्यपालन)	166.85	146.40	8.77
23	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	8279.45	706.60	8.53
24	11	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	5333.95	345.78	6.48
25	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	934.34	59.40	6.36
26	21	खाद्य एवं रसद विभाग	5163.54	319.47	6.19
		योग (पांच प्रतिशत से ऊपर)	**122145.92**	**31860.66**	**26.08**

स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

माप से सम्बन्धित मुद्दे

4.11 प्रमुख उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बाकी शेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग–अलग डेबिट और क्रेडिट शेष को समेकित करके की जाती है। उचन्त और प्रेषण मदों का समाशोधन राज्य कोषागारों/निर्माण खण्डों, वन प्रभागों, आदि द्वारा प्रेषित विवरणों पर निर्भर करता है। कुछ मुख्य उचन्त लेखा शीर्षों के अर्न्तगत बाकी शेष को **तालिका 4.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: उचन्त और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष

(₹ करोड़ में)

उचन्त शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
मुख्य शीर्ष 8658–उचन्त						
101–पीएओ उचन्त	418.07	739.80	395.41	269.72	257.52	208.31
निवल		क्रेडिट 321.73		डेबिट 125.69		डेबिट 49.21
102 – उचन्त लेखा– सिविल	15820.92	16389.57	15764.39	16431.30	15780.89	16432.73
निवल		क्रेडिट 568.65		क्रेडिट 666.91		क्रेडिट 651.84
109 – रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
निवल		0.00		क्रेडिट 0.01		0.00
110 – रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-)94.54	(-)1138.62	(-)94.12	(-)1136.38	(-)94.92	(-)1136.44
निवल		डेबिट 1044.08		डेबिट 1042.26		डेबिट 1041.52
मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण एवं उसी लेखाधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य समायोजन						
102 – लोक निर्माण प्रेषण	216990.54	218840.01	232556.35	235417.30	256276.42	258390.05
निवल		क्रेडिट 1849.47		क्रेडिट 2860.95		क्रेडिट 2113.63
103 – वन प्रेषण	3391.12	3594.69	3701.73	3939.71	4205.85	4483.51
निवल		क्रेडिट 203.57		क्रेडिट 237.98		क्रेडिट 277.66
8793–अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	66.72	0.05	56.76	0.01	56.34	0.11
निवल		डेबिट 66.67		डेबिट 56.75		डेबिट 56.23

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचना

4.12 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर, संघ एवं राज्यों के लेखों के प्रारुप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023–24 के दौरान इन लेखांकन मानकों के अनुपालन और साथ ही उनकी कमियों का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है:

तालिका 4.11: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र0 स0	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	राज्य सरकार द्वारा किया गया अनुपालन	कमी
1	आई.जी.ए. एस–1	सरकार द्वारा दी गयी गांरटी – प्रकटीकरण की आवश्यकताऍ	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20)	शासन द्वारा दी गयी गांरटी के लिए नामित प्राधिकारी से सम्बन्धित जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2	आई.जी.ए एस–2	सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 10)	राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रुप में दी गयी अनुदान सहायता के कुल मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गयी।
3	आई.जी.ए एस–3	सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 7 एवं 18)	राज्य सरकार द्वारा शाश्वत ऋण के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।
4	आई.जी.ए एस–4	पूर्व अवधि समायोजन	राज्य सरकार द्वारा पूर्व अवधि समायोजन के संबंध में सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र. को उपलब्ध नहीं करायी गयी ।	

स्रोतः वित्त लेखा एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

4.13 ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष

प्रतिकूल अवशेष (डेबिट शीर्षों में क्रेडिट शेष और क्रेडिट शीर्षों में डेबिट शेष) उन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ऋणात्मक अवशेष हैं, जहाँ ऋणात्मक अवशेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखाशीर्ष के सापेक्ष, ऋणात्मक अवशेष मूल अग्रिम धनराशि से अधिक पुनर्भुगतान का संकेत देगा।

31 मार्च 2024 को वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे में ऋण और अग्रिमों के निम्नलिखित प्रतिकूल अवशेष सम्मिलित थे जो तालिका 4.12 में दिए गए हैं।

तालिका 4.12: 31.03.2024 तक प्रतिकूल अवशेष

लेखा शीर्ष	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)
6215-02-192-04	नगरीय निकायों की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास हेतु ब्याज मुक्त ऋण हेतु परिक्रामी निधि की व्यवस्था	0.26
6235-02-190-01	यू.पी. बैकवर्ड फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को वितरित ऋण की वापसी	0.18
6425-00-108-03	यू.पी. सहकारी बैंक को ऋण	0.02
6860-01-190-04	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड को ऋण	123.78
6860-01-190-05	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड को ऋण	75.74
6860-04-190-02	चीनी कारखानों को ऋण	1108.52
6885-01-190-06	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003	49.19
6885-01-190-10	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को ऋण	26.09
7055-00-190-10	अन्य प्राप्तियां	9.95
7610-00-202	मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	17.72
7610-00-203	अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	25.39
7610-00-800	अन्य अग्रिम	3.02

स्रोत: वित्त लेखा 2023–24

ये प्रतिकूल अवशेष कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) उत्तर प्रदेश एवं राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में थे।

4.14 विभागीय आँकड़ों का मिलान न किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 124 के अनुसार, राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियन्त्रण को लागू करने और लेखे में परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियन्त्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा प्रत्येक माह उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखे में लिए गए आँकड़ों के साथ वांछनीय है। नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा आँकड़ों के मिलान की स्थिति तालिका **4.13** में नीचे दी गयी है।

तालिका 4.13: नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियन्त्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियन्त्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्ण मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां				
2021-22	48	43	--	05
2022-23	48	43	--	05
2023-24	48	47	--	01
व्यय				
2021-22	180	177	--	03
2022-23	180	179	--	01
2023-24	180	178	--	02

स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

वर्ष 2023–24 में 48 सीसीओ में से 47 द्वारा प्राप्तियों का मिलान पूर्ण किया गया, उनके द्वारा ₹ 2,08,864.07 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 2,09,706.29 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 99.60 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियों का मिलान किया। अग्रेतर, 180 सीसीओ में से, 178 सीसीओ ने ₹ 4,61,287.51 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 4,73,923.75 करोड़ के कुल व्यय का 97.33 प्रतिशत) के अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान किया था, जैसा कि **चार्ट 4.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.5: वर्ष 2021–24 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

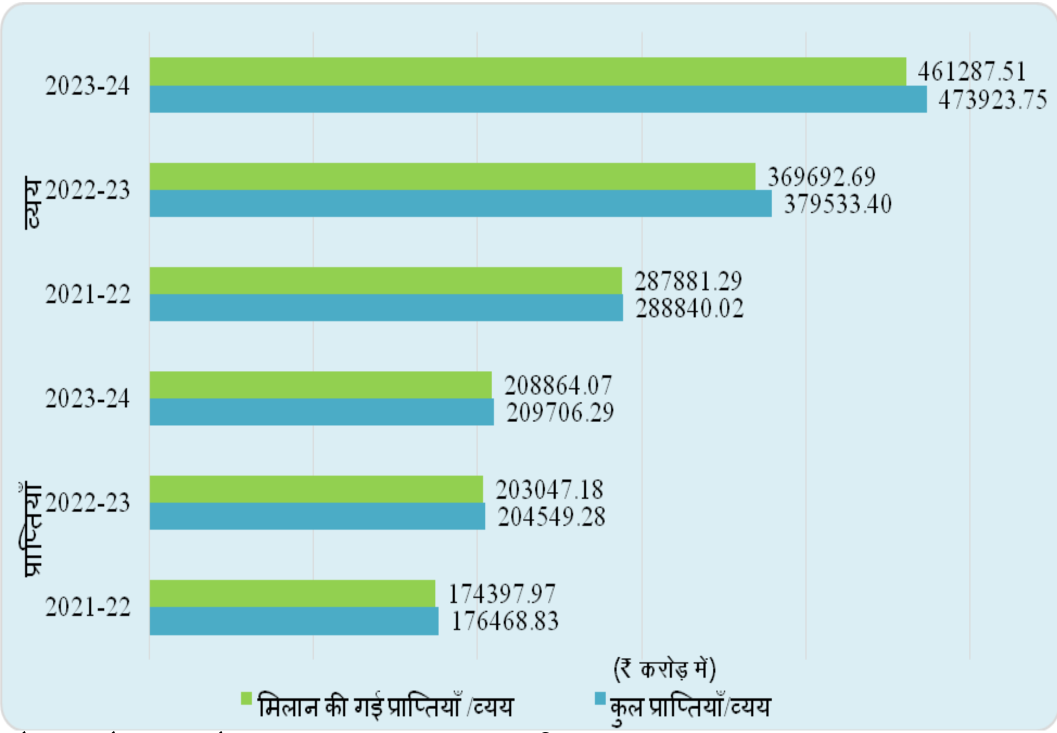

स्रोतः महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

सभी प्राप्तियों और व्यय के सम्बन्ध में मिलान के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।

प्रकटीकरण से सम्बन्धित मुद्दे

4.15 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक लोकहित में, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी से अनुरोध कर सकेगा और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के बहियों एवं लेखाओं के अवलोकन का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा सीएजी को किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा (सम्बन्धित निकाय के सम्बन्ध में जो लागू हो) ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे नियमों और शर्तों पर करेगा जिस पर उसके और सम्बन्धित सरकार के बीच सहमति स्थापित हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये, उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं के अवलोकन का अधिकार होगा (सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20)।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के प्रकरण में, यदि सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, तो लेखे के सत्य एवं निष्पक्ष होने का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अतः इन निकायों और प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखे तैयार कर इसे लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना वांछनीय है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा सम्पन्न होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत करता है, जो कि लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का भाग होता है।

यह देखा गया कि 56 स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के 388 वार्षिक लेखे (वर्ष 2023–24 तक के) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा 31 जुलाई 2024 तक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के अप्रस्तुत लेखाओं का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है। इन 388 लेखाओं की अवधिवार लम्बित स्थिति **तालिका 4.14** में दी गई है।

तालिका 4.14: लेखापरीक्षा हेतु प्रतीक्षित परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये वार्षिक लेखाओं का आयुवार विश्लेषण

विलम्ब की अवधि (वर्षों में)	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	लेखाओं की संख्या
1-2	8	13
3-4	13	49
5-10	29	197
10 से अधिक	6	129
योग	**56**	**388**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) I एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) II कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वार्षिक लेखे और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित सहायता अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग और उनके लेखांकन को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने बकायेदार निकायों के लेखाओं को प्रस्तुत न करने का मुद्दा सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष समय–समय पर उठाया, लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

4.16 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (डीसीयू) द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप दिया जाना एवं लेखाबन्दी के पश्चात लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। राज्य के नौ डीसीयू में से केवल चार डीसीयू (सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर, बरेली, मेरठ एवं प्रयागराज) ने वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक लेखा अन्तिमीकृत किया है एवं दो डीसीयू (सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी एवं गोरखपुर) ने वित्तीय वर्ष 2022–23 तक के वार्षिक लेखे अन्तिमीकृत किये हैं। एक डीसीयू सीएओ एवं खाद्य आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2021–22 तक का वार्षिक लेखा अन्तिमीकृत किया है एवं एक अन्य डीसीयू (उप निदेशक पशुपालन फार्म निगम) ने वर्ष 2020–21 के लिए अपना लेखा अन्तिमीकृत किया। शेष एक डीसीयू द्वारा कई वर्षों से अपने वार्षिक लेखे का अन्तिमीकरण नहीं किया गया हैं। विवरण ***परिशिष्ट 4.2*** में दिया गया।

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित मामले

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–V भाग–I के प्रस्तर 82 में व्यक्तियों की धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाली हानि, सरकारी सम्पत्ति की हानि या विनाश के लिये जिम्मेदारी तय करने और उसे महालेखाकार को सूचित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 9.31 करोड़ की शासकीय सामग्री/धनराशि के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी आदि के 135 प्रकरण[20] सूचित किये, जिन पर 31 मार्च, 2024 तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा एवं अन्तिम निस्तारण में विलम्ब के कारणों का विवरण **तालिका 4.15** में दिया गया है।

[20] जनवरी 1967 से मार्च 2024 की अवधि से संबन्धित

तालिका 4.15: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

(₹ लाख़ में)

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जाँच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की सं०	धनराशि	प्रकरणों की सं०	धनराशि	प्रकरणों की सं०	धनराशि	प्रकरणों की सं०	धनराशि
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	28.78	0	0	7	26.83	2	1.95
समाज कल्याण	3	0.95	0	0	2	0.70	1	0.25
उद्यान	1	3.59	0	0	1	3.59	0	0
ग्रामीण विकास	9	3.28	1	0.74	7	2.34	1	0.20
शिक्षा	8	171.16	2	101.08	4	55.55	2	14.53
प्राविधिक शिक्षा	1	11.59	0	0	0	0	1	11.59
पशुपालन	16	6.55	7	5.20	9	1.35	0	0
मत्स्य उद्योग	3	2.61	0	0	3	2.61	0	0
कृषि	3	7.62	2	2.17	1	5.45	0	0
सिंचाई	41	121.03	4	16.07	35	36.95	2	68.01
सहकारिता	2	1.45	0	0	1	0.17	1	1.28
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	15.89	1	0.30	9	14.22	1	1.37
गृह (पुलिस, पी ए सी)	8	56.09	7	8.61	0	0	1	47.48
राजस्व	5	14.49	3	8.81	2	5.68	0	0
वित्त	1	0.67	1	0.67	0	0	0	0
बाट एवं माप	1	1.09	0	0	0	0	1	1.09
लोक निर्माण विभाग	9	147.80	4	27.26	1	0.12	4	120.42
राजस्व (भूमि अधिग्रहण)	3	331.78	0	0	3	331.78	0	0
न्याय	1	4.44	0	0	1	4.44	0	0
योग	**135**	**930.86**	**32**	**170.91**	**86**	**491.78**	**17**	**268.17**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाएं

इन लम्बित प्रकरणों का आयुवार विश्लेषण **तालिका 4.16** में दर्शाया गया है, जो इंगित करता है कि 31 मार्च 2024 को ₹ 4.88 करोड़ से सम्बन्धित 101 प्रकरण 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

तालिका 4.16: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का आयुवार विश्लेषण

(₹ लाख़ में)

वर्ष परास	प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि
0 – 5 वर्ष (2019-20 से 2023-24)	0	0.00
5 – 10 वर्ष (2014-15 से 2018-19)	0	0.00
10 – 15 वर्ष (2009-10 से 2013-14)	16	233.04
15 – 20 वर्ष (2004-05 से 2008-09)	18	209.46
20 – 25 वर्ष (1990-00 से 2003-04)	11	28.27
25 वर्षों से अधिक (1998-99 एवं पूर्व)	90	460.09
योग	**135**	**930.86**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाएं

कुल 135 लम्बित प्रकरणों (31 मार्च 2024 को) जिसमें ₹ 930.86 लाख की धनराशि अन्तर्निहित थी, में से 32 प्रकरणों में जिसमें, ₹ 170.91 लाख धनराशि अन्तर्निहित थी, की विभागीय और आपराधिक जाँच प्रारम्भ नहीं की गई। 86 प्रकरणों (₹ 491.78 लाख से सम्बन्धित) में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। 17 प्रकरणों (₹ 268.17 लाख से सम्बन्धित) में आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया, लेकिन धनराशि की वसूली लम्बित थी।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करना शेष है।

4.19 निष्कर्ष

- *राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकारियों के माध्यम से राज्य के ऋण मानकों पर प्रभाव वाले व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट ऋण का सहारा लिया। चूँकि ये अतिरिक्त बजट ऋण राज्य के ऋण–स्टाक का हिस्सा नहीं हैं, वित्त लेखों में दर्शायी गयी ऋण स्थिति वास्तविक ऋण स्थिति को नहीं दर्शाती है।*

- *राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की सम्पूर्ण राशि नामित निधि प्रबन्धक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं की।*

- *राज्य सरकार ने सार्वजनिक वाहन की दुर्घटना से प्रभावित यात्रियों या यात्री की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारियों या हताहत हुए अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत वांछनीय उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना नहीं की।*

- *वर्ष 2023–24 की समाप्ति पर बड़ी संख्या (17,963) में ₹ 11,872.95 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के अभाव में, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था।*

- *'लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अन्तर्गत बड़ी धनराशि के वर्गीकरण के कारण वित्तीय अभिलेखों में प्राप्तियों/व्यय का पूर्ण चित्रण नहीं हो पाता। इसी प्रकार, 26 अनुदानों के सम्बन्ध में, मानक शीर्ष '42 अन्य व्यय' के अन्तर्गत कुल व्यय के पाँच प्रतिशत व्यय का वर्गीकरण किया गया, जो वित्तीय अभिलेखों में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।*

- 31 जुलाई 2024 *तक 56 स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों के 388 वार्षिक लेखे (वर्ष 2023–24 तक लम्बित) लेखापरीक्षा के लिए सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। वार्षिक लेखों और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों को दिए गए अनुदानों और ऋणों के उचित उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती है।*

4.20 संस्तुतियाँ

11. राज्य सरकार को राज्य बजट में एस.पी.एस.ई./प्राधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त बजट ऋणों को प्रदर्शित करना चाहिए।

12 राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे गैर–हस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और उसमें मूल्य वृद्धि हो।

13. सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।

14. सरकार को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित कराना चाहिए एवं सभी अनुदान प्राप्तकर्ता, जिनके उपभोग प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं, को नया

अनुदान निर्गत करने से पूर्व दिए गए सभी अनुदानों की समीक्षा की जानी चाहिए।

15. *वित्त विभाग को महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42–अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।*

16. *वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।*

संजय कुमार

लखनऊ
दिनांक 25 अप्रैल 2025

(संजय कुमार)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा–द्वितीय), उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

संजय

नई दिल्ली
दिनांक 30 APR 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1.1
(प्रस्तर 1.1 में सन्दर्भित)
उत्तर प्रदेश राज्य के सामान्य आँकड़े

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th colspan="3">विवरण</th><th>आकड़े</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">क्षेत्र[1]</td><td>2,40,928 वर्ग किलोमीटर</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td colspan="3">जनसंख्या[2]</td><td></td></tr>
<tr><td>अ.</td><td colspan="2">जनगणना 2011 (1 मार्च 2011 को)</td><td>19.98 करोड़</td></tr>
<tr><td>ब.</td><td colspan="2">वर्ष 2024 के लिए अनुमानित (1 मार्च 2024 को)</td><td>23.81 करोड़</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td colspan="2" rowspan="2">दशकीय जनसंख्या वृद्धि[3] (2014–2024)</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>13.60 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>अखिल भारतीय (संघ शासित प्रदेशों सहित)</td><td>11.26 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="3">साक्षरता दर[4]
(अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)</td><td>67.7 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">शिशु मृत्यु दर[5] (प्रति 1000 जीवित जन्म)
(अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)</td><td>38</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">जन्म पर जीवन प्रत्याशा[6]
(अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)</td><td>66 वर्ष</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)</td><td>₹ 25,47,861 करोड़</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td colspan="2" rowspan="2">प्रति व्यक्ति जीएसडीपी /जीडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2014–15 से 2023–24)</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>9.38</td></tr>
<tr><td>जीडीपी</td><td>8.89</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td colspan="2" rowspan="2">जीएसडीपी/जीडीपी सीएजीआर (2014–24)</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>10.81</td></tr>
<tr><td>जीडीपी</td><td>10.06</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="3">गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)[7] (2011–12)
(अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)</td><td>29.43 प्रतिशत</td></tr>
</table>

1 आर्थिक एवं संख्याकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन।
2 भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।
3 भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग।
4 आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 ।
5 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एस.आर.एस.) बुलेटिन, मई 2022 (वर्ष 2020 के लिए), भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय।
6 रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत के कार्यालय द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2016–20 (अक्टूबर 2022)।
7 सांख्यकी एवं कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय (तेन्दुलकर पद्धति पर आधारित)।

परिशिष्ट-2.1
(प्रस्तर 2.2 में सन्दर्भित)
राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े
(कोष्ठक में दर्शाये गये आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्ष के योग का प्रतिशत को इंगित करते हैं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग अ –प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां जिसमें	**366393**	**296176**	**371011**	**417241**	**465801**
(i) स्वयं के कर राजस्व जिसमें	122826(34)	119897(40)	147368(40)	174087(42)	193129(42)
राज्य वस्तु एवं सेवाकर	47232(38)	42860(36)	54594(37)	64141(37)	75146(39)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20517(17)	22127(18)	27058(18)	31979(18)	31126(16)
राज्य आबकारी	27325(22)	30061(25)	36320(25)	41253(24)	45571(24)
वाहनों पर कर	7715(6)	6483(5)	7776(5)	9059(5)	11205(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	16070(13)	16475(14)	20048(14)	24844(14)	26961(14)
भू–राजस्व	504(0.41)	297(0.25)	193(0.13)	285(0.2)	405(0.21)
विद्युत पर कर और शुल्क	3453(3)	1587(1)	1366(1)	2519(1)	2712(1.4)
अन्य कर	10(0.01)	7(0.01)	13(0.01)	7(0.004)	3(0.001)
(ii) करेतर राजस्व	81705(22)	11846(4)	11436(3)	13489(3)	14249(3)
(iii) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	117818(32)	106687(36)	160358(43)	169745(41)	202620(44)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	44044(12)	57746(20)	51849(14)	59920(14)	55803(12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**0**	**0**	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**5641**	**1135**	**939**	**1337**	**1834**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	**372034**	**297311**	**371951**	**418578**	**467635**
5. लोक ऋण प्राप्तियां जिसमें	**73809**	**86859**	**75751**	**66847**	**120654**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	72554(98)	78677(91)	65003(86)	58024(87)	100900(84)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन–देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1255(2)	8182(9)	10748(14)	8823(13)	19754(16)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां **(4+5)**	**445843**	**384170**	**447702**	**485425**	**588289**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	**662**	**0**	**700**	**0**	**397**
8. लोक लेखा प्राप्तियां[8]	**370692**	**364493**	**427452**	**507452**	**585283**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां **(6+7+8)**	**817197**	**748663**	**875853**	**992878**	**1173969**
भाग ब–व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय जिसमें	**298833(83)**	**298543(85)**	**337581(82)**	**379978(79)**	**429788(78)**
सामान्य सेवाएं	117675(39)	119057(40)	133521(39)	144688(38)	154819(36)
सामाजिक सेवाएं	103849(35)	109727(37)	120987(36)	138928(36)	150986(35)

[8] इसमें मुख्य शीर्ष 8671 (विभागीय अवशेष), मुख्य शीर्ष 8672 (स्थायी रोकड़ अग्रदाय), मुख्य शीर्ष 8673 (रोकड़ अवशेष निवेश लेखा) और रक्षित निधि के अन्तर्गत निवेश सम्मिलित नहीं है, जो कि राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष का भाग है।

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आर्थिक सेवाएं	62809(21)	55551(19)	66573(20)	78363(21)	100270(23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	14500(5)	14208(5)	16500(5)	18000(5)	23713(6)
11. पूंजीगत व्यय जिसमें	**59998(16)**	**52237(15)**	**71443(17)**	**93028(19)**	**110555(20)**
सामान्य सेवाएं	2495(4)	1523(3)	2357(3)	4450(5)	6833(6)
सामाजिक सेवाएं	10515(18)	12386(24)	18569(26)	35049(38)	39447(36)
आर्थिक सेवाएं	46988(78)	38328(73)	50517(71)	53530(57)	64275(58)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	**2120(1)**	**1153(0.32)**	**1613(0.39)**	**10209(2)**	**8015(1.46)**
13. आकस्मिकता निधि को विनियोग	**0**	**0**	**600(0.15)**	**0**	**0**
14.कुल व्यय (10+11+12+13)	**360951**	**351933**	**411237**	**483215**	**548358**
15. लोक ऋण से पुनर्भुगतान	**22401**	**26778**	**28726**	**22690**	**21389**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	20695(92)	25174(94)	27132(94)	20970(92)	19598(92)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1706(8)	1604(6)	1594(6)	1720(8)	1791(8)
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15)	**383352**	**378711**	**439963**	**505905**	**569747**
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	**32**	**100**	**0**	**0.06**	**523**
18. लोक लेखे संवितरण[9]	**439282**	**359643**	**423011**	**498657**	**578175**
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**827666**	**738454**	**862974**	**1004562**	**1148445**
भाग स–घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (–)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	**(+)67560**	**(-)2367**	**(+)33430**	**(+)37263**	**(+)36013**
21. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	**(+)11083**	**(-)54622**	**(-)39286**	**(-)64636**	**-80723**
22. प्राथमिक घाटा (–)/राजकोषीय आधिक्य (+) (21+23)	**(+)45896**	**(-)17194**	**(+)3589**	**-21628**	**-33446**
23. ब्याज भुगतान (मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत राजस्व व्यय में सम्मिलित)	**34813**	**37428**	**42876**	**43008**	**47277**

[9] इसमें मुख्य शीर्ष 8671 (विभागीय अवशेष), मुख्य शीर्ष 8672 (स्थायी रोकड़ अग्रदाय), मुख्य शीर्ष 8673 (रोकड़ अवशेष निवेश लेखा) और रक्षित निधि के अन्तर्गत संवितरण सम्मिलित नहीं है, जो कि राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष का भाग है।

परिशिष्ट-2.2
(प्रस्तर 2.3.2.2 में सन्दर्भित)
वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान स्वयं का कर/करेतर राजस्व का संग्रह

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 बजट अनुमान	वास्तविक 2023-24
(अ) वर्ष 2019–24 की अवधि में स्वयं का कर राजस्व						
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	47232	42860	54594	64141	108212	75146
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	20517	22127	27058	31979	41788	31126
राज्य आबकारी	27325	30061	36320	41253	58000	45571
वाहनों पर कर	7715	6483	7776	9059	12672	11205
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	16070	16475	20048	24844	34560	26961
भू–राजस्व	504	297	193	285	962	405
विद्युत पर कर एवं शुल्क	3453	1587	1366	2519	6440	2712
अन्य कर	10	7	13	7	0	3
योग (अ)	**122826**	**119897**	**147368**	**174087**	**262634**	**193129**
(ब) वर्ष 2019–24 की अवधि में करेतर राजस्व						
राजकोषीय सेवाएं	0.04	0.02	0.07	0.27	0	0.8
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ	1508	1220	1462	1400	2266	1278
सामान्य सेवाएं	73484	2239	1959	2300	3245	1509
सामाजिक सेवाएं	978	1046	1107	2151	1893	2486
आर्थिक सेवाएं	5,735	7341	6908	7638	16387	8976
योग (ब)	**81,705**	**11846**	**11436**	**13489**	**23791**	**14249**
महायोग (अ+ब)	**2,04,531**	**131743**	**158804**	**187576**	**286425**	**207378**

परिशिष्ट-2.3
(प्रस्तर 2.5.2 में सन्दर्भित)
वर्ष 2023–24 के दौरान आरक्षित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अन्तिम शेष
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ					
8115-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि		**Dr. 4441.57**	**0.00**	**0.00**	**Dr. 4441.57**
105- मूल्यह्रास आरक्षित निधि–निवेश खाता		**Dr. 4441.57**	0.00	0.00	**Dr. 4441.57**
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां		**Cr. 492743.60**	**491041.83**	**186497.32**	**Cr. 797288.11**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां		Cr. 9.68	0.00	0.00	Cr. 9.68
122- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि		Cr. 315835.99	295613.08	156161.06	Cr. 455288.01
129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि(एससीएएफ)		Cr. 98267.93	46734.75	16683.89	Cr. 128318.79
130- राज्य आपदा मोचन निधि		Cr. 78630.00	148694.00	13652.37	Cr. 213671.63
योग–ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ		**Cr. 4,92743.60**	**491041.83**	**186497.32**	**Cr. 797288.11**
निवेश		**Dr. 4,441.57**	**0.00**	**0.00**	**Dr. 4441.57**
ब्याज रहित आरक्षित निधियां					
8222-निक्षेप (सिंकिंग) निधि		**0.00**	**150000.00**	**150000.00**	**0.00**
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिये विनियोजन 101-निक्षेप निधि		Cr. 550000.00	150000.00	0.00	Cr. 700000.00
02-निक्षेप निधि–निवेश लेखा 101-निक्षेप निधि–निवेश लेखा		Dr. 550000.00	0.00	150000.00	Dr. 700000.00
8223-अकाल राहत निधि		**Dr. 78.01**	**0.00**	**0.00**	**Dr. 78.01**
102- अकाल राहत निधि–निवेश लेखा		Dr. 78.01	0.00	0.00	Dr. 78.01
8225-सड़कें एवं सेतु निधि		**Cr. 85815.81**	**550000.00**	**531510.16**	**Cr. 104305.65**
101- राज्य सड़क तथा सेतु निधि		Cr. 85815.81	550000.00	531510.16	Cr. 104305.65
8226-मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि		**Cr. 1419.43**	**0.00**	**0.00**	**Cr. 1419.43**
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि		Cr. 1419.43	0.00	0.00	Cr. 1419.43
8229-विकास एवं कल्याण निधि		**Cr. 76103.41**	**2500.00**	**1240.55**	**Cr. 77362.86**
101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि		Cr. 4238.23	0.00	1240.55	Cr. 2997.68
106- औद्योगिक विकास निधि		Cr. 100.00	0.00	0.00	Cr. 100.00
109- सहकारी विकास निधि		Cr. 0.01	0.00	0.00	Cr. 0.01
200- अन्य विकास तथा कल्याण निधि		Cr. 71765.17	2500.00	0.00	Cr. 74265.17
8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां		**Cr. 55117.01**	**(-) 2384.16**	**14039.95**	**Cr. 38692.90**
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियां		Cr. 14011.81	(-) 9906.23	0.00	Cr. 4105.58
111- राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (राज्य न्यूनीकरण निधि में अवशेष ₹1,000 लाख को सम्मिलित करते हुए)		Cr. 673.45	(-)4991.25	0.00	Cr. 4317.80
200- अन्य निधियां		Cr. 40431.75	12513.32	14039.95	Cr. 38905.12
योग–ब्याज रहित आरक्षित निधियां		**Cr. 768455.66**	**700115.84**	**546790.66**	**Cr. 921780.84**
निवेश		**Dr. 550078.01**	**0.00**	**150000.00**	**Dr. 700078.01**
महायोग	**आरक्षित निधियां**	**Cr. 1261199.26**	**1191157.67**	**733287.98**	**Cr. 1719068.95**
	निवेश	**Dr. 554519.58**	**0.00**	**150000.00**	**Dr. 704519.58**

परिशिष्ट-3.1
(प्रस्तर 3.2.3 में सन्दर्भित)
वर्ष 2023-24 के दौरान एकमुश्त बजटीय प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय/ भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
1	1	4059-01-051-03	मतदेय	आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.90	0.00	0.00
2	9	2045-103-04	मतदेय	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	16.07	16.07	100.00
3	9	2045-103-04	भारित	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के गठन हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.00	2.00	100.00
4	11	2071-01-117-07	मतदेय	एन.पी.एस. के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का दिनांक 31.03.2019 तक शेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14.00	0.00	0.00
5	25	4070-800-09	मतदेय	नव निर्मित जिलों में जेलों के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	140.00	120.21	85.86
6	40	2575-06-101-03	मतदेय	सोलर लाइट/सोलर पंप/सोलर पावर फेंसिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था	0.45	0.00	0.00
7	40	2575-06-102-03	मतदेय	समितियों के गठन /उपकरणों/ मशीनों/सज्जा के संगठन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.06	0.00	0.00
8	40	2575-06-105-04	मतदेय	कौशल विकास मिशन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.03	0.00	0.00
9	40	2575-06-105-05	मतदेय	फलों और सब्जियों/मसालों के विकास के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.03	0.00	0.00
10	40	2575-06-800-04	मतदेय	समीक्षा, प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.30	0.00	0.00
11	40	4059-60-051-07	मतदेय	तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं/ वादकारियों के लिए अधिवक्ता कक्ष/पुस्तकालय/बार काउंसिल भवन/स्थायी संरचना के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	10.00	18.50	185.00
12	40	4575-06-101-03	मतदेय	पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.18	0.00	0.00
13	40	4575-06-102-03	मतदेय	जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए एकमुश्त प्रावधान	15.00	0.00	0.00
14	40	4575-06-106-03	मतदेय	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.02	0.00	0.00
15	40	4575-06-201-03	मतदेय	विद्यालय भवन की चाहरदीवारी के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	2.40	0.00	0.00
16	40	4575-06-337-03	मतदेय	सड़कों के लिए एकमुश्त प्रावधान	18.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय/भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
17	40	4575-06-800-03	मतदेय	सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्र भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	3.00	0.00	0.00
18	40	4575-06-800-04	मतदेय	होम्योपैथी चिकित्सालयों के भवन निर्माण/विस्तार हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.01	0.00	0.00
19	40	4575-06-800-06	मतदेय	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	1.20	0.00	0.00
20	40	4575-06-800-09	मतदेय	सी.सी. सड़कों और के.सी. नालों के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	12.57	0.00	0.00
21	40	4575-06-800-10	मतदेय	बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.24	0.00	0.00
22	40	4575-06-800-11	मतदेय	मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.50	0.00	0.00
23	40	4575-06-800-12	मतदेय	अनुसूचित जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालय परिसर के चाहरदीवारी एवं परिसर में रोड के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.03	0.00	0.00
24	40	4575-06-800-13	मतदेय	शौचालय निर्माण के लिए एकमुश्त प्रावधान	1.20	0.00	0.00
25	40	4575-06-800-14	मतदेय	हेरीटेज कार्य निर्माण के लिये शेड थारू शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र/बिक्री एवं प्रदर्शनी केन्द्र/नृत्य संगीत केन्द्र/झोपड़ी आदि के लिए एकमुश्त व्यवस्था	0.45	0.00	0.00
26	40	4575-06-800-15	मतदेय	पर्यटन स्थल विकास हेतु निर्माण/विस्तार/जीर्णोद्धार आदि के लिये एकमुश्त व्यवस्था	0.78	0.00	0.00
27	40	4575-06-800-16	मतदेय	किसान/शेड/गौशाला का निर्माण/विस्तार आदि के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.30	0.00	0.00
28	48	2071-01-117-07	मतदेय	सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	1.00	0.00	0.00
29	50	4059-01-051-02	मतदेय	प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/विस्तार/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त प्रावधान	30.01	28.62	95.37
30	58	5054-03-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	760.00	1022.15	134.49
31	58	5054-04-337-13	मतदेय	एकमुश्त प्रावधान	4229.00	3502.23	82.81
32	58	5054-04-337-66	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओ हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के नये कार्यो हेतु एकमुश्त प्रावधान (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	700.00	551.15	78.74

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय / भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
33	58	5054-04-337-83	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	332.24	66.45
34	58	5054-04-337-86	मतदेय	नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	800.00	211.87	26.48
35	58	5054-80-800-05	मतदेय	सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन और नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	60.00	3.57	5.95
36	59	4059-80-051-03	मतदेय	अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान	0.50	0.00	0.00
37	61	2049-04-101-03	भारित	एकमुश्त ऋण	78.95	78.95	100.00
38	61	6004-09-101-03	भारित	एकमुश्त ऋण	276.09	276.09	100.00
39	62	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	3000.00	00	0.00
40	75	2071-01-117-07	मतदेय	एनपीएस से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31.03.2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	0.10	00	0.00
41	83	5054-03-789-05	मतदेय	राज्य के प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यों हेतु एकमुश्त प्रावधान	135.00	188.56	139.67
42	83	5054-04-789-19	मतदेय	रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओ के निर्माण के नये कार्यो के लिए एकमुश्त प्रावधान	95.45	77.02	80.69
43	83	5054-04-789-27	मतदेय	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों/लघु सेतुओ के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	5.00	0.38	7.60
44	84	2075-800-03	मतदेय	अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0 प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि	3.00	2.70	90.00
45	87	2075-104-04	मतदेय	वीर चक्र श्रृंखला के विजेताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/ अनुदान	0.60	0.58	96.67
46	87	2075-104-05	मतदेय	वार सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त उ0 प्र0 के एवं सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को एकमुश्त सैनिक नकद पुरस्कार	2.70	1.62	60.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मतदेय/ भारित	विवरण	मूल बजट प्रावधान	व्यय	प्रतिशत
47	87	2075-104-07	मतदेय	विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला के पदक विजेताओं को एकमुश्त अनुदान	1.70	0.86	50.59
48	91	4059-01-800-03	मतदेय	स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	70.00	25.74	36.77
49	94	4701-40-051-05	मतदेय	मध्यम सिंचाई योजना (वाणिज्यिक) हेतु एकमुश्त व्यवस्था	0.98	0.28	28.57
50	94	4701-97-051-10	मतदेय	नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया, साइफन, हेड रेगुलेटर, ग्रेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)	30.00	12.77	42.57
51	94	4711-01-103-03	मतदेय	सीमान्त बांध (राज्य सेक्टर) एकमुश्त प्रावधान	1.50	0.00	0.00
	17	**योग**			**11022.30**	**6474.16**	**58.74**

परिशिष्ट-3.2
(प्रस्तर 3.2.4 में सन्दर्भित)
वर्ष 2023-24 के बजट अभिलेख में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण पद्धति विवरण में (केन्द्रांश/राज्यांश/वित्तीय संस्थाओं) का उल्लेख नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं0 और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-01-0103	लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना–सब्सिडी	50.00
21–खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	4059-60-051-01-0102	द्वितीय मानक प्रयोगशाला/कैलिब्रेशन टावर्स के लिए भवन का निर्माण	10.00
37–नगरीय विकास विभाग	2230-02-101-01-0101	राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन	0.13
42–न्याय विभाग	2014-102-01-0101	माननीय उच्च न्यायालय में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना	0.10
44–पर्यटन विभाग	5452-80-104-01-0109	प्रासाद योजनान्तर्गत चिन्हित स्थलों में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन	15.00
47–तकनीकी शिक्षा विभाग	4202-02-105-01-0105	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	4.80
48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4235-02-800-01-0125	प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम.एस.डी.पी.) योजनान्तर्गत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण	7.46
49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-01-0101	समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान	424.08
60–वन विभाग	4406-01-800-01-0112	फारेस्ट फायर प्रिवेंसन एण्ड मैनेजमेण्ट योजना	0.19
75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01-0104	तीन जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी और कासगंज) में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	5.75
81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	0.08
	4210-03-796-01-0101	14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	99.75
	4210-03-796-01-0102	एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटो में वृद्धि	30.88
83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	2235-02-789-01-0103	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.)	9.66
	4202-01-789-01-0108	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2.16
	4210-03-789-01-0101	14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना	282.09
	4210-03-796-01-0102	एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटो में वृद्धि	87.36
	4405-789-01-101	प्रधानमन्त्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत स्टेट आफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण	82.50
94–सिचाई विभाग (निर्माण)	4700-17-051-01-0101	त्वरित सिचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	192.00
	4700-18-051-01-0101	त्वरित सिचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	7.20

अनुदान सं0 और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
	4700-21-051-01-0101	त्वरित सिचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	0.10
	4700-22-051-01-0101	त्वरित सिचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के सम्बद्ध कार्य (एल.टी.आई.एफ. पोषित)	300.00
योग			**1611.29**

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.2.4 में सन्दर्भित)
उन प्रकरणों का विवरण जहाँ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वित्त पोषण प्रतिरूप में कुल केन्द्रांश और राज्यांश 100 प्रतिशत से अधिक/कम या अन्य वित्तीय संस्थान/अनुदानग्राही के वित्त पोषण अंश का उल्लेख नहीं है

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं0 और नाम	लेखा शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	धनराशि
37–नगरीय विकास विभाग	2217-05-191-01-0105	अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत––2.0) (के. 25/ राज्य 33.33) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)	914.15
	2217-05-192-01-0105	अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत––2.0) (के. 33.33/ राज्य 50.00) (एक लाख से 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहर)	1021.91
	2217-05-193-01-0105	अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत––2.0) (के. 33.33/राज्य 50.00) (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)	558.03
45–पर्यावरण विभाग	3435-04-103-01-0101	खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार (के. 0/राज्य 50.00)	3.00
योग			**2497.09**

परिशिष्ट-3.4
(प्रस्तर 3.3.1 में सन्दर्भित)
अनुदान–वार बचत दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	अनुदान सं0	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
1	**54**	3238.91	109.49	3129.42[10]	3.38	1 से 30
2	**12**	686.10	131.52	554.58	19.17	
3	**53**	1.68	0.44	1.24	26.19	
योग		**3926.69**	**241.45**	**3685.24**		
4	**19**	33.13	10.88	22.25	32.84	31 से 50
5	**17**	476.83	166.85	309.98	34.99	
6	**35**	18606.13	8205.74	10400.39	44.10	
7	**40**	4150.73	1833.18	2317.55	44.17	
8	**21**	25748.87	11401.29	14347.58	44.28	
9	**84**	881.58	390.96	490.62	44.35	
10	**3**	1938.03	935.23	1002.80	48.26	
योग		**51835.30**	**22944.13**	**28891.17**		
11	**1**	628.23	315.70	312.53	50.25	51 से 70
12	**4**	81.12	41.44	39.68	51.08	
13	**10**	1947.84	1008.82	939.02	51.79	
14	**59**	614.10	338.31	275.79	55.09	
15	**85**	9.55	5.27	4.28	55.18	
16	**92**	549.63	309.34	240.29	56.28	
17	**22**	1011.19	570.40	440.79	56.41	
18	**42**	8234.06	4720.97	3513.09	57.33	
19	**48**	2399.73	1384.58	1015.15	57.70	
20	**33**	1862.77	1093.50	769.27	58.70	
21	**49**	12648.65	7772.11	4876.54	61.45	
22	**94**	13664.27	8511.80	5152.47	62.29	
23	**36**	1334.85	854.23	480.62	63.99	
24	**18**	1356.41	884.40	472.01	65.20	
25	**13**	29190.91	19039.59	10151.32	65.22	
26	**63**	350.97	230.29	120.68	65.62	
27	**76**	811.32	544.88	266.44	67.16	
28	**81**	2080.52	1397.44	683.08	67.17	
29	**41**	593.18	408.98	184.20	68.95	
30	**27**	27.41	18.96	8.45	69.17	
31	**51**	5671.31	3932.49	1738.82	69.34	
32	**11**	8104.17	5631.36	2472.81	69.49	

[10] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI परिशिष्ट– V के अनुसार अनुदान संख्या 54 से व्यय ₹ 2406.54 करोड़ का आनुपातिक समायोजन अन्य अनुदानों, अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार–पुल) एवं अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़कें) में किया गया है। इस प्रकार, अनुदान संख्या 54 में वास्तविक बचत ₹ 722.84 करोड़ थी तथा उपभोग मूल प्रावधान का 77.68 प्रतिशत था।

क्र0सं0	अनुदान सं0	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
33	**45**	19.64	13.73	5.91	69.91	
योग		**93191.83**	**59028.59**	**34163.24**		
34	**43**	1306.34	915.76	390.58	70.10	
35	**91**	650.74	463.85	186.89	71.28	
36	**95**	6073.81	4335.77	1738.04	71.38	
37	**65**	485.09	350.03	135.06	72.16	
38	**89**	1294.81	934.34	360.47	72.16	
39	**28**	397.89	287.51	110.38	72.26	
40	**71**	73898.71	53813.77	20084.94	72.82	
41	**24**	2117.76	1561.42	556.34	73.73	
42	**77**	156.20	115.30	40.90	73.82	
43	**67**	86.85	64.77	22.08	74.58	
44	**39**	54.30	40.58	13.72	74.73	
45	**32**	10956.40	8280.19	2676.21	75.57	
46	**75**	338.77	256.69	82.08	75.77	
47	**70**	960.91	728.73	232.18	75.84	
48	**31**	9795.86	7439.47	2356.39	75.95	
49	**2**	7360.00	5599.13	1760.87	76.08	
50	**29**	27.54	21.04	6.50	76.40	
51	**73**	4843.02	3713.22	1129.80	76.67	
52	**93**	18207.94	14042.70	4165.24	77.12	
53	**16**	338.63	261.46	77.17	77.21	
54	**34**	720.19	559.30	160.89	77.66	71 से 90
55	**52**	5013.78	3931.10	1082.68	78.41	
56	**50**	1487.76	1167.48	320.28	78.47	
57	**62**	74954.45	58931.13	16023.32	78.62	
58	**26**	37636.39	29626.99	8009.40	78.72	
59	**83**	32669.64	25858.02	6811.62	79.15	
60	**8**	272.15	215.56	56.59	79.21	
61	**60**	1963.51	1561.93	401.58	79.55	
62	**72**	17573.80	14234.51	3339.29	81.00	
63	**30**	10.46	8.56	1.90	81.84	
64	**15**	3247.79	2660.76	587.03	81.93	
65	**80**	9759.80	8231.59	1528.21	84.34	
66	**61**	103030.04	87074.91	15955.13	84.51	
67	**57**	4288.74	3628.93	659.81	84.62	
68	**5**	144.10	121.94	22.16	84.62	
69	**78**	2029.56	1721.40	308.16	84.82	
70	**82**	94.66	80.33	14.33	84.86	
71	**55**	287.31	243.97	43.34	84.92	
72	**25**	2037.38	1733.84	303.54	85.10	
73	**6**	1780.50	1518.51	261.99	85.29	
74	**87**	84.77	72.92	11.85	86.02	

क्र0सं0	अनुदान सं0	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय	बचत	उपभोग (प्रतिशत में)	उपभोग की सीमा (प्रतिशत में)
75	**9**	64359.63	55717.37	8642.26	86.57	
76	**7**	21116.23	18307.77	2808.46	86.70	
77	**23**	311.17	269.86	41.31	86.72	
78	**46**	27.97	24.40	3.57	87.24	
79	**69**	2135.23	1880.65	254.58	88.08	
80	**37**	26409.18	23365.34	3043.84	88.47	
81	**47**	973.37	862.79	110.58	88.64	
योग		**553771.13**	**446837.59**	**106933.54**		
82	**58**	31045.25	28138.88	2906.37	90.64	91 से 100
83	**20**	265.24	240.74	24.50	90.76	
84	**74**	2904.21	2649.54	254.67	91.23	
85	**38**	1891.60	1733.65	157.95	91.65	
86	**44**	1785.93	1643.57	142.36	92.03	
87	**14**	15567.47	14600.27	967.20	93.79	
88	**68**	325.06	306.45	18.61	94.27	
89	**79**	4227.10	4051.43	175.67	95.84	
90	**86**	1484.62	1434.52	50.10	96.63	
91	**66**	262.64	259.28	3.36	98.72	
योग		**59759.12**	**55058.33**	**4700.79**		

परिशिष्ट-3.5
(प्रस्तर 3.3.2 में सन्दर्भित)
वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाली अनुदानें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
		राजस्व मतदेय				
1	1	आबकारी विभाग	585.88	315.70	270.18	0.05
2	2	आवास विभाग	440.04	282.67	157.37	135.72
3	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	1067.25	846.61	220.64	220.64
4	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	1760.40	1513.41	246.99	246.99
5	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	10770.41	8641.40	2129.01	1267.85
6	9	ऊर्जा विभाग	36974.35	32992.26	3982.09	3982.09
7	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग)	1840.13	963.52	876.61	8.77
8	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	7392.35	5105.80	2286.55	2165.80
9	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	686.10	131.52	554.58	554.58
10	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	5888.42	4018.71	1869.71	1196.94
11	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	14995.65	14265.30	730.35	644.86
12	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2966.10	2418.64	547.46	(-)0.96
13	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	476.23	166.35	309.88	309.88
14	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1106.15	667.76	438.39	(-)1.81
15	21	खाद्य तथा रसद विभाग	3684.80	1429.68	2255.12	2148.16
16	25	गृह विभाग (जेल)	1298.50	1048.85	249.65	0.04
17	26	गृह विभाग (पुलिस)	32954.47	26048.15	6906.32	6902.52
18	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	390.84	287.47	103.37	103.08
19	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	6038.71	5671.40	367.31	367.31
20	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	9776.49	7699.98	2076.51	2076.51
21	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	1766.35	1021.52	744.83	744.83
22	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	680.19	522.11	158.08	0.02
23	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	16106.69	7527.76	8578.93	8578.93
24	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	1096.17	642.67	453.50	0.07
25	37	नगर विकास विभाग	23681.80	21390.49	2291.31	322.81
26	41	निर्वाचन विभाग	582.78	406.14	176.64	0.22
27	42	न्याय विभाग	3936.76	3427.62	509.14	494.69
28	43	परिवहन विभाग	659.04	272.05	386.99	140.19

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
29	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1609.93	1191.07	418.86	(-)0.39
30	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	12424.55	7730.01	4694.54	(-)80.70
31	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	1360.52	1052.15	308.37	0.35
32	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	4206.05	3054.42	1151.63	1151.63
33	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	4951.01	3925.05	1025.96	180.80
34	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	3238.32	108.94	3129.38[11]	2406.69
35	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य संपदा निदेशालय)	382.78	263.04	119.74	0.13
36	60	वन विभाग	917.88	689.70	228.18	0.08
37	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	26491.71	25282.25	1209.46	1205.91
38	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	74753.68	58928.91	15824.77	15824.77
39	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	349.13	229.05	120.08	0.00
40	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प–बचत आदि)	407.09	282.21	124.88	0.75
41	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	1459.50	1209.96	249.54	249.54
42	70	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	829.91	691.77	138.14	23.69
43	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	70709.84	52567.55	18142.29	18142.29
44	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	15724.45	13649.88	2074.57	2074.57
45	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4004.31	3230.46	773.85	773.85
46	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	2870.78	2647.38	223.40	(-)1.26
47	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	611.65	398.68	212.97	164.70
48	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2024.55	1720.86	303.69	(-)0.50
49	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन का सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	4061.00	3938.84	122.16	10.80
50	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	9759.80	8231.59	1528.21	0.39
51	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1204.70	809.37	395.33	350.74
52	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	18132.22	14438.93	3693.29	2780.61
53	89	राज्य कर विभाग	1251.91	932.63	319.28	311.08
54	91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	579.74	437.46	142.28	142.28
55	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	1242.76	1020.53	222.23	0.04
56	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700.02	4204.11	495.91	495.91

[11] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI परिशिष्ट– V के अनुसार अनुदान संख्या 54 से व्यय ₹ 2406.54 करोड़ का आनुपातिक समायोजन अन्य अनुदानों, अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार–पुल) एवं अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़कें) में किया गया है। इस प्रकार, अनुदान संख्या 54 में वास्तविक बचत ₹ 722.84 करोड़ था।

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
57	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	6073.31	4335.77	1737.54	215.86
		योग (राजस्व मतदेय)	**465936.15**	**366928.11**	**99008.04**	**79035.39**
		पूँजीगत मतदेय				
1	2	आवास विभाग	6919.95	5316.46	1603.49	1603.49
2	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	870.72	88.62	782.10	782.10
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	10345.82	9666.36	679.46	239.18
4	9	ऊर्जा विभाग	20084.38	15425.71	4658.67	4658.67
5	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	711.62	525.48	186.14	98.03
6	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	23302.27	15020.72	8281.55	3060.75
7	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	571.83	334.97	236.86	224.23
8	21	खाद्य तथा रसद विभाग	22064.00	9971.61	12092.39	9664.46
9	22	खेल विभाग	691.66	325.97	365.69	0.00
10	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2048.50	1506.60	541.90	416.90
11	26	गृह विभाग (पुलिस)	4677.92	3577.57	1100.35	1099.46
12	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	3757.16	1768.07	1989.09	1989.09
13	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	1179.71	580.01	599.70	599.70
14	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2498.99	677.81	1821.18	1821.18
15	37	नगर विकास विभाग	2727.38	1974.85	752.53	752.52
16	38	नागरिक उड्डयन विभाग	1783.65	1650.61	133.04	133.04
17	40	नियोजन विभाग	3844.26	1618.75	2225.51	41.69
18	42	न्याय विभाग	3479.64	636.26	2843.38	2843.38
19	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	789.78	193.50	596.28	0.00
20	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	224.10	42.10	182.00	0.00
21	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	610.90	23.71	587.19	587.19
22	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	4163.74	3497.99	665.75	(-)317.52
23	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	18332.52	15187.18	3145.34	(-)838.90
24	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य संपदा निदेशालय)	231.32	75.27	156.05	154.09
25	60	वन विभाग	1045.49	872.23	173.26	0.14
26	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	165.00	51.89	113.11	113.11
27	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	200.00	1.36	198.64	198.64
28	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	3188.88	1246.22	1942.66	1942.66
29	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1849.36	584.63	1264.73	1264.73

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण को छोड़कर बचत
30	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	838.71	482.76	355.95	355.95
31	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	14537.42	11419.08	3118.34	1613.18
32	84	सामान्य प्रशासन विभाग	785.26	384.16	401.10	0.00
33	92	संस्कृति विभाग	307.03	114.84	192.19	192.19
34	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति	16965.18	13022.17	3943.01	0.04
35	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	8959.25	4303.60	4655.65	4655.65
योग (पूँजीगत मतदेय)			**184753.40**	**122169.12**	**62584.28**	**39949.02**
योग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)			**650689.55**	**489097.23**	**161592.32**	**118984.41**
राजस्व भारित						
1	42	न्याय विभाग	810.15	657.09	153.06	153.06
2	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	49622.77	44792.73	4830.04	4830.04
योग (राजस्व भारित)			**50432.92**	**45449.82**	**4983.10**	**4983.10**
पूँजीगत भारित						
1	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	26750.56	16948.04	9802.52	9802.52
योग (पूँजीगत भारित)			**26750.56**	**16948.04**	**9802.52**	**9802.52**
योग (राजस्व भारित + पूँजीगत भारित)			**77183.48**	**62397.86**	**14785.62**	**14785.62**
महायोग			**727873.03**	**551495.09**	**176377.94**	**133770.03**

परिशिष्ट-3.6
(प्रस्तर 3.3.3 में सन्दर्भित)
अनुदान जिसमें विगत पाँच वर्षों (2019-2024) के दौरान लगातार बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		राजस्व मतदेय					
1	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	1078.24	1655.00	1525.32	2123.05	2286.55
2	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	648.55	903.83	403.18	940.07	1869.71
3	15	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पशुधन)	223.83	412.87	389.67	576.68	547.46
4	26	गृह विभाग (पुलिस)	1809.86	5594.62	4030.66	4422.93	6906.32
5	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	1935.09	2514.99	1937.56	2497.53	2076.51
6	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	331.55	330.7	343.03	622.47	744.82
7	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	988.46	592.63	1573.99	4551.49	8578.94
8	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	261.71	333.35	379.53	384.86	453.50
9	37	नगर विकास विभाग	8753.97	3890.8	6838.6	9665.26	2291.31
10	42	न्याय विभाग	813.17	967.23	1014.07	963.36	509.14
11	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1081.21	1086.58	1137.7	1133.25	418.86
12	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3554.23	4417.62	2195.3	3004.2	4694.54
13	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	532.44	2289.91	229.38	1841.95	1151.62
14	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	1547.59	1134.72	1189.95	885.92	1025.97
15	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)[12]	1878.77	2497.34	1971.55	2144.33	3129.38
16	60	वन विभाग	245.9	334.84	347.56	339.77	288.19
17	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	124.91	303.76	310.2	231.61	249.53
18	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	14407.71	13745.25	13969.6	12753.75	18142.29
19	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1502.17	3151.5	3014.2	2152.12	2074.56
20	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	342.64	813.8	760.00	578.68	773.85
21	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	139.51	214.52	384.92	1389.97	1528.21
22	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4255.67	4486.13	7052.22	6576.27	3693.29
23	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1344.21	1618.46	1517.73	1362.51	1737.54
		योग	**47801.39**	**53290.45**	**52515.92**	**61142.03**	**65172.09**

[12] वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI परिशिष्ट– V के अनुसार अनुदान संख्या 54 से व्यय का आनुपातिक समायोजन अन्य अनुदानों, अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार–पुल) एवं अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार–सड़के) में किया गया है। इस प्रकार, अनुदान संख्या 54 में वास्तविक बचत ₹ 285.15 करोड़ (2019–20), ₹ 628.90 करोड़ (2020–21), ₹ 512.51 करोड़ (2021–22), ₹ 528.26 करोड़ (2022–23) तथा ₹ 722.84 करोड़ (2023–24) थी।

क्र0 सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		पूँजीगत (मतदेय)					
24	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	9371.66	7380.9	5605.88	2158.61	8281.56
25	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	344.64	267.39	1936.66	696.82	599.70
26	40	नियोजन विभाग	1021.53	897.57	2274.74	511.24	2225.51
27	42	न्याय विभाग	1377.26	1687.2	1819.57	2296.6	2843.38
		योग	**12115.09**	**10233.06**	**11636.85**	**5663.27**	**13950.15**
		महायोग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय)	**59916.48**	**63523.51**	**64152.77**	**66805.30**	**79122.24**

परिशिष्ट-3.7
(प्रस्तर 3.3.4 में सन्दर्भित)
जिन योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
राजस्व मतदेय									
1.	5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	2851-105-29	खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति	13.00	1.45	14.45	10.12	4.33
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-07-202-11	विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में 01 वाई–फाई कनेक्शन एवं 05 FTTH कनेक्शन हेतु परिचालन व्ययों (OPEX) की व्यवस्था	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
3.	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-119-04	फल	173.93	54.02	227.95	162.89	65.06
4.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2415-80-120-04	उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान	107.56	2.00	109.56	69.98	39.58
5.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-01-800-02	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	1843.99	59.21	1903.20	1174.51	728.69
6.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2501-01-800-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	1205.09	39.48	1244.57	783.01	461.56
7.	22	खेल विभाग	2204-104-29	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	0.05	2.00	2.05	0.00	2.05
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-03	109- जिला पुलिस- 03- जिला पुलिस (मुख्य)	21580.25	26.34	21606.59	17447.86	4158.73
9.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-104-03	राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी–मुख्य	3856.52	8.97	3865.49	2797.04	1068.45
10.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-101-04	अनुसंधान अनुभाग	620.31	17.73	638.04	440.33	197.71
11.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-111-03	मुख्य	620.66	5.30	625.96	462.45	163.51
12.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-114-03	पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र	311.05	1.57	312.62	154.44	158.18
13.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2070-108-03	प्रशासन	715.75	2.65	718.40	579.10	139.30

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
14.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-04	राज्य रेडियो अनुभाग– मुख्य	495.97	1.50	497.47	361.17	136.30
15.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-101-03	अभिसूचना अनुभाग– मुख्य	522.69	4.96	527.65	392.22	135.43
16.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2245-80-102-03	एस.डी.आर.एफ. का गठन	81.24	9.74	90.98	49.99	40.99
17.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-109-13	यू.पी. 112 परियोजना	281.20	21.07	302.27	268.53	33.74
18.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-104-06	इण्डिया रिजर्व वाहिंनी का गठन	104.93	6.57	111.50	79.44	32.06
19.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-104-07	07–उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिंनी	86.89	1.26	88.15	57.52	30.63
20.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	निदेशन एवं प्रशासन– मुख्य	57.07	1.10	58.17	37.16	21.01
21.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-108-03	राज्य पुलिस मुख्यालय	133.32	1.60	134.92	120.97	13.95
22.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-05-001-03	निदेशन	124.53	2.26	126.79	86.85	39.94
23.	34	चिकित्सा विभाग (होमियोपैथी)	2210-04-102-03	चिकित्सालय एवं औषधालय	361.83	10.00	371.83	342.75	29.08
24.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	2210-06-001-04	खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना	162.28	5.00	167.28	139.47	27.81
25.	42	न्याय विभाग	2014-105-03	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	2025.32	245.00	2270.32	1988.32	282.00
26.	42	न्याय विभाग	2014-105-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	101.91	4.00	105.91	33.08	72.83
27.	42	न्याय विभाग	2014-106-03	लघुवाद न्यायालय –अधिष्ठान	26.51	1.50	28.01	24.59	3.42
28.	43	परिवहन विभाग	3055-190-04	राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था हेतु निगम को प्रतिकर का भुगतान	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
29.	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	2070-800-03	उ. प्र. सूचना आयोग का गठन	19.01	1.87	20.88	18.02	2.86

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
30.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-105-03	पालिटेक्निक–सामान्य पालिटेक्निक	538.71	4.00	542.71	511.86	30.85
31.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3054-80-797-04	राज्य सड़क निधि को अन्तरण	3000.00	250.00	3250.00	3000.00	250.00
32.	68	विधान सभा सचिवालय	2011-02-101-03	विधान सभा	150.57	1.63	152.20	131.15	21.05
33.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांग जन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2225-03-277-05	पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	170.00	30.00	200.00	147.15	52.85
34.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2515-796-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	0.00	51.28	51.28	0.00	51.28
35.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	2515-796-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	19.96	34.18	54.14	15.69	38.45
36.	82	सतर्कता विभाग	2070-104-04	सतर्कता निदेशालय	74.02	1.77	75.79	65.12	10.67
37.	86	सूचना विभाग	2220-102-03	सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	12.86	2.27	15.13	11.10	4.03
38.	89	राज्य कर विभाग	2040-800-04	वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान	34.56	3.52	38.08	29.88	8.20
39.	92	संस्कृति विभाग	2205-101-27	अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
				योग राजस्व मतदेय (कुल अनुदान 22)	**39633.54**	**932.80**	**40566.34**	**31993.76**	**8572.58**
				पूँजीगत मतदेय					
1.	2	आवास विभाग	4217-60-051-05	वाराणसी एवं गोरखपुर मे एकीकृत मण्डलीय कार्यालय का निर्माण	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
2.	2	आवास विभाग	4216-80-800-04	राज्य राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के गठन हेतु	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
3.	9	ऊर्जा विभाग	4801-05-190-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	3152.00	611.00	3763.00	2402.00	1361.00
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070-800-09	जिला पुलिस (मुख्य)	250.00	14.38	264.38	35.76	228.62
5.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-207-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	79.91	118.94	198.85	1.75	197.10
6.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-211-06	पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	1000.00	42.47	1042.47	940.79	101.68
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4055-211-07	केन्द्रीय पुलिस बल (आर.ए.एफ / सी.आर.पी.एफ.) / राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि	150.00	40.14	190.14	95.98	94.16
8.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070-800-11	अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण– प्रशासन	49.15	34.44	83.59	39.02	44.57
9.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	4210-800-08	आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना	65.00	10.00	75.00	50.62	24.38
10.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4210-800-05	खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मण्डलीय कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं का भवन निर्माण	200.00	20.00	220.00	195.00	25.00
11.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	4210-107-03	राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	15.54	1.28	16.82	14.86	1.96
12.	37	नगर विकास विभाग	6215-02-191-05	पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	50.00	25.00	75.00	43.68	31.32
13.	40	नियोजन विभाग	4575-800-04	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	300.00	75.00	375.00	289.63	85.37
14.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4235-103-07	मुख्यमन्त्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय संस्थाओं / गृहों का भवन निर्माण	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
15.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन– सेतु)	5054-04-101-04	सामान्य सेतु निर्माण (राज्य क्षेत्र)–	1181.85	39.41	1221.26	1049.51	171.75
16.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन– सड़कें)	5054-800-58	राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण / सुदृढ़ीकरण / चौड़ीकरण	2500.00	250.00	2750.00	2315.29	434.71

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
17.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-797-03	राज्य सड़क निधि को अन्तरण	2500.00	250.00	2750.00	2500.00	250.00
18.	60	वन विभाग	4406-02-110-13	संरक्षित क्षेत्रो का प्राकृतवास एवं वन्यजीव प्रबन्धन योजना	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
19.	65	वित विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	4059-01-051-05	वित विभाग के अधीन समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों हेतु एकीकृत भवन का निर्माण	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
20.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4202-01-201-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	1103.50	9.80	1113.30	618.43	494.87
21.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4202-01-201-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	735.67	6.54	742.21	546.19	196.02
22.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4202-01-202-05	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय (जिला योजना)	500.00	383.00	883.00	419.59	463.41
23.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4202-01-202-33	नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
24.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-01-203-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	4.19	7.44	11.63	0.00	11.63
25.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-01-203-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16
26.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	25.42	16.13	41.55	23.54	18.01
27.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-01-201-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	16.95	10.74	27.69	15.69	12.00

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत
28.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	78.64	3.88	82.52	19.59	62.93
29.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	4202-01-796-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	52.42	2.59	55.01	30.93	24.08
30.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-13	उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला/कुण्ड/तीर्थ स्थल आदि का जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल/सत्संग स्थल आदि का निर्माण	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
31.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-12	जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण	0.00	4.06	4.06	0.00	4.06
32.	92	संस्कृति विभाग	4202-800-54	अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00
33.	93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	4215-01-102-02	ग्रामीण जलापूर्ति– जल जीवन मिशन	16644.60	200.00	16844.60	12907.94	3936.66
योग पूँजीगत मतदेय (15 अनुदान)					**30654.84**	**2379.40**	**33034.24**	**24555.79**	**8478.45**
योग (राजस्व मतदेय + पूँजीगत मतदेय) (कुल 37 अनुदान)					**70288.38**	**3312.20**	**73600.58**	**56549.55**	**17051.03**

परिशिष्ट-3.8
(प्रस्तर 3.3.5 में सन्दर्भित)
अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
1	2	2029-भू–राजस्व 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-कलेक्टरों के कार्यालय (नजूल)	1.60	0.11	1.71	1.34	0.37
2	7	2852- उद्योग 80-800-07-ग्लोबल इनवेस्टर समिट- 2023	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
3	8	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण–103-04-राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ	64.60	1.32	65.92	41.41	24.51
4	8	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण -103-07-राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी	10.39	0.05	10.44	7.34	3.10
5	8	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण -103-06-राजकीय मुद्रणालय, रामपुर	8.44	0.19	8.63	8.05	0.58
6	11	2401-फसल कृषि कर्म 109- 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	198.19	3.82	202.01	160.69	41.32
7	11	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 80-120- 27-कृषि विश्वविद्यालय बांदा की स्थापना	21.89	1.60	23.49	21.55	1.94
8	11	2401- फसल कृषि कर्म 109-09-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना	6.47	0.67	7.14	5.87	1.27
9	15	2403- पशु पालन 101-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	82.15	2.93	85.08	82.15	2.93
10	18	2425- सहकारिता 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	30.00	13.68	43.68	27.22	16.46
11	26	2055-पुलिस 101-04- अनुसंधान अनुभाग	638.04	5.31	643.35	440.33	203.02
12	26	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207-राज्य पुलिस 14- यू. पी. 112 परियोजना	390.00	187.56	577.56	234.95	342.61
13	26	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 800-18-राज्य रेडियो अनुभाग	12.00	41.43	53.43	0.19	53.24
14	26	2055- पुलिस - 109-जिला पुलिस 13-यू.पी. 112 परियोजना	302.28	12.74	315.02	268.53	46.49
15	26	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207-राज्य पुलिस 23-विशेष पुलिस अभियान दल	2.70	4.72	7.42	1.94	5.48
16	31	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 105-03- शिक्षा	5460.88	2.00	5462.88	5236.54	226.34
17	31	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03-105-51- राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	7.50	0.75	8.25	1.00	7.25

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
18	31	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान 105-55- राजकीय एलोपैथी मेडिकल कालेज, उरई, जालौन	7.00	0.41	7.41	5.64	1.77
19	32	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 110-10- उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम	5.00	3.43	8.43	5.00	3.43
20	35	2211- परिवार कल्याण 101-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	759.41	1.50	760.91	441.84	319.07
21	36	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 04- खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय	0.10	2.99	3.09	0.09	3.00
22	42	2014-न्याय प्रशासन 105-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	105.91	0.24	106.15	33.08	73.07
23	42	2014- न्याय प्रशासन 108-04- रेलवे मजिस्ट्रेटो का अधिष्ठान	14.87	0.42	15.29	13.49	1.80
24	44	3452-पर्यटन 80-सामान्य 001- निदेशन एवं प्रशासन 03- अधिष्ठान - पर्यटन निदेशालय	15.25	1.76	17.01	11.70	5.31
25	51	2245-प्राकृतिक आपदा से राहत 80- सामान्य 800-अन्य व्यय 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	0.39	0.18	0.57	0.17	0.40
26	73	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय 01- सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 06-असेवित मण्डलो में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना	0.10	1.00	1.10	0.00	1.10
27	81	2401- फसल कृषि कर्म 796-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	4.91	0.22	5.13	3.03	2.10
28	83	2401- फसल कृषि कर्म 789-89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	229.24	3.75	232.99	138.85	94.14
29	83	2402- मृदा तथा जल संरक्षण 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	89.63	8.40	98.03	29.84	68.19
30	83	2402- मृदा तथा जल संरक्षण 789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	77.40	2.48	79.88	20.37	59.51

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
31	86	2220- सूचना एवं प्रचार 60-अन्य 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-स्थापना व्यय	61.84	1.00	62.84	48.52	14.32
32	91	2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण 03-पंजीकरण 001- निदेशन एवं प्रशासन 03- मुख्यालय	62.75	2.50	65.25	41.11	24.14
33	91	2030- स्टाम्प एवं पंजीकरण -02-स्टाम्प–न्यायिकेतर 001- निदेशन एवं प्रशासन 03-अधिष्ठान	1.47	0.01	1.48	0.73	0.75
34	92	2205-कला एवं संस्कृति 001-निदेशन एवं प्रशासन 03- संस्कृति निदेशालय	11.06	0.63	11.69	10.36	1.33
35	92	2205- कला एवं संस्कृति 101-ललित कला शिक्षा 07- उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य एकेडमी, लखनऊ को अनुदान	4.06	0.08	4.14	3.43	0.71
36	94	4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबार्ड पोषित)	1486.43	15.91	1502.34	1175.98	326.36
37	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 09-कटाव निरोधक योजनाएं	143.37	25.65	169.02	36.85	132.17
38	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 08-तटबंधों का निर्माण	206.86	6.81	213.67	103.19	110.48
39	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	50.00	38.75	88.75	37.86	50.89
40	94	4702- लघु सिचाई परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 102-भू–जल 03-नलकूप योजनाएं	762.82	3.88	766.70	727.14	39.56
41	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	105.19	9.57	114.76	77.02	37.74
42	94	4700- मुख्य सिचाईं परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 06-पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें	35.10	2.30	37.40	24.93	12.47
43	94	4700- मुख्य सिचाईं परियोजनाओ पर पूँजीगत परिव्यय 05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 13- जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र जलालाबाद एवं तालग्राम (डार्क जोन) में सिंचाई	11.00	4.25	15.25	5.49	9.76

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	योग	व्यय	बचत
		सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में परियोजना					
44	94	4701- मध्यम सिचाईं परियोजनाओ पर पूॅजीगत परिव्यय 93-विभिन्न बैराजों/बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 07-बैराज	33.53	0.62	34.15	25.24	8.91
45	94	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओ पर पूॅजीगत परिव्यय 01- बाढ़ नियन्त्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 06- नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं	22.00	0.31	22.31	13.86	8.45
46	94	2701- मध्यम सिचाईं 11-बिजनौर नहरें (वाणिज्यिक) 101-रख–रखाव एवं मरम्मत 03-अन्य रख–रखाव व्यय	1.70	4.03	5.73	1.20	4.53
47	94	2701- मध्यम सिचाईं 17- गुरसराय नहर (वाणिज्यिक) 101-रख–रखाव एवं मरम्मत 03- अन्य रख–रखाव व्यय	3.60	1.53	5.13	3.54	1.59
	21	**योग**	**11549.12**	**473.49**	**12022.61**	**9578.65**	**2443.96**

परिशिष्ट-3.9
(प्रस्तर 3.3.6 में सन्दर्भित)
मुख्य शीर्षों को दर्शाने वाले विवरण जहाँ मार्च 2024 में 50 प्रतिशत या अधिक व्यय किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विवरण	चतुर्थ तिमाही का व्यय	2023–24 के दौरान कुल व्यय	मार्च 2024 के दौरान व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष में मार्च 2024 में व्यय का प्रतिशत	चतुर्थ तिमाही में व्यय प्रतिशत के रूप में कुल व्यय
1	17	कृषि और अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	93.44	166.85	84.63	50.72	56.00
2	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	164.54	243.97	126.30	51.77	67.44
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन– सड़कें)	19504.74	28138.87	16111.18	57.26	69.32
4	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2863.45	4051.43	2746.41	67.79	70.68

स्रोतः म.ले.(ले.एवं हक.-I) उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया गया वी0एल0सी0 डाटा

परिशिष्ट-3.10
(प्रस्तर 3.3.7 में सन्दर्भित)
योजनायें जिनके लिए मूल प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
1.	2	आवास विभाग	4217-01-190-09	वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना	100.00	0.00	100.00
2.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-28	उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, 2022	100.00	0.00	100.00
3.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	4851-102-09	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	200.00	0.00	200.00
4.	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन)	5475-800-03	औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशको को आर्थिक सहायता	500.00	0.00	500.00
5.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-03	त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति–2020 का क्रियान्वयन	125.00	0.00	125.00
6.	9	ऊर्जा विभाग	4801-05-190-20	ग्रीन एनर्जी कारिडोर–II के पारेषण कार्यों हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के सापेक्ष उ. प्र. पावर ट्रांसमिसन कॉर्पोरेशन को अंशपूँजी	100.00	0.00	100.00
7.	9	ऊर्जा विभाग	6801-190-03	ग्रीन एनर्जी कारिडोर–II के पारेषण कार्यों हेतु के.एफ.डब्ल्यू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उ.प्र.पावर ट्रांसमिसन कॉर्पोरेशन को ऋण	1020.00	0.00	1020.00
8.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-190-12	निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण /प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/ को–जेनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण	170.00	0.00	170.00
9.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4210-80-800-03	15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत व्यवस्था	408.53	0.00	408.53
10.	42	न्याय विभाग	4059-01-052-03	अधीनस्थ न्यायालय की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण	100.00	0.00	100.00
11.	42	न्याय विभाग	4070-800-04	जनपद न्यायालय वाराणसी के नवीन परिसर हेतु भूमि अर्जन	100.00	0.00	100.00
12.	42	न्याय विभाग	4059-01-051-18	मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिए नये भवनों का निर्माण	150.00	0.00	150.00
13.	42	न्याय विभाग	4059-01-051-08	पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर का निर्माण	700.00	0.00	700.00
14.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-21	मुख्यमन्त्री सक्षम सुपोषण योजना	100.00	0.00	100.00
15.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	6075-800-03	सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुर्नगठन के लिए ऋण सहायता	100.00	0.00	100.00

क्र0 सं0	अनुदान सं0	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	मूल प्रावधान	व्यय	बचत
16.	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	2071-01-117-09	अभिदाता अंशदान विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज का भुगतान	100.00	0.00	100.00
17.	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	2071-01-117-08	दिनांक 31-03-2019 तक देय अवशेष नियोक्ता अंशदान/देरी से जमा किये गये नियोक्ता अंशदान पर ब्याज	980.00	0.00	980.00
18.	62	वित्त विभाग (अधिवर्षता भत्ते तथा पेंशनें)	2071-01-117-07	एन.पी.एस. से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के दिनांक 31-03-2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	3000.00	0.00	3000.00
19.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	4202-01-201-08	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	300.00	0.00	300.00
20.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-800-01	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	163.80	0.00	163.80
21.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	4202-01-202-08	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	300.00	0.00	300.00
22.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-03-800-23	मुख्यमन्त्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना	100.00	0.00	100.00
23.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	4202-01-203-18	भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता	300.00	0.00	300.00
24.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-01-111-09	असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु ''मुख्यमन्त्री जन आरोग्य योजना''	100.00	0.00	100.00
25.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700-17-51-01	सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)– केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	192.00	0.00	192.00
26.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4700-23-051-10	बदांयू सिचाई परियोजना (वाणिज्यिक)– नहरें	350.00	0.00	350.00
योग : 15 अनुदान					**9859.33**	**0.00**	**9859.33**

परिशिष्ट-3.11
(प्रस्तर 3.3.7 में सन्दर्भित)
योजनाओं का विवरण जिनके मूल प्रावधानों को अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
1.	1	आबकारी विभाग	4059-01-051-04	कमान और नियंत्रण केन्द्र, लखनऊ की स्थापना	41.45	(-)41.45	0.00	0.00	0.00
2.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	5054-03-337-14	गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि	11.20	(-)11.20	0.00	0.00	0.00
3.	7	उद्योग विभाग (भारी और मध्यम उद्योग)	5054-15	झांसी लिंक एक्सप्रेस–वे परियोजना	150.00	(-)150.00	0.00	0.00	0.00
4.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि)	2071-01-117-07	कृषि विश्वविद्यालयों के एन.पी.एस.से आच्छादित कर्मचारियों के दिनांक 31-03-2019 तक के अवशेष नियोक्ता अंशदान का एकमुश्त भुगतान	14.00	(-)14.00	0.00	0.00	0.00
5.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि)	4415-80-277-05	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्ट–अप/ इक्यूवेशन सेन्टर की स्थापना	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
6.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्व विभाग (कृषि)	4415-80-277-33	महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
7.	15	कृषि एवं अन्य सम्बद्व विभाग (पशुधन)	2403-102-08	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेडा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्स्ड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)	44.74	(-)44.74	0.00	0.00	0.00
8.	18	कृषि एवं अन्य सम्बद्व विभाग (सहकारिता)	6425-800-04	एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (एन.सी.डी.सी. पोषित)	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
9.	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	4070-003-03	उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी	19.43	(-)19.43	0.00	0.00	0.00
10.	22	खेल विभाग	4202-03-800-81	जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कालेज	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
11.	22	खेल विभाग	2204-104-15	उत्तर प्रदेश खेल विकास निधि	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
12.	22	खेल विभाग	4202-03-800-79	गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज में वेलोड्रोम का निर्माण	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
13.	22	खेल विभाग	4202-03-800-76	निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय	40.00	(-)40.00	0.00	0.00	0.00
14.	22	खेल विभाग	4202-03-102-13	प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं का निर्माण	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
15.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-07	सहकारी चीनी मिल साथा की आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी उन्नयन के कार्य	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
16.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-08	दी किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी उन्नयन के कार्य	20.00	(-)20.00	0.00	0.00	0.00
17.	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	6860-04-101-06	सहकारी चीनी मिल स्नेहरोड की पेराई क्षमता विस्तारीकरण तथा आसवनी आदि हेतु	85.00	(-)85.00	0.00	0.00	0.00
18.	25	गृह विभाग (कारागार)	4070-800-22	कारागारों में सोलर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, हाईमास्ट तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
19.	26	गृह विभाग (पुलिस)	4070-800-24	अग्निशमन केन्द्रों पर सोलर पावर प्लाण्ट का अधिष्ठापन	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
20.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4210-03-105-25	सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर प्रदेश के असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना	48.00	(-)48.00	0.00	0.00	0.00
21.	37	नगर विकास विभाग	2217-800-08	नगर पालिका परिषद् जनपद मऊ में स्वतंत्रता सेनानियों/शहीदों की स्मृति में सभागार का निर्माण	15.00	(-)15.00	0.00	0.00	0.00
22.	40	नियोजन विभाग	4215-106-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
23.	40	नियोजन विभाग	4575-800-09	सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	12.57	(-)12.57	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
24.	40	नियोजन विभाग	4575-102-03	ग्रामीण जलापूर्ति–जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	15.00	(-)15.00	0.00	0.00	0.00
25.	40	नियोजन विभाग	4575-337-03	सड़क निर्माण कार्य–सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था	18.00	(-)18.00	0.00	0.00	0.00
26.	40	नियोजन विभाग	2575-02-800-04	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं	36.84	(-)36.84	0.00	0.00	0.00
27.	40	नियोजन विभाग	4575-02-800-03	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं	38.16	(-)38.16	0.00	0.00	0.00
28.	40	नियोजन विभाग	4215-102-03	त्वरित आर्थिक विकास योजना	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
29.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2235-02-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	11.87	(-)11.87	0.00	0.00	0.00
30.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-89	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	80.00	(-)80.00	0.00	0.00	0.00
31.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-01-800-01	प्राथमिक शिक्षा– केन्द्र प्रायोजित योजना	120.00	(-)120.00	0.00	0.00	0.00
32.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-02-102-07	आयुष्मान भारत के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
33.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	4070-800-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	50.87	(-)50.87	0.00	0.00	0.00
34.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	5054-04-101-39	सेतुओं/आर.ओ.बी. फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओ का पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
35.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-800-04	मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	40.00	(-)40.00	0.00	0.00	0.00
36.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3054-04-337-06	प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षणोपरान्त नियमित अनुरक्षण	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
37.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3054-800-04	डिक्रीटल राशि का भुगतान	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00
38.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	5054-800-03	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	50.00	(-)50.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
39.	60	वन विभाग	4406-110-17	जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना	49.50	(-)49.50	0.00	0.00	0.00
40.	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	2054-097-04	कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
41.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4070-800-03	आवासीय भवनों का निर्माण	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
42.	74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	4070-800-04	अनावासीय भवनों का निर्माण	15.00	(-)15.00	0.00	0.00	0.00
43.	79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	4225-277-01	शिक्षा – केन्द्र प्रायोजित योजना	14.96	(-)14.96	0.00	0.00	0.00
44.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-277-01	शिक्षा – केन्द्र प्रायोजित योजना	12.00	(-)12.00	0.00	0.00	0.00
45.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4235-02-789-01	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– केन्द्र प्रायोजित योजना	10.00	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
46.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	4225-01-789-01	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	591.60	(-)591.60	0.00	0.00	0.00
47.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-09	जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण	18.50	(-)18.50	0.00	0.00	0.00
48.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-800-11	जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना	25.00	(-)25.00	0.00	0.00	0.00
49.	84	सामान्य प्रशासन विभाग	4250-10	जनपद मीरजापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, मॉ विन्ध्यवासनी मंदिर, मॉ अष्टभुजा मंदिर व मॉ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किया जाना	200.00	(-)200.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान सं.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	योजना का नाम	प्रावधान	पुर्नविनियोजन	योग	व्यय	बचत
50.	89	राज्य कर विभाग	4059-01-051-32	सहायता केन्द्रों एवं कार्यालय भवनों का निर्माण	36.61	(-)36.61	0.00	0.00	0.00
	योग: 26 अनुदान				**2465.30**	(-)**2465.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

परिशिष्ट-3.12
(प्रस्तर 3.3.8 में सन्दर्भित)
उन अनुदानों का सारांश जिनमें समर्पण बचत से अधिक है

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	अनुदान सं0	अनुदान का नाम	बचत	समर्पण	अधिक समर्पण
		राजस्व मतदेय			
1	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	547.46	548.42	0.96
2	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	67.67	67.68	0.01
3	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	438.39	440.20	1.81
4	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	41.29	42.06	0.77
5	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	418.86	419.25	0.39
6	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4694.54	4775.24	80.70
7	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	7.81	19.99	12.18
8	68	विधान सभा सचिवालय	14.51	15.23	0.72
9	74	गृह विभाग (होमगार्ड)	223.40	224.66	1.26
10	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	303.69	304.19	0.50
	10	***योग (राजस्व मतदेय)***	***6757.62***	***6856.92***	***99.30***
		राजस्व भारित			
11	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	6.45	6.49	0.04
	01	***योग (राजस्व भारित)***	***6.45***	***6.49***	***0.04***
		पूँजीगत मतदेय			
12	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	39.43	39.48	0.05
13	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	34.83	56.15	21.32
14	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	665.75	983.27	317.52
15	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3145.34	3984.24	838.90
	04	***योग (पूँजीगत मतदेय)***	***3885.35***	***5063.14***	***1177.79***
	13	**महायोग**	**10649.42**	**11926.55**	**1277.13**

परिशिष्ट-4.1
(प्रस्तर 4.15 में सन्दर्भित)
विभिन्न स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे के अन्तिमीकरण के लम्बित होने का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
1.	वन विभाग	क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	2020-21 से 2023-24	04
2.	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2023-24	06
3.	–तदैव–	ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
4.	–तदैव–	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2023-24	01
5.	–तदैव–	उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
6.	–तदैव–	सथारिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2023-24	19
7.	–तदैव–	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2023-24	19
8.	–तदैव–	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2023-24	19
9.	–तदैव–	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण[13]	2005-06 से 2020-21	16
10.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	2022-23 से 2023-24	02
11.	ऊर्जा विभाग	उत्तर प्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग	2023-24	01
12.	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	उत्तर प्रदेश रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी	2023-24	01
13.	–तदैव–	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
14.	–तदैव–	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	2022-23 से 2023-24	02
15.	–तदैव–	आगरा विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
16.	–तदैव–	मेरठ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
17.	–तदैव–	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	2021-22 से 2023-24	03
18.	–तदैव–	हापुड़/पिलखुआ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
19.	–तदैव–	वाराणसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
20.	–तदैव–	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
21.	–तदैव–	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	2021-22 से 2023-24	03
22.	–तदैव–	मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
23.	–तदैव–	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
24.	–तदैव–	बरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
25.	–तदैव–	रायबरेली विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
26.	–तदैव–	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
27.	–तदैव–	अयोध्या/ फैजाबाद विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
28.	–तदैव–	फिरोजाबाद/शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
29.	–तदैव–	कानपुर विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2023-24	04
30.	–तदैव–	रामपुर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
31.	–तदैव–	उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	2022-23 से 2023-24	02

[13] 04 मार्च 2021 से प्राधिकरण को क्र0 सं0 8 पर अंकित प्राधिकरण में समाहित कर दिया गया है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिसके लेखे प्राप्त नहीं हुये	लम्बित वार्षिक लेखाओं की कुल संख्या
32.	–तदैव–	झांसी विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
33.	–तदैव–	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
34.	–तदैव–	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
35.	–तदैव–	खुर्जा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
36.	–तदैव–	उरई विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
37.	–तदैव–	बाँदा विकास प्राधिकरण	2022-23 से 2023-24	02
38.	–तदैव–	बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
39.	–तदैव–	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
40.	–तदैव–	बस्ती विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2023-24	07
41.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शक्ति नगर	2020-21 से 2023-24	04
42.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट	2017-18 से 2023-24	07
43.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कपिलवस्तु	2017-18 से 2023-24	07
44.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विन्ध्याचल–मीरजापुर	2017-18 से 2023-24	07
45.	–तदैव–	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर	2017-18 से 2023-24	07
46.	विधि विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2021-22 से 2023-24	03
47.	–तदैव–	उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग	1996-97 से 2023-24	28
48.	दिव्यांगजन कल्याण विभाग	डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास अधिकार	2022-23 से 2023-24	02
49.	बाल कल्याण विभाग	उ. प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	2015-16 से 2023-24	09
50.	श्रम विभाग	सचिव, यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ	1996-97 से 2023-24	28
51.	खाद्य एवं नगर आपूर्ति विभाग	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	2014-15 से 2023-24	10
52.	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0 प्र0 शासन	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	2019-20 से 2023-24	05
53.	–तदैव–	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	2019-20 से 2023-24	05
54.	–तदैव–	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ	2019-20 से 2023-24	05
55.	–तदैव–	बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा	2019-20 से 2023-24	05
56.	पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन	पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा	2019-20 से 2023-24	05
		योग		**388**

परिशिष्ट-4.2
(प्रस्तर 4.16 में सन्दर्भित)
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	जब तक के लेखे अन्तिमीकृत किये गए	अन्तिम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार निवेश
सिंचाई विभाग			
1.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर	2023-24	2.30
2.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झांसी	2022-23	12.56
3.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली	2023-24	4.44
4.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ	2023-24	2.63
5.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, गोरखपुर	2022-23	0.82
6.	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, प्रयागराज	2023-24	4.38
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग			
7.	खाद्य आयुक्त एवं सीएओ	2021-22	10563.28
पशुधन विभाग			
8.	उप निदेशक, पशुधन फार्म निगम	2020-21	108.03
स्वास्थ्य विभाग			
9.	उप निदेशक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि विभाग	1987-88	उपलब्ध नहीं
योग			**10698.44**

पदों की व्याख्या एवं प्रथमाक्षरी

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक मतदेय अनुदानों एवं भारित विनियोगों के अन्तर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरूद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अन्तर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। मतदेय अनुदान/भारित विनियोग से अधिक किसी भी व्यय का विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।
स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन–प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर, लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
उछाल अनुपात	उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सापेक्ष किसी राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के लोच या परिमाप को इंगित करता है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण होता है, शामिल होते हैं।
आकस्मिक देयतायें	आकस्मिक देयताओं पर व्यय, भविष्य में किसी घटना के घटित होने पर किया या नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
ऋण संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण–जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह ऋण के सर्विस की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ऋण संवहनीयता चालू या वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा लागत एवं अतिरिक्त ऋण के साथ उस पर प्रतिफल के मध्य सन्तुलन बनाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण के सर्विस की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	स्थिरता के लिये आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या सार्वजनिक ऋण की लागत से अधिक है तो ऋण–जीएसडीपी

पद	व्याख्या
	अनुपात संभवतः स्थिर होगा बशर्ते प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो।
आन्तरिक ऋण	आन्तरिक ऋण में भारत में लोगों से प्राप्त नियमित ऋण, जिसे 'भारत में उगाहा गया ऋण' भी कहा जाता है, शामिल है। यह संचित निधि में जमा किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	इसे ऋण विमोचन (मूलधन और ब्याज का भुगतान) के कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिसमें ऋण प्राप्तियों का उपयोग उधार निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाने वाले ऋणों के विमोचन में किया जाता है।
प्राथमिक घाटा/ आधिक्य	राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। इसे सरकार के राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर गैर–ब्याज व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखे या इस प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों, जिसे इसके समक्ष रखा जाय या जिसकी जाँच करना समिति आवश्यक समझे, की जाँच करती है।
पुनर्विनियोग	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को निधियों का अन्तरण।
निक्षेप निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय बाद अपने ऋणों से मुक्ति हेतु धन आरक्षित करती है।
अनुपूरक अनुदान	यदि संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुरूप निर्मित विधि द्वारा प्राधिकृत धनराशि चालू वित्त वर्ष के किसी विशेष सेवा पर उसी उद्देश्य हेतु व्यय के लिये अपर्याप्त पायी जाती है या जब उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल न की गयी किसी नयी सेवा के लिये अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हुई हो तब सरकार संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधान के अनुरूप अनुपूरक अनुदान या विनियोग लाती है।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
एसी बिल	संक्षिप्त आकस्मिक बिल
एजीएम	वार्षिक आम सभा
बीओसीडब्लू एक्ट	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम
सीएजी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर
सीसीओ	मुख्य नियंत्रक अधिकारी
सीजीए	महालेखा नियंत्रक
सीएसएफ	समेकित निक्षेप निधि
डीसीसी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डीसीपीएस	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
ईबीआईटी	ब्याज एवं करों से पूर्व का लाभ
एफसी	वित्त आयोग
एफआरबीएम एक्ट	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीओआई	भारत सरकार
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक
एमएच	मुख्य शीर्ष
एमटीएफआरपी	मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति
एनएसडीएल	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएओ	वेतन एवं लेखाधिकारी
पीडी एकाउण्ट	वैयक्तिक जमा खाता
पीएलए	वैयक्तिक लेजर खाता
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
पीएसयूज़	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरओसीई	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल
आरओई	पूँजी पर प्रतिफल
एसडीआरएफ	राज्य आपदा अनुक्रिया निधि
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
यूसी	उपभोग प्रमाण–पत्र
उदय	उज्जवल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना
यूपीबीएम	उत्तर प्रदेश बजट नियमावली

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/uttar-pradesh